Friday, 04 March, 1960

लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३९, १९६०/१८८१ (शक)

[२२ फरवरी से ४ मार्च १९६०/३ से १४ फाल्गुन १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation 18-5-92
Fumigated
On 18.11.83
Parliament Library

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ३९ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय-सूची पृष्ठ

अंक १२—मंगलवार २३, फरवरी, १९६०/४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०१ से ३०५, ३०७, ३०८ और ३१० से ३१६. १०७१–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०९ और ३१७ से ३४४ . . १०९७–१११०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५४ से ३६९ और ३७१ से ३९१ . . १११०–२६

सभा पटल पर रखा गया पत्र ११२७

प्राक्कलन समिति—

तिहत्तरवां प्रतिवेदन ११२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के कामगरों द्वारा अचानक हड़ताल . . ११२७–२८

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तालीसवां प्रतिवेदन ११२८–२९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९५९–६० . . . ११२९—५९

दहेज निषेध विधेयक—

राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव . . ११६०—७१

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . ११७२–७३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ११७४—७८

अंक १३—बुद्धवार, २४ फरवरी, १९६०/५ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ से ३५२ और ३५४ से ३६० . ११७९—१२०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४५, ३५३ और ३६१ से ३७२ . . १२०२—०८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९२ से ४२५ . . . १२०८—२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२२७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन १२२७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई इस्पात कारखाने में दुर्घटना १२२८

विषय-सूची

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ के उत्तर की शुद्धि . . . १२२९

विनियोग विधेयक, १९६०—पुरःस्थापित १२२९

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के लिये वक्तव्य. . . १२२९–३०

निर्यात तथा आयात नियंत्रण (संशोधन) विधेयक . . . १२३०—५०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . १२३०—४९

खंड १ से ५ . . . . . १२५०

पारित करने के लिये प्रस्ताव १२५०

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव . १२५०—७१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १२७२—७५

अंक १४—गुरुवार, २५ फरवरी, १९६० / ६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ से ३७७, ३८०, ३८१ और ३८३ से ३८९ १२७७—१३०२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . १३०२—०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८, ३७९, ३८२ और ३९० से ४१० . १३०४—१५

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६ से ४७४ . . . १३१५—३८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३३८–३९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन १३३९

विनियोग विधेयक, १९६०—पारित . . . . १३३९—४१

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १३४१—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३६८—७२

अंक १५—शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६० ७, फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ से ४१६, ४१८, ४१९, ४२१ से ४२४, ४२७, ४२९, ४३०, ४३१, ४३३ और ४३४ . . . १३७३—१४००

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . १४००—०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४११, ४१७, ४२०, ४२५, ४२६, ४२८, ४३२ और ४३५ से ४४८ . . . . १४०२—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७५ से ५०९ . . . १४१२—२७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४२७–२८

विषय-सूची पृष्ठ

राष्ट्रपति से सन्देश १४२८

राज्य सभा से सन्देश १४२९

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियंत्रण) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . १४२९

लाभ पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—

पहला प्रतिवेदन १४२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

त्रिपुरा में जंगली चूहों के उपद्रव के कारण उत्पन्न स्थिति . . १४२९—३१

सभा का कार्य १४३१

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १४३१—५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन १४५२

भारत के राष्ट्रमंडल से अलग होने के बारे में संकल्प . . . १४५२—७८

कृषि अनुसंधान कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प १४७८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १४७९—८४

अंक १६—सोमवार, २९ फरवरी, १९६०/१० फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४९ से ४५७, ४५९ से ४६६ और ४७१ . १४८५—१५०९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . १५०९—१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५८, ४६७ से ४७० और ४७२ से ४८४ १५११—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१० से ५५६ और ५५८ से ५६५ . . १५१९—४०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १५४०—४२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

अट्ठारहवां प्रतिवेदन १५४२

तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ के उत्तर की शुद्धि . . . १५४३

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १५४३—८६

सामान्य आय व्ययक, १९६०-६१—उपस्थापित . . . १५८६—१६०६

वित्त विधेयक, १९६०—पुरःस्थापित. १६०६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १६०७—१०

विषय-सूची पृष्ठ

अंक १७—मंगलवार, १ मार्च, १९६०/११ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५ से ४९३ . . . १६१३—३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९४ से ५२३ . . . . १६३५—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ६३२ . . . . १६५०—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६८०

सदस्य का निरोध और रिहाई १६८१

मुरादनगर में दूध इकट्ठा और ठंडा करने के केन्द्र में फर्श के बैठ जाने के बारे में वक्तव्य १६८१–८२

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . . १६८२—१७२१

अनुदानों की मांगें—रेलवे, १९६०–६१ . . . . १७२१–५०

विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . १७५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १७५४—५९

अंक १८—बुधवार, २ मार्च, १९६०/१२ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२४ से ५२९, ५३३, ५३४, ५३६ से ५३८ और ५४२ . . . . . १७६१—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५३२, ५३५, ५३९ से ५४१ और ५४३ से ५६६ . . . . . १७८५—९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३३ से ६७९ . . . १७९८—१८१७

स्थगन प्रस्ताव—

पुनर्वास मंत्रालय के कुछ कर्मचारियों की सेवाओं का खत्म किया जाना १८१७—२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८२०–२१

राज्य-सभा से सन्देश १८२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन १८२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में चावल तथा धान के मूल्यों में वृद्धि . १७२१–२२

आसाम के मिज़ो डिस्ट्रिक्ट में खाद्य की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . १८२२–२५

विषय-सूची।	पृष्ठ
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा के संशोधनों से सहमति . . .	१८२५–२६
अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०–६१	१८२६—७२
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . .	१८७२—८३
दैनिक संक्षेपिका	१८८४—८९
अंक १९—गुरुवार, ३ मार्च, १९६० / १३ फाल्गुन, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७४ और ६०७ . .	१८९१—१९१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७५ से ६०६ और ६०८ . .	१९१३—२६
अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ६९१ और ६९३ से ७२० . .	१९२६—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९४१–४२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दंडकारण्य में ट्रेक्टरों के बेकार पड़े होने से कथित हानि . .	१९४३–४४
अनुदानों की मांगें (रेलवे), १९६०-६१	१९४४—८६
सदस्य की गिरफ्तारी	१९५५
दण्डकारण्य विकास प्राधिकार के बारे में प्रस्ताव . . .	१९८७—२००१
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में आधे घण्टे की चर्चा .	२००१—०६
दैनिक संक्षेपिका	२००७—१२
अंक २०—शुक्रवार, ४ मार्च, १९६०/१४ फाल्गुन, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१० से ६१४, ६१६ से ६२०, ६२२ से ६२६, ६२८ और ६२९	२०१३—३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०९, ६१५, ६२१, ६२७ और ६३० से ६४३	२०३७—४५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७२१ से ७६६	२०४५—६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२०६८–६९
राज्य सभा से सन्देश	२०६९
भारतीय वस्तुओं की बिक्री (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	२०६९
सदस्यों की गिरफ्तारी	२०६९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दक्षिण रलवे पर गाड़ियों की टक्कर . . .	२०७०
सभा का कार्य	२०७०
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६०—पुरस्थापित . . .	२०७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें–रेलवे, १९५९–६० . . .	२०७१—७९

विषय-सूची

	पृष्ठ
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव	२०७६——६३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	२०६३–६४
सिख गुरुद्वारा विधेयक (सरदार अ० सिं० सहगल का) राय जानने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	२०६४–६५
पिछड़ी जातियां (धार्मिक संस्करण) विधेयक (श्री प्रकाश वीर शास्त्री का) विचार करने के लिये प्रस्ताव——अस्वीकृत . . .	२०६५——२१०६
पूर्त तथा धार्मिक——न्यास (संशोधन) विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन तथा नई धारा ७-क तथा ७-ख का रखा जाना) (श्री रामकृष्ण गुप्त का)	
——वापस लिया गया	२१०६——१६
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२१०६——१६
महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक (श्री पु० र० पटेल का) विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	२११६–२०
कार्य मंत्रणा समिति——	
उनचासवां प्रतिवेदन	२१२१
दैनिक संक्षेपिका	२११२——२७

नोटः——मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

शुक्रवार, ४ मार्च, १९६०
१४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इटली में रोके गये भारतीय

+

†*६१०. श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री आसर :
श्री हेम बरूआ :

क्या **प्रधान मंत्री** ७ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इटली सरकार द्वारा रोके गये १३८ भारतीयों के संबंध में उनसे की गयी बातचीत का क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : इटली की सरकार ने संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा न चलाने अथवा उनको उद्वासित न करने का निर्णय किया है क्योंकि भारत सरकार को इन व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्वदेश बुलवा भेजने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिये इटली की सरकार ने अन्त में यह निर्णय किया है कि जब भी संबंधित व्यक्ति इटली छोड़ने के लिये स्वयं यात्रा का प्रबन्ध कर ले, उसका जब्त किया हुआ पासपोर्ट उसे लौटा दिया जाय । साथ ही भारत सरकार ने रोम, पेरिस, बोन और बर्न स्थित अपने राजदूतावासों को यह हिदायत कर दी है कि जैसे ही इनमें से कोई व्यक्ति स्वदेश प्रत्यावर्त्तन के लिये आवेदन करे उसे तत्काल स्वदेश भेज दिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने उस नौवहन कम्पनी से, जो इन्हें इटली ले गयी थी, इन व्यक्तियों को वापस उस बन्दरगाह तक ले आने का अनुरोध किया था जिससे ये पोत पर सवार हुये थे, और यदि हां, तो उस नौवहन कम्पनी ने क्या उत्तर दिया था ?

†**श्री सादत अली खां** : इस मसले पर इटली की सरकार के साथ बातचीत की गयी थी। लेकिन इटली की सरकार इस बात पर ही कायम रही कि क्योंकि भारतीय जांच-चौकियों ने इन व्यक्तियों के जहाज पर सवार होने से पहले इनके पासपोर्ट की जांच कर उन्हें वैध घोषित कर दिया था इसलिये नौवहन कम्पनी उत्तरदायी नहीं थी।

†**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि इन भारतीयों को स्वदेश वापस भेजना है और भारत सरकार ने इनके स्वदेश प्रत्यावर्त्तन के लिये व्यय किया है इसलिये यात्रा-व्यय लौटाने के संबंध में क्या इन भारतीयों से कोई बन्धपत्र भराया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक । कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी हां ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : जब से यह मसला सरकार की निगाह में आया है, क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की जिनके पास इसी प्रकार के पासपोर्ट हों, संख्या के बारे में कोई जांच कराई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां। इंग्लैंड और योरप के अन्य देशों तथा भारत में बड़ी व्यापक जांच की गयी है।

†**श्री हेम बरूआ**: उन्हें इटली के दो शिविरों में नजरबन्ध किया गया था। स्वदेश प्रत्यावर्त्तन से पहले वे शिविरों में बड़ी दयनीय दशा में हैं। यदि हां, तो क्या हमने रोम स्थित अपने दूतावास को यह लिखा है कि वह इनके कष्ट कम कराने के लिये व्यवस्था करे, और यदि हां, तो उसका क्या प्रत्युत्तर मिला ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : रोम स्थित हमारा दूतावास निरन्तर इन शिविरों से सम्पर्क रखे था। पहले कुछ शिकायतें मिली थीं कि उनके लिये ठीक से इंतजाम नहीं हो रहा है लेकिन उसके तत्काल बाद हमें यह सूचना मिली कि इटली की सरकार ने उनके लिये-खाने, कम्बलों आदि की सुविधायें बड़ी तादाद में उपलब्ध कर दी हैं। यह स्वाभाविक था कि इटली का भोजन उन्हें माफिक नहीं आता था लेकिन शुरू की कुछ गड़बड़ी के बाद इटली की सरकार का व्यवहार उनके साथ अच्छा ही रहा था।

†**डा० राम सुभग सिंह** : प्रधान मंत्री ने अभी बताया कि इन मामलों की पूरी जांच की गयी है। ऐसे जाली यात्रा संबंधी कागजात कौन तैयार कर रहा है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह मसला ऐसा है जो अदालतों में आयेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बायो-गैस के संबंध में हंगरी का शिष्टमंडल

†

†*६११. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बायो-गैस के संबंध में हंगरी के शिष्टमंडल के प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर निर्णय कर लिया है ;

(ख) स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित किस प्रकार किया जायेगा ; और

(ग) उक्त शिष्टमंडल पर सरकार को कितना व्यय करना पड़ा था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश)** : (क) जी हां। अभी दो अग्रिम परियोजनाओं की स्थापना का इरादा है।

(ख) जिन शर्तों के अधीन हंगेरियन पेटेंटों का उपयोग किया जा सकता है उन्हें एक करार में शामिल करना है जिसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाने वाला है। उसके पश्चात् दो अग्रिम कारखानों की स्थापना के लिये कार्यवाही की जा सकती है।

(ग) लगभग २०,००० रुपये ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : बायो-गैस निकालने के बाद जो पदार्थ बचते हैं क्या खाद के रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : मुख्य विचार यही है। देश में कृषि पदार्थों और खाद्य-पदार्थों का बड़ा कचड़ा-कबाड़ निकलता है। और यह अग्रिम कारखाने इस कचड़े कबाड़ का उपयोग कर गर्म करने के लिये गैस बनाने और अवशिष्ट पदार्थ का उपयोग खाद के रूप में करने के संबंध में प्रयोग करने के विचार से ही बनाये जा रहे हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्रालय भी यह योजना आरम्भ करेगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : यह योजना खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के संबंध में ही आरम्भ की गयी है। अभी यह केवल प्रयोगात्मक अवस्था में है। एक शिष्ट मंडल यहां आया था और हमने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के पूर्ण परामर्श से इस मामले में उनसे बातचीत की। वास्तव में हंगेरियनों से इस प्रस्ताव पर बातचीत के लिये जो समिति नियुक्त की थी उसमें अन्य व्यक्तियों के अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के निदेशक और भारतीय चीनी अनुसंधान संस्था के निदेशक भी सदस्य थे। उस मंत्रालय के अन्य पदाधिकारी गणों को भी सहयोजित सदस्यों के रूप में ले लिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड

†*६१२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री १९ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योगों संबंधी मजूरी बोर्डों को संविहित आधार पर रखने के संबंध में अन्तिम रूप से कुछ निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभासचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख). स्थायी श्रम समिति में, जिसने जनवरी, १९६० में हुई अपनी बैठक में इस पर विचार किया था, राय आम तौर पर प्रस्तावित विधान के पक्ष में नहीं थी।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पिछले एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि कुछ केन्द्रीय संगठन इस योजना के पक्ष में नहीं है। उन्होंने क्या आपत्तियां उठायीं थीं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : चार केन्द्रीय संगठनों में से केवल दो-आई० एन० टी० यू० सी० और ए० आई० टी० यू० सी० इस प्रस्ताव को वैधानिक स्वीकृति देने के पक्ष में हैं। हिन्द मजदूर सभा इसके विरुद्ध है और यू० टी० यू० सी० से हमें कोई जवाब नहीं मिला है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : अब तक स्थापित किये जा चुके मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हमें केवल तीन—चीनी, वस्त्र और सीमेंट—मजूरी बोर्डों की रिपोर्टें मिली हैं। जहां तक वस्त्र और सीमेंट का संबंध है, सरकार के निर्णय केवल दो या तीन दिन पहले प्रकाशित हुये थे। जहां तक चीनी का संबंध है, एक या दो मिलों को छोड़ कर अधिकांश मिलों ने सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वस्त्र और सीमेंट संबंधी मजूरी बोर्डों ने इस बीच अपनी सर्वसम्मत सिफारिशें दे दी हैं। रोजाना कुछ लोग जिनमें मिल मालिक भी शामिल हैं, मजूरी बोर्डों की सिफारिशों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। यदि इन्हें लागू न किया गया तो कोई विधान न होने के कारण सरकार इन्हें क्रियान्वित कैसे करेगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : स्थायी श्रम समिति की पिछली बैठक में इस पर चर्चा की गयी थी। मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधि उसमें मौजूद थे। उनमें कुछ मतभेद था। आम राय यह थी कि सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाय। हमें विश्वास है कि उन्हें क्रियान्वित किया जायगा। यदि कुछ मामलों में कठिनाई आई तो हम उसका सामना करने का प्रयास करेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : स्थायी श्रम समिति में यह तय हो गया था कि सर्व सम्मति से की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया जायगा। हम कम से कम उस सीमा तक विधान क्यों नहीं बनाते जिससे सर्वसम्मत सिफारिशों को लागू किया जा सके ?

†**श्री नन्दा** : यदि विधान की सहायता अथवा समर्थन के बिना ही उनको क्रियान्वित कर दिया जाय तो उसका स्वागत किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रामेश्वर टांटिया : जिन उद्योगों के संबंध में मजूरी बोर्डों की स्थापना नहीं की गयी है उनके बारे में सरकार की क्या नीति होगी और क्या जूट तथा इंजीनियरिंग उद्योग के लिये मजूरी बोर्डों की स्थापना की जायगी ?

†श्री नन्दा : जिन उद्योगों के संबंध में मजूरी बोर्डों की स्थापना का विचार किया गया है उनकी एक सूची मौजूद है। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को मजूरी बोर्डों के क्षेत्राधिकार के भीतर लाया जा रहा है।

†श्री तंगामणि : सीमेंट और वस्त्र उद्योगों के लिये मजूरी बोर्डों ने अपनी रिपोर्टें दे दी हैं। और सरकार ने उनकी सिफारिशें मान ली हैं। जो कारखाने १ जनवरी, १९६० से इन्हें लागू न करें उनके बारे में सरकार क्या करेगी ?

†श्री नन्दा : उनके संगठनों की मार्फत हम उनसे उन्हें लागू कराने का प्रयास करेंगे।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मालिकों के प्रतिनिधियों ने मंत्री महोदय से भेंट करके यह मांग की थी कि वस्त्र उद्योग में मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू न की जायें। यदि हां, तो मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया रही ?

†श्री नन्दा : मेरा ख्याल है कि अब प्रकाशन के बाद विरोध होना आवश्यक नहीं है। एक समय ऐसा था जब हरेक अपना दृष्टिकोण उपस्थित करना चाहता था।

नेताजी सुभाष बोस के भाषण तथा लेख

\+

†*६१२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री राम गरीब :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री दिनांक १८ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७५१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के भाषणों और लेखों के संग्रह तथा प्रकाशन के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) : अब तक जो सामग्री इकट्ठी की गई है उसकी छानबीन की जा रही है; अधिक सामग्री इकट्ठी करने का कार्य प्रगति में है।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, कब तक यह आशा की जा सकती है कि यह संग्रह कार्य समाप्त हो जायेगा और पुस्तक निकल जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : अगर माननीय सदस्य को याद हो तो पिछले जवाब में मैंने यह कहा था कि इस साल के मध्य तक यह काम समाप्त होने की उम्मीद है। हमें आशा है कि इस समय तक यह काम समाप्त हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : किन स्थानों से सामग्री का संग्रह नहीं किया गया है और उन स्थानों से सामग्री बटोरने का काम किन अभिकरणों से लिया जा रहा है ?

†**डा० केसकर** : यह तो ब्यौरे की बातें हैं मेरा तात्पर्य नेताजी सुभाष बोस के भाषणों का संग्रह करने के प्रश्न से है । कई भाषण भारत से बाहर किये गये हैं और हम उनका संग्रह करने के साथ साथ इस बात की व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई ऐसा भाषण भी हो जिसकी अभी तक सूचना न मिली हो तो वह भी उपलब्ध कर लिया जाय। मैं हरदम यह नहीं बता सकता कि किस व्यक्ति विशेष अथवा प्राधिकारी विशेष से सम्पर्क किया जा रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या भारत में दिये गये भाषणों का भी संग्रह किया जायगा ?

†**डा० केसकर** : भारत में दिये गये भाषणों के साथ साथ विदेशों में दिये गये भाषणों का भी संग्रह किया जायगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : विदेशों में दिये गये भाषणों को, जिनको नेताजी के भाषण कहा जाता है, प्रमाणिकता की जांच के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**डा० केसकर** : यही तो कारण है कि हम इस मसले में बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम उनकी जांच करा रहे हैं ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : सामग्री का सम्पादन और छानबीन करने वाले सम्पादक मंडल के सदस्य कौन-कौन हैं ?

†**डा० केसकर** : इस प्रश्न के पिछले उत्तर में मैं यह बता चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसे दोहराने की जरूरत नहीं ।

श्री पद्म देव : इन व्याख्यानों और लेखों को संग्रह करने के संबंध में सरकार ने लोगों को सूचना देने के लिये क्या क्या साधन बरते हैं ?

डा० केसकर : उनके भाषण ऐसे नहीं हैं कि इधर उधर फैले हुये हों और लोगों को और पबलिक को नोटिस देने से मिल सकते हों। हां विदेशों में जहां वह थे वहां अवश्य काफी लोगों को लिखा गया है कि अगर उनका कोई व्याख्यान उनके पास हो तो उसका हमें पता दें। देश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि पबलिक को नोटिस दिया जाये ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिस भाषा में नेताजी ने वे भाषण दिये थे या लेख लिखे थे क्या उन्हीं भाषाओं में उनका प्रकाशन होगा, या इसके लिये कोई फारमूला निकाला गया है कि हिन्दी, बंगला आदि भारतीय भाषाओं में भी उनका अनुवाद किया जायेगा ?

डा० केसकर : अभी तक तो हम अंग्रेजी में ही करने का सोच रहे हैं क्योंकि अधिकांश भाषण जो मिले हैं वह—विदेशों को छोड़ कर—अंग्रेजी में हैं या कुछ बंगाला में हैं । एक आध भाषण हिन्दी में भी हैं । फिलहाल तो हम अंग्रेजी में ही प्रकाशित करने की सोच रहे हैं, आगे चल कर अवश्य इनका अनुवाद, हिन्दी, बंगला आदि भारतीय भाषाओं में करने के बारे में सोचा जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टैगोर के जीवन संबंधी फिल्म

†*६१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १० दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर के जीवन के सम्बन्ध में एक फिल्म बनाने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : आशा की जाती है कि फिल्म की लिपि (स्क्रिप्ट) अप्रैल के अन्त तक तैयार हो जायेगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : लिपि को फिल्म के रूप में आने में कितना समय लगेगा और क्या यह समारोह होने के समय तक तैयार हो जायेगी ?

†**श्री आ० चं० जोशी** : मई, १९६१ में श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की जन्म शताब्दी के समय तक यह तैयार हो जायेगी ।

†**श्री पलनियाण्डी** : इस फिल्म को सरकार बना रही है या कोई गैर-सरकारी व्यक्ति ?

†**श्री आ० चं० जोशी** : यह कार्य कलकत्ता के श्री सत्यजीत राय को सौंपा गया है जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस फिल्म के पूर्व विवाचन, विवाचन और वितरण में इस मन्त्रालय का कोई हाथ होगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: यह प्रश्न पहले भी कई बार पूछा गया था और उसका उत्तर दिया जा चुका है परन्तु पुनः जानकारी देने के लिये मैं बताता हूं कि श्री सत्यजीत राय अपनी ओर से नहीं परन्तु सरकार की ओर से इस फिल्म का निर्माण कर रहे हैं । यह फिल्म कुछ निर्धारित शर्तों के अधीन तैयार किया जायेगा । श्री राय को परामर्श देने के लिये हमारी एक परामर्शदात्री समिति है । श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति इस मामले में उनको परामर्श देंगे ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : इस फिल्म पर सरकार ने कितना धन खर्च करने का फैसला किया है और क्या फिल्म बनाने के लिये सरकार की नजर में कोई और व्यक्ति भी है ?

†**डा० केसकर** : यह कार्य श्री सत्यजीत राय को सौंप कर हमें पूर्ण सन्तोष है । हम यह कार्य किसी और को सौंपना नहीं चाहते । उनको किया जाने वाला ठीक-ठीक भुगतान निर्धारित नहीं किया गया है परन्तु उनके साथ हस्ताक्षर किये गये करार में यह तै किया गया है कि फिल्म के निर्माण के लिये ७५,००० रुपये की राशि उन्हें उचित किश्तों में दी जायेगी ।

†**श्री अ० चं० गुह** : यह फिल्म किस भाषा में बनाया जायेगा ? क्या यह केवल अंग्रेजी भाषा में होगा या इसको बंगला और अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार करने का भी प्रयत्न किया जायेगा ?

†**डा० केसकर** : हमारे सब प्रलेखीय फिल्मों की तरह यह फिल्म भी सभी १३ भारतीय भाषाओं में तैयार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जद्दा में भातीय वस्तुओं की प्रदर्शनी

†६१६. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जद्दा में सम्पूर्ण विश्व से आने वाले हज यात्रियों के लिये भारत निर्मित वस्तुओं और कलाकृतियों की वार्षिक प्रदर्शनी की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५६ से १९५८ तक कितने तीर्थ यात्रियों ने प्रदर्शनी देखी ?

†**वाणिज्यतथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) सऊदी अरब में भारत के निर्यात योग्य सामान का वाणिज्यिक रूप से प्रचार करने के लिये जद्दा में ३०-१०-१९५८ को एक स्थायी प्रदर्शन-कक्ष का उद्‌घाटन किया गया था। हज यात्रियों के लिये किसी विशेष वस्तु का प्रदर्शन नहीं किया गया था।

(ख) औसतन लगभग ६०० व्यक्ति प्रतिमास इस प्रदर्शन-कक्ष को देखने आते हैं।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या सऊदी अरब के साथ हमारे व्यापार में कमी हो गई है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सऊदी अरब के साथ १९५९ में व्यापार १९५८ की अपेक्षा अधिक नहीं हुआ है। परन्तु आंकड़ों से पता चलता है कि बहुत सी नयी वस्तुएं जो पहले सऊदी अरब को निर्यात नहीं की जा रही थीं, अब निर्यात की जा रही हैं।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : हमारे व्यापार में कमी हो जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : सऊदी अरब के साथ निर्यात व्यापार बहुत थोड़ा है और सामान्य परिवर्तन होते रहते हैं। कोई विशेष कारण बताना कठिन है। हम शनैः शनैः नये बाजारों का पता लगा रहे हैं और आशा की जाती है कि व्यापार भविष्य में बढ़ेगा।

†**श्री सम्पत्** : क्या इस प्रदर्शन-कक्ष में हथकरघे से बने सामान को भी रखा जाता है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी, हां। प्रदर्शन-कक्ष में हथकरघे से बने सामान को भी रखा जाता है।

जीपों के सौदे संबंधी मुकदमा

+

†*६१७. **श्री विद्या चरण शुक्ल** :
श्री खुशवक्त राय :
श्री वै० च० मलिक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन में दायर किये गये 'जीपों के सौदे सम्बन्धी मुकदमे' के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार जीपों के सौदे सम्बन्धी मुकदमे की सुनवाई मई, १९६० में होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विद्या चरण शुक्ल** : २८ नवम्बर, १९५८ को यह बताया गया था कि इस मुकदमे-से सम्बन्धित दस्तावेजों का निरीक्षण पूरा हो चुका था और १९५९ के आरम्भ में इस की सुनवाई की जायेगी। अब यह कहा गया है कि इस पर काफी समय बाद सुनवाई की जायेगी। इस मामले की सुनवाई में विलम्ब होने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : कानून के विलम्ब में हम क्या कर सकते हैं ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले में वाद पद तैयार कर लिये गये हैं या नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस पर मई में सुनवाई आरम्भ होने की सम्भावना है : मैं ठीक नहीं कह सकता परन्तु बहुत सा कार्य हो जाना चाहिये। वाद-पद तैयार कर लिये जाने चाहियें ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या इस मुकदमे को न्यायालय की शरण लिये बिना सुलझाने के लिये भारत सरकार द्वारा कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये परन्तु हमने अपने अधिवक्ता से कह दिया है कि इस मामले पर विचार करने के लिये उचित अवसर आय. तो इस पर विचार किया जाये ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि १०० पौंड की पूंजी वाले इस सार्थ के साथ कई सौदे किये गये हैं और लोक लेखा समिति और महालेखा-परीक्षक ने कई शिकायतें की हैं, क्या सरकार इस फर्म के साथ किये गये सौदों के बारे में और मुकदमे की स्थिति के बारे में जानकारी सभा पटल पर रखेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह एक असाधारण प्रश्न है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उत्तर जानते हैं ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि प्रतिवादी ने प्रत्युत्तर में एक दावा किया है जिसकी यदि अनुमति दी जाये तो उसमें हमारा सारा दावा समाप्त हो जाता है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां। उन्होंने भी प्रत्युत्तर में एक दावा किया है ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : यद्यपि मैं उत्तर जानता हूं फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले के सम्बन्ध में तथ्यों और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी सभा पटल पर रखेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं इस प्रकार के प्रश्न का अर्थ नहीं समझता । यह एक ऐसा मामला है जिस पर इस सदन में चार या पांच वर्षों से विचार हो रहा है। हमने, इस पर विचार किया है, वक्तव्य दिये हैं, हमने समितियां नियुक्त की हैं, हमने क्या नहीं किया है। इसके बारे में बहुत से कागजात हैं, मैं नहीं जानता कि उनको कैसे छांटा जाये क्योंकि उनमें से कुछ गुप्त है, और कुछ गोपनीय हैं और कुछ नहीं भी हैं। स्पष्ट है कि हम ऐसा नहीं कर सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : जिस फर्म के विरुद्ध हमने कानूनी कार्रवाई की है उसकी प्रार्थित पूंजी कितनी है और इस फर्म के विरुद्ध सरकार ने कितनी राशि का दावा किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य ने इस सभा में दिये गये बहुत से वक्तव्यों का निर्देश किया है। मैं इसके बारे में नहीं जाना चाहता । यदि एक विशिष्ट प्रश्न....

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले में दावे की रकम कितनी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : २५४,४९८ पौंड ४ शिलिंग ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : फर्म की प्रार्थित पूंजी कितनी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं बहुत प्रश्नों को पूछने की अनुमति दे चुका हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को ऐसे प्रश्न नहीं पूछने दिये जायेंगे जिनके उत्तर प्रकाशित अभिलेखों में आसानी से मिल सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्रीमान्, जी, इसका कोई उत्तर उपलब्ध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं है ।

चीनी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

†***६१८. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १६ नवम्बर १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सभी चीनी मिलों ने मजदूरों को अन्तरिम सहायता देने के बारे में मजूरी बोर्ड की सिफारिश कार्यान्वित कर ली है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार एक को छोड़ कर बाकी सब मिलों ने सिफारिशों को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि—बिहार में ३, मध्य प्रदेश में १, उड़ीसा में १, उत्तर प्रदेश में ९ और पंजाब में १ इस प्रकार कुल १५ मिलों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की इन नौ मिलों में अब सिफारिशें कार्यान्वित कर ली हैं या वे अब कर रही हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मूल उत्तर में मैंने बताया है कि एक को छोड़ कर बाकी सब ने सिफारिशें कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि प्रतिवेदन में शीघ्रता करने के लिये इस सदन के सदस्यों की राय चीनी मजूरी बोर्ड के सदस्यों को बता दी जायेगी । क्या मैं जान सकता हूं कि मजूरी बोर्ड का प्रतिवेदन सितम्बर, १९६० से पहले आने की आशा है ?

†**श्री आबिद अली** : बोर्ड के सभापति को यह बता दिया गया था । बोर्ड ने महसूस किया कि हमारे लिये शीघ्रता करना उचित न होगा क्योंकि इस दशा में वास्तविक स्थिति पर पहुंचन

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिये सब आवश्यक जानकारी एकत्र नहीं कर सकेंगे । हमने उन्हें बता दिया है कि इस सदन के सदस्य प्रतिवेदन को शीघ्र चाहते हैं । अतः आशा की जाती है कि वे अगस्त तक अपना प्रतिवेदन दे दें ।

†श्री पलनियाण्डी : मजूरी बोर्डकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय किये जाने के पश्चात् क्या मैं जान सकता हूं कि वह फैसलों की क्रयान्विति के लिये नियोजकों और कर्मचारियों की एक बैठक बुलाने के लिये राज्य सरकारों से कहेगी ?

†श्री आबिद अली : यह आवश्यक नहीं है । यदि यह आवश्यक हुआ, तो हम ऐसा करेंगे ।

†श्री जाधव : उस मिल का क्या नाम है जिसने अभी तक सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†श्री आबिद अली : मध्य प्रदेश में एक मिल ने सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की है । भारतीय चीनी मिल एसोसियशन से निवदन किया गया है कि वह मिल को मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये उसे समझाय ।

गोआ जाने के लिये स्थल मार्ग

†*६१६. { श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री आसर :
श्री हेम बरुआ : }

क्या प्रधान मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोआ जाने के लिये अतिरिक्त स्थल मार्ग खोलने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय किस प्रकार का है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) गोआ के लिय एक दूसरा मार्ग खोलने के प्रश्न का सरकार इस समय अध्ययन कर रही है । नया मार्ग खोलने से यातायात, अतिरिक्त सीमा-शुल्क और पुलिस कर्मचारियों को रखे जाय, यात्रियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा अच्छी सड़कें बनान की समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगे इस कारण निर्णय करने से पहले इन सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच करनी है ।

†श्री रामेश्वर टांटिया : क्या इस समय जो मार्ग है उसके सीमांत की सीमा-शुल्क चौकियों पर दोनों ही ओर यात्रियों को तंग किया जाता है ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार यात्रियों की इन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करेगी ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : अब मंगली सीमा पर केवल एक ही मार्ग है । पहले जो आरोप लगाये गये हैं उनकी जांच करली गई है और वे सही नहीं पाय गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जाधव** : क्या गोआ की सीमा पर चोरी-छिपे माल लाने ले जाने में वृद्धि हो रही है ?

†**श्री हेम बरूआ** : क्या प्रस्तावित मार्ग पर सीमा-शुल्क और नाव संबंधी सुविधाओं की जांच की जा रही हैं। यदि ऐसा है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सीमा शुल्क संबंधी प्रश्न ?

†**श्री हेम बरूआ** : जी हां, इस मार्ग विशेष पर सीमा-शुल्क और नाव संबंधी सुविधायें।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब खोले जाने वाले दूसरे मार्ग का प्रस्ताव रखा गया है तो उसकी जांच की जानी है। मैं न तो यही निश्चय के साथ कह सकता हूं कि दूसरा मार्ग खोल दिया जायेगा और न यही कह सकता हूं कि नहीं खुलेगा। इस मामले की, जिन पहलुओं का उल्लेख माननीय सदस्य न किया है उन्हें शामिल कर, जांच की जा रही है।

†**श्री जाधव** : क्या यह सच है कि गोआ की सीमा पर चोरी-छिपे माल लाने ले जाने में वृद्धि हो रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न उस प्रश्न से किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

†**श्री आचार** : क्या सरकार को पता है कि सीमा-शुल्क पदाधिकारियों के कम संख्या में होने के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है और उन्हें देर तक रुकना पड़ता है ? कभी-कभी तो उन्हें छः से सात घंटे तक रोका जाता है ? क्या सरकार इस बारे में कुछ करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमारे पास विलम्ब और चोरी छिपे माल लाने ले जाने की शिकायतें आई हैं। हम नियमों का कड़ाई से पालन करने और विलम्ब को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†*६२०. **श्री त० ब० विठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** १९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और मद्रास नगर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मजदूरों के परिवारों को चिकित्सा संबंधी सुविधायें न देने के कारण क्या हैं ; और

(ख) क्या इसे लागू करने की कोई निश्चित तारीख रखी गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) कर्मचारियों और स्थान की कमी के कारण राज्य सरकारें बम्बई और मद्रास में मजदूरों के परिवारों को चिकित्सा संबंधी सुविधायें देने के लिये आवश्यक प्रबन्ध नहीं कर सकीं।

(ख) जी नहीं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या निगम के महानिदेशक ने एक बैठक में यह नहीं कहा था कि विस्तार होने के परिणामस्वरूप जो अतिरिक्त व्यय किया गया था उसकी पूर्ति स्वयं निगम के साधनों द्वारा की जा सकती थी ? यदि ऐसा है तो फिर विलम्ब क्यों हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : व्यय का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। कठिनाइयां तो वे हैं जिनका उल्लेख मैं अभी कर चुका हूं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मद्रास में जो अस्पताल बनाया जाना था उसके लिये केवल भूमि प्राप्त करनी थी। क्या मैं यह समझूं कि जब तक कि वह अस्पताल जो बनाया जाना है बन कर तैयार नहीं हो जाता तब तक बीमा कराये व्यक्तियों के परिवार वालों के लिये यह योजना लागू नहीं की जायेगी ? इसमें दो साल और लगेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : सर्वप्रथम तो हमें परिवार वालों को सामान्य चिकित्सा में शामिल करना होगा। अस्पताल में भर्ती करके इलाज करने का प्रश्न तो बाद में उत्पन्न होगा। इस समय जितने लोगों का बीमा हो चुका है उन सबको भी अस्पताल में रख कर इलाज करने की व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों में उनके लिये पलंग रिजर्व कर दिये गय हैं और अस्पतालों में रख कर उनका इलाज करने के लिय निगम ने सम्बद्ध इमारत ले ली है।

†**श्री तंगामणि** : मद्रास नगर में निगम द्वारा जो अस्पताल बनाया जाना है, उसके कब तक बन कर तैयार होने की संभावना है ?

†**श्री आबिद अली** : मद्रास में अस्पताल में रख कर इलाज करने के लिये १७५ पलंगों वाल एक अस्पताल बनाने का विचार है। अनेकसी ८४ पलंगों वाली कोयम्बटूर में होगी। अन्य स्थानों में भी प्रबन्ध किया जायेगा। किन्तु फिलहाल भूमि अधिग्रहण करने आदि का काम किया जा रहा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि मद्रास में अस्पताल कितने समय के भीतर खुल जायगा।

†**श्री आबिद अली** : इस प्रक्रम पर यह बता सकना बड़ा कठिन होगा। कई चीजें पूरी करनी हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि बम्बई तथा अन्य स्थानों में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बनाये जान के बारे में कितनी प्रगति की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : बम्बई में अस्पताल बन रहा है। वह अगले साल तक बन कर तैयार हो जाना चाहियें। माननीय सदस्य और किस स्थान के बारे में जानना चाहते हैं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अन्य जगहें जैसे कानपुर।

†**श्री आबिद अली** : इसके लिये वह अलग से पूर्व सूचना दे सकते हैं।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या कर्मचारी राज्य बीमा योजना मद्रास राज्य के छोटे छोट उद्योगों में भी लागू की जायेगी ? वह कहां तक लागू की जा चुकी हैं ?

†**श्री आबिद अली** : यह योजना उद्योगों में लागू न की जाकर उन स्थानों में लागू की जाती है जहां उतनी संख्या में कर्मचारी हों जितनों का होना इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक होता है। उस क्षेत्र में जितन भी उद्योग स्थापित होंग उन सभी में योजना लागू होगी।

†**श्री कुन्हन** : क्या यह योजना केरल राज्य के बीमा किये हुये कर्मचारियों के परिवारों के लिये भी लागू की गई है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली** : केरल में यह योजना एलप्पी क्विलान, त्रिचूर, अल्वाई, एरणाकुलम, अल्ग प्पानगर, त्रिवेन्द्रम् कोजिकोर्ड तथा दो-तीन और जगहों में लागू कर दी गई है ।

श्री निरुमल राव : क्या सरकार का ध्यान इस योजना के अन्तर्गत चलने वाले बम्बई के कुछ अस्पतालों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित किया गया है जो कि गैर-सरकारी डाक्टरों को सौंप दिये गये हैं ?

†**श्री आबिद अली** : कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो दूर कर दी गई थीं ।

†**श्री नंजप्पा** : माननीय मन्त्री ने कहा था कि डाक्टरों आदि की कमी के कारण कुछ केन्द्र नहीं खोल जा सके । डाक्टरों आदि की कमी के कारण कितने केंद्र नहीं खोले जा सके !

†**श्री आबिद अली** : जी नहीं, मैं निवेदन कर चुका हूं कि परिवार शामिल नहीं किये गए हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : परिवारों के लिये यह रियायत किन-किन नगरों में दी गई है ?

†**श्री आबिद अली** : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया था और यदि माननीय सदस्य दुबरा चाहते हों तो वह पूर्व सूचना दे सकते हैं । मैं तो उसे सदन के सम्मुख रख दूंगा । यह एक लम्बी सूची है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : प्रश्न के भाग (ख) में मैंने पूछा था कि क्या कोई निश्चित तारीख इसके लिये रखी गई है । निगम की पिछली बैठक में माननीय मन्त्री ने राज्य सरकारों से निवेदन किया था कि वे भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के लिये एक समय तालिका बनाने में उन्हें सहयोग दें । अनुरोध करने के बावजूद भी कुछ भी प्रगति नहीं हुई है ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: इस प्रकार के निराशावादी दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता नहीं है । राज्यों से मेरा वैयक्तिक सम्पर्क रहता है । तालिकायें उन्हें बता दी गई हैं अर्थात् उन तारीखों की तालिका उन्हें बता दी गई है जिनको अनेक कार्रवाई की जायेंगी । मुझे विश्वास है कि पर्याप्त प्रगति हो रही है ।

†**डा० सुशीला नायर**: कर्मचारी राज्य बीमा योजना में स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति सन्तोष-जनक न रहने का खास कारण यह बताया जाता है कि उस पर राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार दोनों का नियन्त्रण रहता है । इसमें सुधार करने के लिये क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**श्री नन्दा** : इस सम्बन्ध में जो विधान है उसमें कुछ कुछ प्रबन्ध कर दिया गया है । हो सकता है कि कुछ चीजें राज्यों में की जानी हों जिनके लिये हम उन्हें केवल समझा-बुझा सकते हैं । इसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कर सकते किन्तु मुझे विश्वास है कि इस दौरान में सुधार हो गया है ।

फाउन्टेन पेनों का निर्माण

†*६२२. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में भारत में कितने फाउण्टेनपेन बने ;

(ख) क्या उपरोक्त काल में कुछ फाउण्टेनपेनों का निर्यात हुआ था ; और

(ग) यदि हां, तो उनका मूल्य क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) बड़े पैमाने के उद्योगों में लगभग ११० से १२० लाख फाउण्टेनपेन बने। छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है यद्यपि अनुमान है कि वहां भी १ करोड़ से अधिक फाउण्टेनपेन बने होंगे।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) जनवरी-नवम्बर, १९५९ में १,५७,००० रु० के फाउण्टेनपेनों का निर्यात हुआ।

†**श्री पांगरकर**: क्या १९५९ में भारत में फाउण्टेनपेन बनाने वाले कारखानों को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी।

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्यतया कोई वित्तीय सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिये टैक्निकल सहायता की, कच्चे माल की सुविधाओं और आयात लाइसेंसों की आवश्यकता होती है।

†**श्री पांगरकर** : क्या यह सच है कि जापान और पश्चिमी जर्मनी से फाउन्टेनपेन बड़ी संख्या में चोरी से भारत आते हैं ? यदि हां, तो इनकी रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की

†**श्री मनुभाई शाह** : उनके आयात पर गत वर्षों से पूर्ण प्रतिबन्ध है क्योंकि हमारा उत्पादन हमारी आवश्यकता से बहुत अधिक है। वास्तव में हम इनका निर्यात करते हैं और निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी सम्भव है थोड़ी संख्या में फाउण्टेनपेन अन्य वस्तुओं की भांति चोरी से आते हों।

†**श्री राधा रमण** : क्या भारत में बने फाउण्टेनपेन पहिले आयात होने वाले फाउण्टेनपेनों की अपेक्षा उत्तम किस्म के हैं ? उनका मूल्य कम है या अधिक ?

†**श्री मनुभाई शाह** : औसत रूप में मूल्य प्रत्येक किस्म के फाउण्टेनपेनों का काफी कम है। अनेक फाउण्टेनपेन प्रथम श्रेणी के हैं। हमने फाउण्टेनपेनों का मूल्सयानुसार क, ख और ग श्रेणी में वर्गीकरण करने का प्रयत्न किया है। हम निश्चित स्तर लागू करने के लिये टैक्निकल विशेषज्ञों की व्यवस्था करने पर विचार कर र हैं ताकि उनकी किस्म वर्तमान की अपेक्षा उत्तम हो जाये। समूचे रूप में किस्म बहुत ही सन्तोषजनक है।

†**श्री राधा रमण** : क्या देश में बनने वाले फाउण्टेनपेनों में पूर्णतया स्वदेशीय माल प्रयोग होता है या अब भी उनके कुछ भागों का आयात होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : दो वर्ष पूर्व कुल भागों तथा सामान का ६ करोड़ रु० से अधिक आयात हुआ था और अब लगभग २० लाख रु० का समस्त प्रकार का सामान आयात होता है। इससे विदित होता है कि अधिकतर फाउण्टेनपेन स्वदेशीय हैं। हम चाहते हैं कि चालू वर्ष में इन भागों का भी कोई आयात न हो।

चिल्का झील के निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ का पानी

†***६२३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री १८ दिसम्बर १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चिल्का झील के बन्ध की मरम्मत करने और पास की जमीनों से पानी निकालने के लिये जिनमें विस्थापित व्यक्तियों की जमीनें भी हैं क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या अब तक कार्य पूरा हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) और (ख). जमीनों से पानी निकल गया है। बन्ध की मरम्मत का कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग को दे दिया गया है और हो रहा है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार को विदित है कि जलमग्न जमीनों से बाढ़ का पानी कम हों जाने पर भी वहां अब भी बाढ़ का पानी है और पानी के न निकाल जाने के कारण जमीन में कृषि नहीं की जा सकी है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : राज्य सरकार ने हमें सूचित किया है कि पानी निकल गया है और बन्ध की उचित मरम्मत समाप्त हो रही है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : बाढ़ के पानी से कितने एकड़ जमीन जलमग्न हो गई थी और इस कारण पीड़ित विस्थापित व्यक्तियों को कितना प्रतिकर या सहायता दी गई थी ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : कुल लगभग ११०० एकड़ जमीन जलमग्न हो गई थी जिसमें से केवल ७०० एकड़ जमीन विस्थापित व्यक्तियों की थी और उसमें फसल खड़ी थी। हमने राज्य सरकार से कहा है कि वह भविष्य में उचित पूर्व सावधानी से काम ले ताकि बन्ध में और कोई दरार न हो।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस बन्ध की मरम्मत के लिये राज्य सरकार ने कोई वित्तीय सहायता मांगी है और यदि हां तो क्या राज्य सरकार को कोई सहायता दी गई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : अभी तक राज्य सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। राज्य सरकार की प्रार्थना प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जायगा।

श्रम बैंक

\+

†*६२४. **श्री प्र० गं० देव** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम सुभग सिंह :
पंडित डा० ना० तिवारी :
श्री मोहन स्वरूप :
कुमारी मो० वेदकुमारी :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'श्रम बैंक' खोलने के प्रस्ताव पर, जहां व्यक्ति काम के घण्टे दान दे सकते हैं, सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्तिम निश्चय कब होगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री स० ना० मिश्र)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). योजना आयोग ने हाल ही में राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति का पूर्ण उपभोग करने के अस्थायी सुझाव भेजे थे। आयोग के पत्र की एक प्रति पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० १९६५/६०] राज्य सरकारें प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं।

†**श्री प्र० गं० देव** : कृषि उत्पादन बढ़ाने और सामुदायिक आस्तियां बनाने के लिये निवृत्ति प्राप्त कृषि अधिकारियों को काम देने पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : यह ब्यौरे की बात है। अभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह १०० रु० के मूल्य का कार्य दान देने की वही योजना है जिसका निश्चय योजना आयोग ने किया था ? यदि हां तो क्या यह सच है कि अधिक श्रमदान देने वालों को कुछ अतिरिक्त धन भी दिया जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : श्रमदान के लिये भुगतान करने का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि व्यक्ति राष्ट्रीय कार्य के लिये कुछ दान करें, वह चाहे श्रम के रूप में हो या धन के रूप में।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में उल्लेख है कि कार्य कार्यक्रम में साधारणतया पांच कार्य होंगे और उनमें तीसरी मद निम्न है :

> "स्थानीय विकास कार्य में स्थानीय जनता श्रमदान देती है और कुछ सहायता सरकार देती है।"

क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी कम करने के लिये यह योजना लागू की जा रही है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : अनेक योजनायें हैं। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति व उद्देश्यों के लिये विभिन्न योजनायें हैं। स्थानीय विकास में सरकार कुछ सहायता देती है और जन साधारण अपना कार्य करते हैं। यह कार्य श्रम या धन दोनों में से किसी भी रूप में हो सकता है अन्य कार्य भी है। उदाहरणार्थ, पंचायतों में खेतों की नालियों, तालाबों आदि का ठीक रखना कुछ प्रचलित दायित्व हैं। अतः योजना के अनेक भाग हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों में पंचायतों के लगाये गये श्रम कर को लागू करने का सर्वेक्षण किया है और उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम रहा ? क्या श्रम बैंक को देश में लोकप्रिय बनाने का कोई प्रयास किया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : कुछ राज्यों में पंचायतें श्रम कर लगाती हैं और हम ने राज्य सरकारों के टिप्पण मांगे हैं। योजना आयोग ने अपनी ओर से इस का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

†**श्री सूपकार** : इस शब्द का क्या अर्थ है ? क्या यह **श्रमदान** का दूसरा नाम है, या यह एक ऐसा स्थान होगा जहां संबंधित व्यक्तियों की श्रम शक्ति भावी प्रयोग के लिये एकत्रित रहेगी ?

†**श्री जाधव** : ये सुझाव विभिन्न राज्यों को कब परिचालित किये गये थे और उनकी प्रतिक्रिया क्या हैं।

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : ये जनवरी में परिचालित किये गये थे और हमें उत्तर प्राप्त होने लगे हैं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कुछ विस्तृत, दो राज्य सरकारों ने अन्तः कालीन उत्तर दिये हैं। अन्य राज्य सरकारों के उत्तरों की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा विद्रोही

\+

†*६२५. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुबिमन घोष :
श्री दा० रा० चावन :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री पांगरकर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम राज :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री**, सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १५ दिसम्बर, १९५९ से नागा विद्रोहियों ने कितनी बार आक्रमण किये;

(ख) सरकार तथा जनता को उन से कितनी हानि हुई;

(ग) किस प्रकार की सम्पत्ति लूटी गई ;

(घ) कितने व्यक्तियों का अपहरण किया और कितने व्यक्ति मारे गये अथवा लापता हैं; और

(ङ) इस अवधि में कितने नागा विद्रोही मारे गये अथवा पकड़े गये ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विविरण

१. १५ दिसम्बर, १९५९ से नागा विद्रोहियों के आक्रमण

नागा पहाड़ियां त्वेनसांग क्षेत्र	१३
आसाम राज्य	५
मनीपुर	६

२. सरकार तथा जनता को हुई हानि

नागा पहाड़ियां त्वेनसांग क्षेत्र . .	हानि का अनुमान लगाया जा रहा है । मृत—एक
आसाम राज्य . . .	८५१० रुपये की सम्पत्ति, ७ आग्नेयास्त्र और बारूद की २० गोलियां लूट ली गयीं अथवा

†मूल अंग्रेजी में

नष्ट कर दी गयीं, १८ इंच लम्बी रेलवे लाइन उड़ा दी गई तथा गोलियों से एक रेलवे इंजन खराब कर दिया गया ।

मनीपुर . . . . ७४७१.७५ रुपये की सम्पत्ति लूट ली गयी अथवा बर्बाद कर दी गयी ।

३. किस प्रकार की सम्पत्ति लुटी गई

नकदी, लाइसेंस वाले अस्त्र, कपड़े, खाद्यान्न, हाथ की घड़ियां और फाउन्टेनपैन•

४. उन व्यक्तियों की संख्या जो अपहृत किये गये, मारे गये अथवा लापता हों

नागा पहाड़ियां त्वेनसांग क्षेत्र . . ३५ व्यक्तियों का अपहरण किया गया .... अब भी लापता हैं ।

आसाम राज्य . . . २५ व्यक्तियों का अपहरण किया गया तथा बाद में मुक्त कर दिये गये ।

मनीपुर . . . . कुछ नहीं ।

५. कितने नागा विद्रोही मारे गये अथवा पकड़े गये

नागा पहाड़ियां त्वेनसांग क्षेत्र . . मारे गये १५

पकड़े गये . २०७

आसाम राज्य . . . कुछ नहीं

मनीपुर . . . . पकड़े गये. . . २

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस बात को देखते हुए कि बार-दार ऐसी घटनायें हुई हैं, जैसा कि विवरण में बताया गया है, क्या यह सच है कि वफादार नागाओं के मुकाबले में विद्रोही नागा कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं और यदि हां, तो इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिये विद्रोहियों से वार्ता करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : वे वफादार नागाओं से अधिक शक्तिशाली नहीं हैं । काफी लोग प्रशासन का साथ दे रहे हैं ।

†**श्री अमजद अली** : प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर के संबंध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या नागाओं को इस दर से नागा पहाड़ियां से साफ किया जा रहा है और यदि इस प्रकार से मरना जारी रहा तो क्या फिर नागा भूमि में कोई जीवित नागा शेष रह जायेगा ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : माननीय सदस्य एक ऐसी धारणा करके अपना प्रश्न कर रहे हैं जो बहुत ही असाधारण है और जो किसी भ्रम पर आधारित है ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि मोकोकचुंग में नागा लोगों की हाल ही में हुई एक सभा में एक संकल्प स्वीकार किया गया है जिसमें भारतीय संघ के अन्तर्गत एक पृथक नागा राज्य की मांग की गई है ; यदि हां तो क्या सरकार को वह संकल्प मिल गया है और उसकी उस संकल्प के प्रति क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह संकल्प हमें औपचारिक रूप से नहीं भेजा गया है। वह समाचारपत्रों में जिस प्रकार छापा गया था। उस रूप में हमने उसे देख लिया है। किन्तु इस विषय पर स्वयं सभा के लोग ही विचार कर रहे हैं और जब वे ठीक समझेंगे तब वे हमारे पास आयेंगे और उस विषय पर चर्चा करेंगे।

†**श्री हेम राज** : क्या इन विद्रोही नागाओं को पकड़ने के लिये बर्मा और पाकिस्तान के सीमान्त राज्यों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किसके द्वारा?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम लोगों के द्वारा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं श्रीमान।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या नागा लोगों की सभा द्वारा पास किये गये इस संकल्प के संबंध में, जो अभी केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजा गया है, स्थानीय पदाधिकारियों के स्तर पर आसाम के राज्यपाल अथवा वहां के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उस सभा में भाग लेने वाले लोग इस विषय पर स्वयं ही अभी सलाह कर रहे हैं तथा वहां के अन्य नागाओं से भी बातचीत कर रहे हैं। कभी-कभी वे पदाधिकारियों से भी मिले हैं किन्तु पदाधिकारियों के स्तर पर कोई बैठक अथवा चर्चा नहीं हुई है क्योंकि उन्होंने स्वयं ही स्पष्ट रूप से इस बात का निश्चय नहीं किया है कि किस बात पर चर्चा की जाये।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या आपने उन सबको क्षमादान दिया है और क्या क्षमादान की शर्तों का काफी प्रचार कर दिया गया है ताकि आप विद्रोहियों को पकड़ सकें और उन्हें शान्ति के मार्ग पर लगा सकें?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्षमादान दिया गया था। और वह काफी दिनों तक लागू रखा गया किन्तु इसमें क्षमादान के बाद किये गये अपराध सम्मिलित नहीं होंगे।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : विवरण के अनुसार विभिन्न स्थानों पर २४ आक्रमण हुये। क्या यह सच है कि यह गड़बड़ी नागा पहाड़ियों त्वेनसांग क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी उपायों में ढील डालने के कारण बढ़ गई और यदि हां, तो क्या अब सुरक्षा संबंधी उपाय दृढ़ कर दिये गये हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रश्न के उत्तर में मैं यह नहीं बता सकता कि सुरक्षा संबंधी क्या उपाय किये गये क्या। हमारे विचार में वे पर्याप्त हैं किन्तु सुरक्षा संबंधी कतने ही उपाय क्यों न किये जायें हम १०० प्रतिशत सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। सबसे अच्छी तरह सुरक्षा तभी संभव है जब स्थानीच जनता प्रशासन का सहयोग दे। एक बहुत बड़े क्षेत्र में ऐसा हुआ है। वस्तुतः बड़े बड़े क्षेत्रों में शान्ति और व्यवस्था रहने के परिणामस्वरूप ही कुछ दूर के क्षेत्रों में कुछ उपद्रव हुये हैं। वे इस बात के द्योतक हैं कि हम प्रशासन में कहां तक सफल हुये हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : जो २०० नागा लोग पकड़े गये थे क्या वे जेल में हैं अथवा मुक्त कर दिये गये हैं अथवा उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही आरम्भ की गई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं उन सब के बारे में नहीं बता सकता। यह इस बात पर निर्भर है कि उन्होंने क्या अपराध किया था। उनको या तो जेल में डाल दिया गया अथवा यदि उन्होंने अपने आपको सामान्य रूप में समर्पित किया है और उनके विरुद्ध कोई विशेष जुर्म नहीं निकला है तो उन्हें संभवतः छोड़ दिया गया है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** विवरण में यह बताया गया है कि १५ नागा मारे गये हैं तथा २०७ पकड़े गये हैं। जो नागा पकड़े गये हैं क्या उन्होंने यह बता दिया है कि उन्हें गोला बारूद कहां से मिला। क्या उनसे पूछताछ की गई थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह सामान्य प्रक्रिया है। जब एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, तब उससे सारी बातें मालूम करने की कोशिश की जाती है।

†**श्री हेम बरूआ :** समय समय पर क्षमादान की तारीख बढ़ाने की प्रक्रिया से क्या उन नागाओं की, जिन्होंने समपर्ण कर दिया था, इन विरोधी कार्यवाहियों को फिर से अपनाने के लिये प्रोत्साहन मिला है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** क्षमादान की तारीख कभी भी नहीं बढ़ाई गई है और कोई अन्तिम तारीख भी नहीं दी गई है। काफी समय पूर्व क्षमादान की घोषणा की गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह भविष्य में किये जाने वाले अपराधों के लिये नहीं अपितु इसके पूर्व किये गये अपराधों के लिये हैं। अगर आज कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिये क्षमादान नहीं मिल सकता।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या तथाकथित वफादार नागा विद्रोही कार्यवाहियों को रोकने के लिये हमारी पुलिस तथा सैनिकों का साथ दे रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूं। मैं बता चुका हूं कि अधिकांश नागा लोग विरोधी कार्यवाहियों के विरुद्ध हैं, वे काफी सहयोग दे रहे हैं। नागाओं में से ही हमने ग्राम रक्षकों को चुना है जो कि अपने ग्रामों में काफी अच्छी तरह काम कर रहे हैं क्योंकि वे उस देश में रहते हैं और उन्हें उसके बारे में जानकारी है। अतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश क्षेत्रों में काफी सहयोग प्राप्त हो रहा है।

भारतीय वस्त्रों का आस्ट्रेलिया को निर्यात

†*६२६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया की कपड़े की मंडी में भारत को दूसरे देशों से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है और भारत से भेजे जाने वाले माल की मात्रा घटती ही जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** दूसरे देशों से काफी प्रतियोगिता होने पर भी आस्ट्रेलिया को हमारा कपड़ा लगभग उसी मात्रा में जा रहा है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या चीन और जापान से प्रतियोगिता के कारण आस्ट्रेलिया को भारतीय कपड़े के निर्यात में वृद्धि नहीं हो पा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : मैंने बताया कि कोई भी कमी नहीं आई है। १९५९ के प्रथम ग्यारह महीनों में हमने १९५८ के बराबर ही माल भेजा। आस्ट्रेलिया में कपड़े के मामले में जापान से मुकाबला करना पड़ रहा है, चीन से नहीं। वस्तुतः जापानी वस्त्रों के कारण आस्ट्रेलिया में इंग्लैंड से आने वाले कपड़े की मात्रा पर असर पड़ा है किन्तु हमारे यहां से आस्ट्रेलिया जाने वाले कपड़े की मात्रा पर नहीं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : १९५८ और १९५९ में प्रत्येक वर्ष कुल कितने कपड़े का निर्यात हुआ ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : १९५८ में ४७० लाख गज़ कपड़ा भेजा गया ; १९५८ के प्रथम ग्यारह महीनों में जो ४३० लाख गज़ कपड़ा भेजा गया था उसके मुकाबले में १९५९ के प्रथम ग्यारह महीनों में ४३३ लाख गज़ कपड़ा भेजा गया।

†**श्री पलनियाण्डी** : क्या आस्ट्रेलिया के हथकरघे के वस्त्रों का निर्यात बढ़ाया जा रहा है, जबकि मिल के कपड़े का निर्यात नहीं बढ़ाया जा सकता ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : इतना अधिक नहीं ; मुख्यतः मिल के कपड़े का ही निर्यात किया जाता है।

राजस्थान में नमक उत्पादन का विकास

†*६२८. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री दामानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में नमक के स्रोतों के विकास के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) क्या राजस्थान के नमक की दरें बढ़ा दी गयी हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इसका नमक उद्योग पर क्या असर पड़ेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) साम्भर लेक, पचबद्रा और डिडवाना में नमक का उत्पादन बढ़ गया है। प्रारम्भ में वहां पर कुल उत्पादन ३० लाख मन प्रतिवर्ष था, अब १९५९ में बढ़कर ९० लाख मन प्रतिवर्ष हो गया है। साम्भर लेक में टेबल साल्ट और डेरी साल्ट के उत्पादन के लिये आवश्यक संयंत्र लगा दिये गये हैं, जिन पर २ लाख रुपयों की लागत आयी है। साम्भर लेक में ढोरों को चटाने वाले नमक के उत्पादन, नमक साफ़ करने और उस से सोडियम सल्फेट निकालने सम्बन्धी योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने डिडवाना में एक सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है।

(ख) जी, हां। हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी ने, जो कि वहां से नमक निकालने का काम कर रही हैं, साम्भर और डिडवाना के नमक का विक्रय मूल्य कुछ बढ़ा दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). उस का मूल्य इसलिये बढ़ाया गया है कि नमक की किस्म और संभरण तथा मांग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नमक का उत्पादन का कार्य वाणिज्यिक आधार पर चलाया जा सके और नमक की कीमतों का वैज्ञानिकन किया जा सके। थोक नमक के मूल्यों में होने वाली थोड़ी सी वृद्धि का खुदरा भाव अथवा उद्योग पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : साम्भर तथा सौराष्ट्र के नमक का लागत-मूल्य क्या है और क्या कीमतों में होने वाली इस वृद्धि से दोनों प्रकार के नमक के मूल्यों में असन्तुलन नहीं पैदा हो जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं। यह तो मुख्य रूप से असन्तुलन को दूर करने के लिये ही किया गया था। साम्भर का नमक अलग किस्म की मंडियों में बिकता है और खारगोदा का नमक समुद्री नमक है। इसलिये असन्तुलन पैदा होने का कोई डर नहीं है। दोनों परियोजनाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिये ही मूल्यों में यह परिवर्तन किये गये हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं ने लागत मूल्यों के बारे में पूछा है।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं वही तो बता रहा था। दोनों प्रकार के नमक के मूल्यों में तुलना नहीं की जा सकती। यदि माननीय सदस्य व्योरा चाहते हैं, तो खरगोदा नमक का मूल्य ६७ नये पैसे है, डिडवाना के स्टैन्डर्ड नमक का ५० नये पैसे और साम्भर नमक का ६२ नये पैसे है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या सरकार कुछ एक नमक कारखानों का काम विशेषतया पचबद्रा और डिडवाना का काम राजस्थान सरकार को सौंप देने का विचार रखती है; और यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ? क्या उस का यह कारण है कि इन कारखानों से आमदनी नहीं हो रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस का यह कारण नहीं था। जब हम ने सभी सरकारी नमक कारखानों के लिये एक समिति बनाने का यत्न किया तो उस समय राजस्थान सरकार से पर्याप्त बात चीत की गयी थी। उस समय हम ने डिडवाना और पचबद्रा का काम राजस्थान सरकार को सौंप देने का निर्णय किया था।

पांडीचेरी में न्यायपालिका

†*६२९. **श्री तंगमणि:**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री प्रभात कार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पांडिचेरी को न्यायपालिका को शेष भारत संघ की न्यायपालिका के समान ही बना देने का विचार रखती है,

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) पांडिचेरी के लिये अन्तिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है; और

(घ) इस प्रकार के मामलों में आस पास के राज्यों के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) और (ख). सरकार को पांडिचेरी के विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि पांडिचेरी की न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया में संशोधन किया जाये ताकि अन्तिम अपीलीय न्यायालय किसी भारतीय न्यायालय को बनाया जा सके। इस समय वहां पर न्याय प्रशासन की प्रक्रिया नहीं है जो कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रारम्भ प्राप्त अभ्यावेदनों में न्याय पद्धति में आमूल परिवर्तन कर देने के प्रश्न की अपेक्षा अन्तिम अपीलीय की गयी थी न्यायालय के प्रश्न पर अधिक बल दिया गया है।

(ग) वहां पर इस समय तीन प्रकार के न्यायालय हैं और वे हैं न्यायिक न्यायालय (जुडिशियल कोर्ट्स) एक-प्रशासनिक न्यायालय और एक श्रम न्यायालय। न्यायिक न्यायालयों के निर्णयों के सम्बन्ध में अपील पेरिस स्थित अपील के लिये उच्चतम न्यायालय[1] में ही की जा सकती है। प्रशासनिक न्यायालय तथा श्रम न्यायालय के निर्णयों के सम्बन्ध में अपील पेरिस के क्रमशः राज्य परिषद्[2] तथा मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रकृष्ट न्यायालय[3] में की जा सकती है।

(घ) भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों के वास्तविक हस्तान्तरण के सम्बन्ध में फ्रांसीसी सरकार के साथ २१ अक्तूबर, १९५४ को हुए करार की शर्तों के अधीन प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ेगा और पांडिचेरी में फ्रांसीसी के न्यायाकि पद्धति को जारी रखने के सम्बन्ध में संवैधानिक स्थिति और उच्चतम न्यायालय तथा अन्य भारतीय न्यायालयों की संवैधानिक स्थिति पर भी ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ेगा। फिर भी इस समस्या के सम्बन्ध में अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया गया है।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच है कि पांडिचेरी के सरकारी अभियोक्ता को एक जिला जज के समान अधिकार प्राप्त होते हैं और उस के सम्बन्ध में कही गयी कोई भी बात न्यायालय का अपमान समझा जाता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे इस बारे में निश्चित रूप से तो ज्ञात नहीं है, परन्तु सामान्यतया फ्रांसीसी कानून के अनुसार ऐसा ही होता है।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच है कि अन्तिम अपीलीय न्यायालय पेरिस में होने के कारण सरकार ने सीमा शुल्क के प्रश्न पर कुछ एक अपीलें पेरिस के उच्चतम न्यायालय को भेज दी हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस बारे में ज्ञात नहीं है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बात को ध्यान में रख ते हुए कि संभव है कि वास्तविक प्रशासन को अपीलों के मामलों में फ्रांसीसी न्यायालयों के सम्मुख पेश होना पड़े, क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विचार किया है, क्योंकि इस से हमारी सम्पूर्ण प्रभुता पर आघात होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या माननीय सदस्य वास्तविक प्रशासन के बारे में पूछ रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन का तात्पर्य उस वास्तविक प्रशासन से है जो कि हमारे अधीन हैं। क्या विवाद उत्पन्न हो जाने पर हमें पेरिस स्थित उच्चतम न्यायालय के सामने पेश होना पड़ेगा और क्या उस से हमारी सम्पूर्ण प्रभुता का उल्लंघन नहीं होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि इस से हमारी सम्पूर्ण प्रभुता का उल्लंघन होगा। हमें कुछ एक अन्तरिम कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। अभी यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है, परन्तु फिर भी यह स्थिति निस्सन्देह असंतोषजनक है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Cour de cassation.
[2] Conseil D'etat.
[3] Cour Superieure d'aribitrage.

विधि अनुसार हस्तान्तरण के प्रश्न के अतिरिक्त अपील सम्बन्धी इस प्रश्न को भी कैसे हल किया जा सकता है ।

†**श्री अमजद अली** : प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तर से यह ज्ञात होता है कि वहां पर अभी तक फ्रांससी न्याय पद्धति चल रही है और फ्रांसीसी कानून ही जारी है । उस के स्थान पर भारतीय कानून लागू करने में कितना समय लग जायेगा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अभी अभी यह बताया है कि वहां पर इस सम्बन्ध में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, क्योंकि उस क्षेत्र का यद्यपि वास्तविक हस्तान्तरण हो चुका है, तथापि उसका विधि अनुसार हस्तान्तरण अभी तक नहीं हुआ है । परन्तु मैं नहीं कह सकता कि विधि अनुसार हस्तान्तरण के बिना भी विन्यास पद्धति के सम्बन्ध में कुछ किया जा सकता है । हम इसी बात पर विचार कर रहे हैं । परन्तु इस के साथ ही साथ हम ने कुछ एक आश्वासन भी दिये हैं थे यद्यपि वे स्पष्ट रूप से विधि पद्धति के सम्बन्ध में नहीं थे, तो भी वे इस से किसी न किसी रूप से सम्बन्धित हैं—कि हम उन में एक कम परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि वह पद्धति किन्हीं विशिष्ट उपायों, सीमा शुल्क आदि के सम्बन्ध में इस्तेमाल की जा रही है । इसलिये हमें बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पांडिचेरी की विधान सभा ने स्पष्टतया यह राय प्रकट की है कि 'वास्तविक प्रशासन' की स्थिति में भी वैधानिक परिवर्तन कर दिया जाये, क्या सरकार यह समझती है कि पांडिचेरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उक्त परिवर्तन का विरोध करेंगे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्योंकि उन्हों ने हमें वैसा ही बताया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत-पाक सीमा करार

†*६०९. **श्री वाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** १८ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का विनिश्चय करने के लिये जांच कर ली है कि पाथरकांडी के जिन पांच गांवों को पाकिस्तान को दे देने का विचार किया गया है, उन में कुल कितने मुसलमान रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान करीमगंज जिला कांग्रेस समिति द्वारा पारित किये गये इस संकल्प की ओर आकृष्ट किया गया है कि ये पांच गांव रेडक्लिफ निर्णय के परिणामस्वरूप भारत में सम्मिलित किये गये थे ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). इमाबराय, लाटीटीला, कारखाना, पुतनीगांव, बोरपुतनी गांव और पुतनी गांव नामच ग्रामों में कुल २४ मुसलमान परिवार रहते हैं । यह बताना संभव नहीं है कि क्या इस में से किसी भी गांव पर पूर्णतया या अंशतः भारत-पाक

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमांकन का कुछ असर पड़ेगा। इस क्षेत्र में भारत-पाक सीमांकन की वास्तविक सीमा निर्धारण करने के प्रश्न पर आसाम और पूर्वी पाकिस्तान के भूमि अभिलेखों और सर्वेक्षण के डायरेक्टर विचार कर रहे हैं।

(ग) जी हां।

आस्थगित भुगतान योजना

†*६१६. **श्री अब्दुल सलाम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्थगित भुगतान योजना का अनुसरण नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). आगामी पांच छः वर्षों में विदेशी ऋणों में से पर्याप्त राशि की अदायगी करनी है, इसलिये सरकार उस बोझ को और अधिक नहीं बढ़ाना चाहती। इसलिये आस्थगित भुगतान की शर्तों पर सरकार केवल उन्हीं संयंत्रों और मशीनरियों के आयात की मंजूरी दे रही है जिन से इतनी बचत हो जाये या इतनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो जाये कि उस से इन मशीनरियों के दाम चुकाये जा सकें।

दार्जिलिंग में तिब्बती व्यक्ति

†*६२१. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से तिब्बती व्यक्ति विभिन्न भेषों में दार्जिलिंग के विभिन्न भागों में आकर बस गये हैं;

(ख) क्या कुछ तिब्बती व्यक्तियों ने दार्जिलिंग में अपने मकान भी खरीद लिये हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन तिब्बती व्यक्तियों की पहचान के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) तिब्बती लोगों के किसी भेष में दार्जिलिंग ज़िले में दाखिल होने के सम्बन्ध में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) जी नहीं। परन्तु १९ व्यक्तियों ने कालिम्पांग में मकान खरीदे हैं।

(ग) दार्जिलिंग जिले में पहुंचने पर प्रत्येक तिब्बती व्यक्ति से अच्छी प्रकार से पूछताछ की जाती है और स्थानीय प्राधिकारियों के पास उन्हें अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है।

पाकिस्तान में हिन्दू तथा सिख संस्थायें

†*६२७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुओं और सिखों की संस्थाओं की पाकिस्तान में रह गयी न्यास सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई बातचीत या पत्र व्यवहार हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) हाल में ऐसी कोई बातचीत या पत्र व्यवहार नहीं हुआ है ।

(ख) पाकिस्तान सरकार का इन मामलों के सम्बन्ध में रवैया कोई अच्छा नहीं रहा है ।

फियेट कारें

†*६३०. **श्री खादीवाला :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर कारों पर नियंत्रण लगाने के बाद फियेट कार की मांग काफी बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कितनी बढ़ी है ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मोटर कारों की मांग आमतौर पर बढ़ती जा रही है । लेकिन यह ठीक ठीक निश्चित करना मुमकिन नहीं है कि हर मेकर की कारों की मांग कितनी कितनी है ।

मध्य प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति

†*६३१ **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री ब्रि० दास गुप्त :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के कितने परिवारों को अब तक पुनर्वास के लिये मध्य प्रदेश में सरगूजा भेजा गया है ;

(ख) प्रत्येक परिवार को कितनी भूमि आवंटित की गयी थी और १९५९ में प्रति एकड़ कितनी फसल प्राप्त हुई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोई और उपाय किये बिना ही उन व्यक्तियों को निर्वाह अनुदान देना बन्द कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) ८०१ ।

(ख) सात एकड़ । उपज प्रति एकड़ दस से बारह मन धान की हुई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एरंडी के तेल का निर्यात

†*६३२. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष निर्यात शुल्क के हटा देने के बाद एरंडी के तेल के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितनी मात्रा में और कितनी कीमत के तेल का निर्यात किया गया है और ये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में कैसे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). एरंडी के तेल पर निर्यात शुल्क १ जुलाई, १९५८ से हटा दिया गया था । जनवरी–जून, १९५८ तक की अवधि में ७१५७ टन तेल का निर्यात हुआ था जिसका मूल्य १ करोड़ १३ लाख रुपये था । जुलाई—दिसम्बर १९५८ की अवधि में निर्यात बढ़कर १३,०७७ टन हो गया जिसका मूल्य १ करोड़ ९२ लाख रुपये था । जनवरी से नवम्बर, १९५९ तक को अवधि में ३१,०१४ टन तेल का जिसकी कीमत ४ करोड़ ३३ लाख रुपये थी, निर्यात किया गया था ।

नई दिल्ली के मोटर कारों की चोर बाजारी

†*६३३. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री प्र० गं० देब :
श्री खादीवाला :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि नई दिल्ली में मोटर कारों की खरीद में चोर बाजारी चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बन्धक की व्यवस्था से कारों के पुनर्विक्रय पर लगाये गये प्रतिबंध का कोई असर नहीं रह जाता ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

मोटर कार (वितरण तथा विक्रय) नियन्त्रण आदेश, १९५९ को लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि नयी मोटर कारों का समान रूप से वितरण किया जा सके और उन्हें उचित मूल्यों पर उपलब्ध किया जा सके । यह आदेश संतोषजनक रूप से चल रहा है । इस नियंत्रक आदेश के अधीन विक्रेताओं के लिये यह अनिवार्य है कि वे रजिस्ट्रेशन के क्रम के अनुसार ही कारों का विक्रय करें ।

नियंत्रक आदेश के अधीन कोई भी नयी कार खरीद की तिथि से दो वर्ष की अवधि से पहले पुनः नहीं बेची जा सकती । फिर भी, सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया

---

†मूल अंग्रेजी में

है कि हो सकता है कि कुछ व्यक्ति बन्धक पत्रों के अधीन कारों का हस्तान्तरण करके इस प्रतिबन्ध का उल्लंघन करें। अतः सरकार ने नियंत्रण आदेश के सम्बन्ध में एक संशोधन जारी किया है जिसके अधीन खरीदने की तारीख से दो वर्ष के भीतर मोटर कारों को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त सरकार ने यह भी आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति कन्ट्रोलर की अनुमति के बिना किसी एक पूंजी वर्ष में एक से अधिक नयी मोटर कार नहीं खरीद सकता।

दलाई लामा का खजाना

†*६३४. **श्री उ० च० पटनायक :**
श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम बरूआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १७ फरवरी, १९६० को 'स्टेट्स मेन' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि दलाई लामा अपने साथ भारत में बहुत सा सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुयें लाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कितनी कीमत की वस्तुएं लाये हैं ; और

(ग) क्या इसके लिये भारत सरकार से अनुमति ली गयी थी ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). जी, हां। इस सम्बन्ध में सभा में पहले ही एक वक्तव्य दिया जा चुका है ;

१९५० के अन्त में दलाई लामा ने सिक्किम दरबार के साथ की गयी एक व्यवस्था के अनुसार कुछ पैकेज सुरक्षा के लिये सिक्किम भेज दिये थे। सिक्किम सरकार ने इन पैकेजों को अपनी रक्षा में रखा था। भारत सरकार से अनुमति मांगने का प्रश्न उत्पन्न हो नहीं हुआ था।

दिसम्बर, १९५९ में दलाई लामा ने यह इच्छा प्रकट की कि वह इन पैकेजों को कलकत्ता भेजना चाहते हैं। उस सामान के परिवहन तथा सुरक्षा के लिये दलाई लामा की ओर से प्रार्थना किये जाने पर पश्चिमी बंगाल की सरकार ने एक रक्षक दल भेज दिया और वे पैकेज कलकत्ता भेज दिये गये।

भारत सरकार को यह ज्ञात नहीं है कि वास्तव में वह सम्पत्ति कितने मूल्य की है। परन्तु ऐसा कहा जाता है कि वह सम्पत्ति लगभग ८० लाख रुपयों की होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय मशीन डिजाइन संस्था

†*६३५. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अलग केन्द्रीय मशीन डिजाइन संस्था बनाने या भारी मशीन निर्माण कारखाना में एक अलग विंग बनाने के सुझावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ;

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मामला अभी सरकार के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थायें

†*६३६. **श्री वाजपेयी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५९ को उत्तर प्रदेश की हथकरघा बुनकर सहकारी संस्थाओं को छूट के रूप में दी जाने वाली कितनी राशि बकाया थी; और

(ख) अदायगी के कार्य को गति देने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) यह सूचना मिली है कि ३१-३-१९५९ को इस प्रकार की ६,००,००० रुपयों की राशि बकाया रहती थी । उस के बाद की अवधि के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) फिलहाल ३१-३-५९ तक की बकाया राशि अदा करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

ग्यांत्से में भारतीय व्यापार एजेंसी का भवन

*६३७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रधान मन्त्री** दिनांक १६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्यांत्से (तिब्बत) में भारतीय व्यापार एजेन्सी के भवन-निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक-सभा कार्य मंत्री के सचिव (श्री सादत अली खां)** : सदन में १६ नवम्बर, १९५९ को प्रश्न संख्या १३ का उत्तर दिये जाने से अब तक व्यापार ऐजेंसी की इमारत बनाने के कार्य में कोई और प्रगति नहीं हुई है । चीन सरकार के साथ इस विषय पर बातचीत और पत्र-व्यवहार चल रहा है

ट्रैक्टरों का निर्माण

†*६३८. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १९ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में ट्रैक्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

एक फर्म को १२५० ब्रिटिश ट्रैक्टर प्रति वर्ष बनाने का लाइसेंस दिया गया था । इस के अतिरिक्त उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन एक अन्य फर्म को भी एक जर्मन फर्म के सहयोग से १२ से १८ डी० बी० एच० बी० और २० से ३० डी० बी० एच० पी० के रेंज में प्रतिवर्ष १२५० ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये एक लाइसेंस दिया गया है । इन दोनों फर्मों को चालू अवधि में पूंजीगत वस्तुओं तथा पुर्जों और कच्ची सामग्री के आयात के लिये भी लाईसेंस जारी कर दिये गये हैं ? आशा है कि इस वर्ष के मध्य में ही दोनों फर्में ट्रैक्टरों का निर्माण आरम्भ कर देंगी । इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की व्यवस्था करने की दृष्टि से १२ से १८ डी० बी० एच० पी, २० से ३० डी० बी० एच० पी० और ३५ से ४५ डी० बी० एच० पी० के ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये नयी योजनायें भी मांगी गयी थीं और इस समय उन पर विचार किया जा रहा है ।

यूरोपीय देशों को चाय का निर्यात

†*६३९. **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री आचार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) १९५९-६० में अभी तक यूरोपीय देशों को चाय का कितना निर्यात किया गया है;

(ख) ये आंकड़े १९५८-५९ के आंकड़ों की तुलना में कैसे हैं; और

(ग) यूरोपीय देशों के निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)**: (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३]**

लौह अयस्क का निर्यात

†*६४०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने अब तक परदीप पत्तन से ५०,००० टन लौह अयस्क का निर्यात कर दिया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो अब तक परदीप पत्तन से कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया है; और

(ग) खान मालिकों में कोटा कैसे निर्धारित किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) फरवरी, १९६० के अन्त तक २१,००० टन लौह अयस्क का निर्यात किया जा सका है ।

(ग) राज्य व्यापार निगम सीधे ही उड़ीसा सरकार से इकट्ठा लौह-अयस्क खरीद लेता है । राज्य सरकार इसे स्थानीय खान मालिकों से प्राप्त करती है ।

मुख्य निबटारा आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली, के कर्मचारियों की छंटनी

†*६४१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ फरवरी, १९६० को नई दिल्ली के मुख्य निबटारा आयुक्त के कार्यालय के ७ अपर डिवीजन क्लर्कों, ८४ लोअर डिवीजन क्लर्कों और ५१ चपरासियों की छंटनी की जाने वाली थी;

(ख) क्या उन्हें कोई और काम नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या विभिन्न मंत्रालयों तथा सम्बन्ध कार्यालयों में बहुत से स्थान रिक्त पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन व्यक्तियों को उन रिक्त स्थानों पर नियुक्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वरा क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) और (ख). ७ अपर डिवीजन क्लर्कों ८४ लोअर डिवीजन क्लर्कों और ४४ चपरासियों को नोटिस दे दिये गये थे। उन में से ३ अपर डिवीजन क्लर्कों, २९ लोअर डिवीजन क्लर्कों और १० चपरासियों को २९ फरवरी, १९६० से छंटनी में निकाल दिया गया है ? ३ अपर डिवीजन क्लर्कों, १० लोअर डिवीजन क्लर्कों और ११ चपरासियों को अन्य दफ्तरों में खपा लिया गया है और यदि शेष व्यक्ति ३१ मार्च, १९६० तक कहीं और स्थान न प्राप्त कर सके तो उन की सेवायें भी ३१ मार्च, १९६० को समाप्त कर दी जायेंगी ।

(ग) वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के सभी रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में पुनर्वास तथा रोजगार महा निदेशक के अधीन स्थापित एक विशेष विभाग को सूचित करना होता है ।

(घ) और (ङ). जिन व्यक्तियों को नोटिस दिये गये हैं, उन के नाम उक्त विशेष विभाग के पास भेज दिये गये हैं ताकि उन के लिये अन्य स्थान ढूंढ़े जा सकें :

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में स्थायी प्रदर्शिनी

†*६४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री राम गरीब :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस स्थल 'भारत, १९५८' प्रदर्शनी लगी थी, उस स्थान पर एक स्थायी प्रदर्शनी लगाने के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : एक स्थायी प्रदर्शनी के प्रश्न पर अब सक्रिय रूप से विचार किया जायेगा और आशा है कि इस के ब्यौरे लगभग दो मास तक तैयार कर लिये जायेंगे, तब तक उस स्थान से कृषि प्रदर्शनी का सामान भी हट चुकेगा ।

अधिकृत लेखापाल[1]

†६४३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकृत लेखापाल संस्था द्वारा अपने छात्रों की प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं को सुधारने के लिये नियुक्त की गयी समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय कर लिया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ग). समिति ने सिफारिशों पर विचार किया है और सामान्य रूप से उन्हें स्वीकार कर लिया है । संस्था से कह दिय गया है कि उन सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया जाये ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । (**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४**]

राजपुरा (पंजाब) में उद्योग

†७२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजपुरा के किस किस उद्योग ने केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त किया है और इस समय उन उद्योगों की क्या अवस्था है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Chartered Accountants.

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	ऋण प्राप्त करने वाले उद्योग/ समवाय का नाम	उद्योगपतियों द्वारा जितने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने का वचन दिया गया	शर्तें, अर्थात्, व्याज की दर, अदायगी की अवधि आदि	विशेष
१	मेसर्स रोड मास्टर इंडस्ट्रीज़ आफ़ इंडिया लिमिटेड	१४० से २२५	व्याज की दर ४½ प्रतिशत, ८ वार्षिक समान किस्तों में अदायगी की जायेगी । ऋण प्राप्त करने की तिथि के बाद प्रथम दो वर्षों तक साधारण व्याज लिया जायेगा । उस के बाद तीसरे वर्ष से ८ वार्षिक समान किस्तों में मूलधन और व्याज अदा करना पड़ेगा ।	यह ऋण मशीनरी की कीमत के ५० प्रतिशत के बराबर दिया गया है । सरकार द्वारा वह मशीनरी बंधक रख ली गयी है ।
२	मेसर्स कपूरथला नार्दर्न इंडिया टेनरीज़ लिमिटिड, (मेसर्स निट बोन ग्लू वर्क्स) ।	६० से ८०	तदैव	तदैव

अमरीका में भारतीय

†७२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय अमरीका में कुल कितने भारतीय राष्ट्रजन हैं ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस समय अमरीका में भारतीय उद्भव के ५००० से अधिक लोग हैं । लगभग २००० पश्चिमी राज्यों, विशेषतया केलोफोर्निया, में बसे हुए हैं । बहुत से लोगों ने अमरीका की नागरिकता अपना ली है ।

होजरी के सामान का निर्यात

†७२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में होज़री के सामान के निर्यात की स्थिति १९५८-५९ की तुलना में कैसी रही है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या विदेशों में भारतीय होजरी के सामान की मार्केट के विस्तार की कोई और गुंजायश है ;

(ग) यदि हां, तो १९५८-५९ और १९५९-६० में उन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) किन किन देशों को निर्यात में वृद्धि हुई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) केवल, १९५९ तक के बारे में ही आंकड़े उपलब्ध हैं : १९५९-६० में (अप्रैल से नवम्बर तक) होज़री के सामान का निर्यात १९५८-५९ की तुलना में कुछ कम रहा है ।

(ख) जी हां ।

(ग) ऊनी होजरी के सामान के लिये—(१) १ अप्रैल, १९५८ से जो निर्यात संवर्धन प्रेरणा योजना लागू की गई थी, उस के अधीन उनी होज़री के सामान के लिये निर्माताओं तथा निर्यातकर्ताओं को कच्ची सामग्री के लिये अतिरिक्त आयात लाइसेंस दिये गये हैं । (२) विदेशों को निर्यात सम्बन्धी सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल बाहर भेजने का विचार है ।

(घ) अप्रैल–नवम्बर तक के तुलनात्मक आंकड़ों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मध्य पूर्वी देशों को निर्यात में वृद्धि हुई है । सिंगापुर को आर्ट सिल्क की होज़री के सामान के निर्यात में और ब्रिटेन, मलाया, अफ़गानिस्तान, घाना, केन्या और इथियोपिया को सूती होज़री के सामान के निर्यात में वृद्धि हुई है ।

विस्थापित व्यक्तियों की चल सम्पत्ति

†७२४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री २४ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों की चल सम्पत्ति के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच विचाराधीन मामलों को सुलझाने में और क्या प्रगति हुई है ?

†पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : कोई और प्रगति नहीं हुई है ।

प्रमुख नताओं के भाषणों के रिकार्ड

†७२५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री २४ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख नेताओं के भाषणों के रिकार्ड तैयार करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : एक विवरण संलग्न है, जिस में जानकारी दी हुई है ।

विवरण

वे महान् व्यक्ति जिन के भाषण और आगे तैयार किये गये	१ नवम्बर, १९५९ से ३१ जनवरी, १९६० तक तैयार किये गये रिकार्डों का समय
महात्मा गांधी . . .	४ घंटे १५ मिनट
श्रीमती सरोजिनी नायडू .	३० मिनट
डा० रवीन्द्रनाथ टैगोर . .	४ मिनट

राजस्थान में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति

†७२६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा जिले के घट्टी, परानिया और गोरधनपुरा में पूर्वी पाकिस्तान से आये कुल कितने विस्थापित व्यक्ति अब तक बसे ;

(ख) उन को प्रति परिवार कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि रुपये के देरी से भुगतान के बारे में शिकायतें हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) २५१ कृषक और १५ गैर-कृषक परिवार।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ग) और (घ). १४५ विस्थापित परिवारों के दूसरे दल को बैल खरीदने के लिये ऋण देने में कुछ विलम्ब हुआ था। बैलों की खरीद स्थानीय अधिकारियों द्वारा मेले में की जाती है। इन परिवारों में से अधिकांश को बैल दिये जा चुके हैं और बाकी, लगभग ३५, परिवारों को, मनोहर-थाना पशु मेले से खरीद कर बैल दिये जाने की आशा है। यह मेला २५ मार्च को आरम्भ होगा।

रस तोलने की स्वचालित मशीनें

†७२७. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रस तोलने की स्वचालित मशीन बनाने के प्रस्ताव का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सहयोगियों के क्या नाम हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सरकार ने १९५८ में ब्रिटेन की एक फर्म के सहयोग से रस तोलने की स्वचालित मशीनों के निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। भारतीय सार्थ इस योजना में अब अभिरुचित नहीं है क्योंकि विदेशी सहयोगियों से उन की व्यवस्था टूट गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग सम्बन्धी जापानी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन

†७२८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री इ० मधुसूदन राव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री भंज देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुटीर तथा लघु उद्योगों सम्बन्धी जापानी विशेषज्ञ शिष्टमण्डल से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ग) स्वीकार की गई सिफारिशों का क्या स्वरूप और ब्यौरा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) कुटीर तथा लघु उद्योगों सम्बन्धी जापानी शिष्टमंडल का प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खादी

†७२९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ७ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ६२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना बिकी खादी को बेचने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ;

(ख) बिना बिकी खादी कितनी बिक चुकी है ; और

(ग) क्या खादी की बिक्री पर और छट (रिबेट) देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ३१ जनवरी, १९६० तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार २ अक्तूबर, १९५९ से १४ नवम्बर, १९५९ के बीच की अवधि में १.७६ करोड़ रुपय की खादी बिकी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह अनुमान लगाया जाता है कि लगभग ५० से ६० प्रतिशत माल बिक चुका है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

लघु उद्योग क्षेत्र से सामान की खरीद

†७३०. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की सहायता से १९५८-५९ में लघु उद्योग क्षेत्र से कितने मूल्य का सामान खरीदा गया ; और

(ख) १९५८-५९ में लघु उद्योग क्षत्र से निगम की सहायता के बिना कितने मुल्य का सामान खरीदा गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) २·५६ करोड़ रुपय।

(ख) २ करोड़ रुपये (इसमें खादी के सामान के ६५ लाख रुपये भी शामिल हैं)

निकोटीन सल्फेट

†७३१. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री म० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक भारत में कितने निकोटीन सल्फेट का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) इसका देश में किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय रासायनिक अनुसन्धान प्रयोगशाला, पूना में किये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप निकोटीन सल्फेट का देश में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है ;

(घ) इसके उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इसके उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) कीटाणुनाशक निकोटीन साल्ट्स, जिनमें निकोटीन सल्फेट भी शामिल है, के बारे में जानकारी निम्न प्रकार है :

वर्ष	आयात की गयी मात्रा	मूल्य (रुपये)
१९५८-५९	३ टन	२७,०००
१९५९-६० (सितम्बर, १९६० तक)	२ टन	१८,०००

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निकोटीन सल्फेट का कृषि की फसल और पौधों के कीटाणुओं के नियंत्रण के लिये कीटाणुनाशक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोशाला, पूना के अनुसार प्रति दिन[1] टन रद्दी तम्बाकू[1] से निकोटीन सल्फेट तैयार करने की क्षमता वाले संयंत्र की कुल पूंजी लागत (चालू पूंजी छोड़ कर) ६०,००० रुपये होगी।

(ङ) राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना ने रद्दी तम्बाकू से निकोटीन सल्फेट बनाने का एक 'प्रोसेज़' (तरीका) निकाला है जो भारतीय पेटेन्ट संख्या ४५६६६ और ५४८६७ के अन्तर्गत आता है। यह 'प्रोसेज़' वाणिज्यिक स्तर पर माल तैयार करने के लिये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा मेसर्ज टुबैको बाई प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, मद्रास को पट्टे पर दिया गया है। इस फर्म को दक्षिणी जोन के लिये पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस फर्म ने हाल में उत्पादन आरम्भ कर दिया है। जब तक यह समवाय नियमित रूप से उत्पादन नहीं करने लगती और जब तक इस पदार्थ की सम्भावित आवश्यकता का अधिक सही अन्दाज नहीं लगाया जाता, तब तक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने अन्य क्षेत्रों में लाइसेंस देने का विचार स्थगित कर दिया है।

चिपकने वाले टेप

†७३२. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक भारत में कितने प्रेशर सेन्सिटिव एढेसिव टेप्स (चिपकने वाले टेप) का आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) इसका देश में किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना में किये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप प्रेशर सेन्सिटिव एढेसिव टेप्स का देश में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है ;

(घ) इनके निर्माण के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इसके उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). केवल 'एढेसिव टेप्स' (औषधीय) के आयात के आंकड़े उपलब्ध हैं और १९५८ और १९५९ में (जनवरी से नवम्बर तक) आयात के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	मूल्य हजार रुपयों में
१९५८ . . .	७९२
१९५९ (जनवरी से नवम्बर तक) . .	११३८

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Tobacco waste

जब कि सेल्यूलोज एढेसिव टेप्स सामान्यत: स्टेशनरी में काम आते हैं, प्रेशर सेन्सिटिव टेप का इस्तेमाल सर्जिकल (चीरफाड़) और मेडिकल (औषधीय) कार्यों में होता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पूना में निकाले गये तरीके के अनुसार ये लघु उद्योग में बनाये जा सकते हैं। पूंजी विनियोजन कारखाने के आकार पर निर्भर होगा, परन्तु आरम्भ में ८००० रुपये की लागत के सामान से इसका निर्माण किया जा सकता है।

कुछ सार्थ पहले से ही एढेसिव टेप बना रहे हैं और सरकारी क्षेत्र में इनका उत्पादन करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

अमोनियम ह्यूमेट[1]

†७३३. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक भारत में कितने अमोनियम ह्यूमेट का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) देश में इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था, जियालगोर में किये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप देश में उर्वरक के रूप में प्रयोग किये जाने के लिये कोयले से अमोनियम ह्यूमेट का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

(घ) इसके उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इसके उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इसका उत्पादन करना चाहती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) अमोनियम ह्यमेट का कोई आयात नहीं हुआ है।

(ख) केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था द्वारा कोयले से यह एक नई चीज़ बनाई गयी है जिसको उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करने के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ). यह सामग्री केवल छोटे पैमाने पर तैयार की गयी है और इसका परीक्षण किया गया है। इस बात का फैसला करने के लिये कि क्या वाणिज्यिक स्तर पर इसका निर्माण किया जा सकता है, बड़े पैमाने पर इसका प्रयोग किये जाने की आवश्यकता है। इसकी लागत का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ङ) इस सामग्री के निर्माण के लिये लाइसेंस के लिये अभी कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सरकारी क्षेत्र में इसको उत्पादन करने का अभी कोई विचार नहीं है।

'रिफ्रेक्टरीज पार्टस' का आयात

†७३४. **श्री प्र० के० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक भारत में कितने स्पेशल रिफ्रेक्टरीज

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] Ammonium Humate

पार्ट्स (भट्टियों में काम आने वाली विशेष उपासह वस्तुओं) का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) देश में इसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय कांच और चीनी मिट्टी अनुसन्धान संस्था, कलकत्ता में किये गये अनुसंधान के परिणामस्वरूप देश में विशेष प्रकार के रिफ्रेक्टरीज़ पार्ट स का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है ;

(घ) इनके उत्पादन के लिये एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) क्या देश में इनके उत्पादन के लिये लाइसेंस के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है अथवा क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में इनका उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन वस्तुओं के आयात के आंकड़े व्यापार वर्गीकरण में पृथक रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) ये कुछ भट्टियों में और कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिये 'किल्न फर्नीचर' (भट्टा उपस्कर) के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं।

(ग) और (घ). देश में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है, परन्तु मांग बहुत थोड़ी होने के कारण किसी ने भी इसके निर्माण के लिये रुचि नहीं दिखाई है। अतः इस बात का कोई हिसाब नहीं लगाया गया है कि इसके निर्माण के लिये उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी।

(ङ) अभी कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही सरकार का सरकारी क्षेत्र में इनका उत्पादन करने का कोई प्रस्ताव है।

थर्मोकपिल शीथ[1]

†**७३५. श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक भारत में कितने 'थर्मोकपिल शीथ' (ताप-मिथुन आवरण) का आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) देश में इस का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या केन्द्रीय कांच और चीनी मिट्टी अनुसन्धान संस्था, कलकत्ता में किये गये अनुसंधान के फलस्वरूप देश में 'थर्मोकपिल शीथ' का उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है;

(ख) इन के उत्पादन के लिए एक उद्योग स्थापित करने में कितने धन की आवश्यकता होगी; और

(ङ) क्या देश में इन के उत्पादन के लिए लाइसेंस के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है अथवा सरकार सरकारी क्षेत्र में इनका उत्पादन करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन वस्तुओं के आयात के बारे में आंकड़े व्यापार वर्गीकरण में पृथक रूप से नहीं रखे जाते।

---

†मूल अंग्रज़ी में

[1]Thermocouple Sheath

(ख) भट्टियों में तापमान नापने के लिए प्रयोग किये जाने वाले थर्मोकविल तारों के सुरक्षा आवरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है ।

(ग) और (घ). देश में इसका उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर किया जा सकता है परन्तु मांग बहुत थोड़ी होने के कारण, इसका निर्माण करने के लिए किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई । अतः उद्योग स्थापित करने के लिए अपेक्षित धन का हिसाब नहीं लगाया गया है ।

(ङ) अभी तक कोई आवेदन-पत्र नहीं मिला है और न ही सरकार का इसका निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

अनधिकृत शक्ति-चालित करघों का सर्वेक्षण[1]

†७३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में अनधिकृत शक्ति-चालित करघों का सर्वेक्षण पूरा करने में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** कुछ राज्यों में यह कार्य अभी पूरा होना बाकी है ।

कपड़ा मिलों में स्वचालित करघे

†७३७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक की अवधि में कुछ कपडा मिलों में स्वचालित करघे लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के क्या नाम हैं; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) जी, हां ।

(ख) एक सूची संलग्न है :

सूची

मिलों के नाम

१. मेसर्ज़ महेश्वरी मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद ।

२. मेसर्ज़ अहमदाबाद न्यू काटन मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद ।

३. मेसर्ज़ रुस्तम जहांगीर वकील मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद ।

४. मेसर्ज़ श्री विवेकानन्द मिल्स लिमिटेड, अहमदाबाद ।

५. मेसर्ज़ महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, भावनगर ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Survey of unauthorised power-looms

६. मेसर्ज़ श्री वेंकटेसा मिल्स लिमिटेड, उदूमलपेट ।

७. मेसर्ज़ रामलिंग चूदाम्बिकै मिल्स लिमिटेड, तिरुपुर ।

८. मेसर्ज़ श्री कृषाराजेन्द्र मिल्स लिमिटेड, मैसूर ।

९. मेसर्ज़ जगजीत कॉटन मिल्स, फागवाड़ा ।

१०. मेसर्ज़ चकोला स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, अल्वाये ।

११. मेसर्ज़ सूरत कॉटन मिल्स, लिमिटेड, देवास जार ।

१२. मेसर्ज़ वेस्टर्न इंडिया कॉटन मिल्स, पप्पीनेसरी ।

(ग) स्वचालित करघों से अधिक अच्छे कपड़े का उत्पादन करने और इस प्रकार विदेशी मार्केटों में हमारे कपड़ा उद्योग की अन्य देशों के साथ मुकाबला करने की क्षमता बढ़ाने में सहायता मिली है ।

इन्डोनेशिया को कपड़े का निर्यात

†७३८. **श्री रघुनाथ सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच एक त्रिदलीय व्यापार करार हुआ है जिसके अनुसार इंडोनेशिया भारत से ५ करोड़ रुपये के मूल्य का कपड़ा खरीदेगा और बाकी जापान और चीन को दिया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** हमें प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सिंगापुर ने ३५ लाख सिंगापुरी डालरों के मूल्य के ६७ लाख गज कपड़े के संभरण के लिए इंडोनेशिया के साथ एक कर र किया है और करार के अधीन निर्यात के प्रस्ताव एकत्रित करने का उत्तरदायित्व सिंगापुर में कुछ वाणिज्य मंडलों (चैम्बर्स आफ़ कामर्स) को सौंपा गया है जिस में भारतीय वाणिज्य मंडल (इन्डियन चैम्बर आफ कामर्स) भी शामिल है ।

नई दिल्ली में वाई० डब्ल्यू० सी० ए० होस्टल को ऋण

†७३९. **श्री रामेश्वर टांटिया : क्या निर्माण, आवास और सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ शर्तों पर नई दिल्ली में वाई० डब्ल्यू० सी० ए० होस्टल 'कान्स्टेन्टिया' को ऋण और अनुदान दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो दी गयी धनराशि का क्या ब्यौरा है और क्या शर्तें पूरी की गयी हैं ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल, १९५३ में ५०,००० रुपये का ऋण और ५०,००० रुपये का सहायक अनुदान मंजूर किया गया था और मार्च, १९५५ में ५०,००० रुपयेका और ऋण मंजूर किया गया था । ऋण और अनुदान की मुख्य शर्तें ये हैं : संस्था और सरकार के बीच एक करार की क्रियान्विति, धन के भुगतान और इसकी वापसी के तरीके, होस्टल की प्रबन्ध समिति में सरकार का प्रतिनिधान, आवास के आवंटन में सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता और धर्म के आधार पर भेदभाव न करना । सरकार को वाई० डब्ल्यू० सी० ए० द्वारा, जो कि ऋण को किस्तों में वापस कर रहा है, शर्तों के पूरा न किये जाने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

किंग्सवे कैम्प दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति

७४०. **श्री वाजपेयी :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किंग्सवे कैम्प में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या रूप रेखा है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख). किंग्सवे कालोनी में रहने वाले शरणार्थी तो बसा दिये गये हैं। इसलिए उन्हें बसाने के लिए दूसरी योजना का प्रश्न नहीं उठता।

कॉफी का निर्यात

†७४१. **श्री पांगरकर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई से दिसम्बर, १९५९ तक की अवधि में कॉफ़ी के निर्यात में १९५८ की उसी कालावधि की अपेक्षा कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो आय में कुल कितनी कमी हुई और कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(ग) कमी होने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). दिसम्बर, १९५९ के महीने में कॉफ़ी के निर्यात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष १९५८ और १९५९ के जुलाई से नवम्बर तक के महीनों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

	निर्यात की गयी मात्रा (टनों में)	आय (लाख रुपये)
जुलाई-नवम्बर, १९५८	७,६५४	३६६
जुलाई-नवम्बर, १९५९	४,९५०	१८७
कमी	२,७०४	१७९

(ग) १९५९ में जनवरी के बाद निर्यात की गयी मात्रा में १९५८ की उसी अवधि की अपेक्षा कोई कमी नहीं हुई है। बाद के आधे वर्ष में कमी पहले छः महीनों में अधिक निर्यात के कारण हुई जब कि कॉफ़ी की फ़सल ताजी होती है।

प्रेसीडेण्ट आईजनहावर के आगमन के प्रेस पास

†७४२. **श्री रामेश्वर टांटिया : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५९ में प्रेसीडेन्ट आईज़नहावर के आगमन की सूचनायें देने के लिए प्रेस सूचना विभाग ने कितने भारतीय सम्वाददाताओं तथा फोटोग्राफरों को पास दिये थे और उनके समाचारपत्रों तथा एजेंसियों के नाम क्या हैं;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या यह सच है कि प्रेस सूचना विभाग ने अनेक अपत्रकारों को भी पास दिये थे और

(ग) क्या यह सच है कि कुछ सम्वाददाताओं को जिन को प्रेस पास दिये गये थे प्रेसीडेन्ट आईजनहावर के अन्य ऐसे अन्य कार्यक्रमों पर नहीं बुलाया गया जिन के पास प्रेस सूचना विभाग ने दिये थे ।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ख) नहीं, श्रीमान् । प्रेस सम्वाददाताओं और फोटोग्राफरों की प्रार्थनायें प्राप्त होने पर "प्रेस सेवा" बिल्ले दिये गये थे ताकि ध्वनि इंजिनियरों, बिजली का काम करने वालों, टेक्निसियनों, प्रकाश दिखाने वाले लड़कों और साधारण सहायकों को उनका कार्य सुविधाजनक बनाने के लिए दिये गये थे ।

(ग) प्रेस सूचना विभाग द्वारा दिये गये 'प्रेस बिल्ले' समस्त कार्यक्रमों के लिए मान्य न थे क्योंकि कुछ कार्यक्रमों को संयोजकों ने अपने पृथक पास दिये थे । ऐसे कार्यक्रमों में संसत्सदस्यों को प्रेसीडन्ड आईजनहावर का भाषण और राष्ट्रपति भवन में प्रीतिभोज सम्मिलित है ।

घड़ियों का आयात

†**७४३. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में अब तक घड़ियों के आयात के लिए कितने परमिट दिये गये हैं ; और

(ख) इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). १९५९–६० में ३१ जनवरी १९६० तक २ लाख रु० के मूल्य के लाईसेन्स पूर्ण घड़ियां आयात करने के लिए दिये गये हैं ।

भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद

†**७४४.** { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम में भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद संबंधी हाल के करार के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों के विनिमय से लगभग ३०० भारतीय परिवार विस्थापित हो जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनके पुनर्वास का क्या प्रबन्ध किया गया है या किया जायेगा ; और

(ग) करार के अनुसार भारत को मिलने वाले क्षेत्र में इस प्रकार कितने परिवार विस्थापित होंगे ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हाल के भारत-पाकिस्तान करार के अन्तर्गत पाकिस्तान को जाने वाले सुलेमंकी हैडवर्क्स के पास के क्षेत्र की जन संख्या २१०० है । यह अनिवार्य नहीं है यह सारी जन संख्या विस्थापित बने । ये लोग अपनी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भूमियों पर रह सकते हैं और भारतीय नागरिक भी बने रह सकते हैं परन्तु उन पर उस राज्य के नियम लागू होंगे जिसके क्षेत्राधिकार में वे क्षेत्र आयेंगे।

(ख) पंजाब सरकार ऐसे पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्यवाही पर सक्रिय विचार कर रही है।

(ग) हुसैनीवाला हैडवर्क्स के पास के क्षेत्र में जो पाकिस्तान खाली करेगा, आबादी नहीं है।

थर्मामीटर

†७४५. { **श्री सुबिमन घोष :**
श्री दा० रा० चावन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि राष्ट्रीय उपकरण कारखाना एक जापानी फर्म के सहयोग से क्लिनिकल थर्मामीटर बनायेगा ;

(ख) यदि हां, तो वार्षिक उत्पादन कितना होगा ;

(ग) उत्पादन कब आरम्भ होगा ;

(घ) क्या कोई अन्य कम्पनी या संस्था ऐसे थर्मामीटर पहिले से ही बना रही है ;

(ङ) यदि हां, तो उस कम्पनी का नाम क्या है, वह कहां स्थित है और उसका वार्षिक उत्पादन कितना है ; और

(च) आयात होने वाली वस्तुओं के मूल्य की अपेक्षा इन वस्तुओं का कितना मूल्य होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १९६२–६३ तक ६,००,००० क्लिनिकल थर्मामीटर प्रति वर्ष बनने की आशा है।

(ग) आशा है कि उत्पादन १९६०–६१ में आरम्भ हो जायेगा।

(घ) और (ङ). मेसर्स हिन्द थर्मामीटरस, अमृतसर बना रहे हैं। उनकी क्षमता २,१६,००० थर्मामीटर प्रति वर्ष बनाने की है।

(च) विदेशों से आयात होने वाले थर्मामीटरों के मूल्य के मुकाबले इनका मूल्य ठीक होगा।

शंघाई में भारतीय

७४६. **श्री पद्म देव :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय संघाई में रहने वाले भारतीयों की कितनी संख्या है ; और

(ख) उनके प्रति चीन सरकार का बर्ताव कैसा है ?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सब से हाल की सूचना के अनुसार, इस समय शंघाई में कुल मिलाकर ७८ भारतीय राष्ट्रिक होंगे।

(ख) भारतीय राष्ट्रिकों के प्रति चीन सरकार का रवैया उसी तरह का मालूम होता है जैसा कि चीन में रहने वाले दूसरे विदेशियों के प्रति है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार व्यक्ति

†७४७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में आद्यतन कितने व्यक्ति (प्रवीण तथा अप्रवीण) काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध हुए ; और

(ख) १९५९–६० में अब तक कितने व्यक्तियों को काम मिला है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क)

श्रेणी	जनवरी १९६० के अन्त में चालू रजिस्टरों में उम्मीदवारों की संख्या
प्रवीण व अर्ध प्रवीर्ण .	२६७
अप्रवीण	२,४९४
अन्य	१,३१९
योग . .	४,०८०

बेल्जियम के साथ व्यापार

†७४८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९ में बेल्जियम के साथ भारत का व्यापार कम हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) १९५९ के प्रथम ग्यारह मास में बेल्जियम के साथ भारत का आयात व निर्यात दर्शाने वाला विवरण सम्बद्ध है । १९५९ के कथित काल और १९५८ के तत्स्थानी काल के आंकड़े अब उपलब्ध हैं ।

विवरण

(मूल्य लाख रुपये में)

	जनवरी-नवम्बर १९५८	जनवरी-नवम्बर १९५९
बेल्जियम से भारत में आयात . .	१२७२	१२३८
भारत से पुनः निर्यात सहित बेल्जियम को निर्यात	४२०	४३१
व्यापारान्तर .	–८५२	–८०७

(ख) बेल्जियम से भारत के आयात में थोड़ी कमी मुख्य कर भारत की आयात-नीति के कारण हुई है जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बचाना है ।

†मूल अंग्रेजी में

पाकिस्तान भारतीय मानचित्रों में पर प्रतिबन्ध

†७४९. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने जूनागढ़, मानवदर, मंगराल और बन्तवा राज्यों को भारतीय राज्य क्षेत्र दिखाने वाले मानचित्रों के पाकिस्तान में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस संबंध में पाकिस्तान को लिखा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) ठीक कारणों का पता नहीं है । भारत सरकार प्रतिबन्ध लगाने को भारत की सम्पूर्ण प्रभुता का अतिलंघन समझती है ।

(ग) और (घ). मामले की परिस्थितियों में यह समझा जाता है कि पाकिस्तान सरकार को लिखने से कोई लाभ न होगा ।

हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की उन्नति

७५०. { श्री पद्म देव :
श्री हेम राज :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योगों की उन्नति के लिए १९५९ में हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा किन-किन उद्योगों को और उन में से प्रत्येक को ऋण तथा सहायता रूप में कितनी रकम दी गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : पंजाब स्टेट एड टू इण्डस्ट्रीज एक्ट १९३५ जैसा कि वह हिमाचल प्रदेश में लागू है, के अन्तर्गत सन् १९५९ में हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा ऋण के रूप में १,५४,९०० रु० की राशि निम्नलिखित उद्योगों के विकास के लिए दी गई है :

क्रम संख्या	उद्योग	धन (रु०)
१.	धूप बनाने का उद्योग	५,०००
२.	तेल निकालना और कार्डिग	१४,४००
३.	चमड़ा तथा चमड़ा कमाने का उद्योग	४७,९००
४.	धान कूटने का उद्योग . .	१२,३५०
५.	लकड़ी का काम और फर्नीचर बनाने का उद्योग	१९,०००
६.	ऊनी वस्त्र उद्योग	२६,६५०
७.	कृषि सम्बन्धी औज़ार बनाने का उद्योग . . .	१,५००

†मूल अंग्रेजी में ।

क्रम संख्या	उद्योग	धन (रु०)
८.	सोलन खाद्य उत्पादन	१०,०००
९.	रस्सी बनाने का उद्योग	३,५००
१०.	हल्के इंजीनियरिंग उद्योग	३,६००
११.	साबुन बनाने का उद्योग	२,०००
१२.	बर्तन बनाने का उद्योग	२,०००
१३.	कांसे और पीतल के हुक्के बनाने का उद्योग	५,०००
१४.	मुर्गी पालन	२,०००

त्रिपुरा में विक्रय एम्पोरियम

†७५१. **श्री दशरथ देव :** क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) त्रिपुरा का सहायता तथा पुनर्वास विभाग जो विक्रय एम्पोरियम चला रहा है उसे उस के खुलने के बाद कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ख) एम्पोरियम ने अब तक कुल कितना ऋण लौटा दिया है ;

(ग) क्या एम्पोरियम हानि में चल रहा है ; और

(घ) यदि हां तो इस के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) १.५० लाख रु० ।

(ख) ऋण का भुगतान अभी देय नहीं है ।

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सरकारी कर्मचारी सर्वोदय सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली

†७५२. **श्री राम गरीब :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारी सर्वोदय सहकारी गृह निर्माण समिति लि० के लिये भूमि अधिग्रहण करने का निश्चय सरकार कब तक करेगी ;

(ख) क्या ऐसी अन्य समितियां भी हैं जो समस्त औपचारिकतायें पूरी कर चुकी हैं और भूमि के अन्तिम अधिग्रहण तथा आवंटन की प्रतीक्षा कर रही हैं

(ग) यदि हां, तो ये समितियां कौन कौन हैं ; और

(घ) सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (श्री क० चे० रेड्डी)** : (क) सरकार ने दिल्ली प्रशासन से कहा है कि वह सरकारी कर्मचारी सर्वोदय सहकारी गृह निर्माण समिति लि० के लिये भूमि प्राप्त करे। तत्पश्चात् रिंग रोड क्षेत्र में १२०० एकड़ भूमि प्राप्त की गई थी ।

(ख) और (ग). इसी प्रकार अन्य पांच सहकारी समितियों को भूमि दी गई थी और इन के नाम निम्न हैं :

१. पंचशील सहकारी गृह निर्माण समिति ;
२. सेवा सदन सहकारी गृह निर्माण समिति ;
३. बर्मा शेल सहकारी गृह निर्माण समिति ;
४. वसुमति सहकारी गृह निर्माण समिति ; और
५. चाणक्यपुरी सहकारी गृह निर्माण समिति ।

इस बारे में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इन समितियों ने औपचारिकतायें पूरी कर ली है या नहीं ।

(घ) सहकारी गृह निर्माण समितियों के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि प्राप्त करने का प्रश्न इस बात से सम्बद्ध है कि दिल्ली के आयोजित विकास के लिये १३ नवम्बर, १९५९ को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के अन्तर्गत अधिसूचित ३४,०७० एकड़ भूमि में से कुछ भूमि दे दी जाये । यहां यह भी कहा जा सकता है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों की या अन्य सहकारी गृहनिर्माण समितियों को भूमि नियत नहीं करती । उपयुक्त भूमि बताये जाने पर और समितियों को स्थानीय सक्षम प्राधिकारियों से "कोई आपत्ति नहीं" का प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाने पर दिल्ली प्रशासन भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ के अन्तर्गत भूमि अर्जन में सहायता करता है ।

छोटे उद्योगों के उत्पादों का मानकीकरण

†७५३. **श्री हेम बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे उद्योगों और हस्त उद्योगों के उत्पादों का अभी तक मानकीकरण नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार स्तर निश्चित करने के लिये प्रमाणीकरण चिन्ह या ऐसी ही कोई बात लागू करने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) छोटे पैमाने के उद्योगों के विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बड़ी संख्या के लिये और हस्त उद्योगों के कुछ उत्पादों के लिये भारतीय मानक संस्था ने मानक बनाये हैं ।

(ख) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणीकरण चिन्ह) योजना ऐच्छिक है और उस में सम्मिलित होना या न होना उत्पादक की इच्छा पर निर्भर है। फिर भी, छोटे उद्योगों और हस्त उद्योगों में निर्माताओं को इस बात पर सहमत किया जा रहा है कि वे भारतीय मानकों के अनुसार वस्तुयें बनाये और भारतीय मानक संस्था (प्रमाणीकरण चिन्ह) योजना और/या सम्बन्धित राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत उन्हें प्रमाणित करायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघे की धोतियां

†७५४. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित हुआ है कि हथकरघे की धोतियों की किस्म गिर गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; **और**

(ग) धोतियों की किस्म सुधारने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

सऊदी अरब में भारतीय राजदूत का अतिथि भत्ता

†७५५. **श्री याज्ञिक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) सऊदी अरब में जद्दा में भारतीय राजदूत को भारतीय दर्शकों तथा भारतीय तीर्थ-यात्रियों के अतिथि सत्कार पर विगत तीन वर्षों में कितना अतिथि भत्ता दिया गया ; **और**

(ख) इसी काल में हज के दिनों में जद्दा से मक्का या मदीना जाने वाले भारतीय तीर्थ-यात्रियों के अतिथि सत्कार पर कितना व्यय हुआ ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारतीय यात्रियों तथा भारतीय तीर्थ यात्रियों के अतिथि सत्कार के लिये विशेष रूप से कोई अतिथि भत्ता नहीं दिया जाता । राजदूत को अपने सामान्य प्रतिनिध्यात्मक दायित्वों की पूर्ति के लिये ७०० रु० मासिक दिये जाते हैं । यह राशि मुख्यकर सऊदी अरब के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा वहां रहने वाले अन्य विदेशी नागरिकों के अतिथि सत्कार के लिये है । ऐसे समारोहों में अतिथि मुख्य कर विदेशी होने चाहियें, यद्यपि राजदूत इन में कुछ महत्वपूर्ण भारतीय दर्शकों तथा भारतीय तीर्थयात्रियों को भी सम्मिलित कर सकता है ।

इस मासिक अनुदान के अतिरिक्त विगत तीन वर्षों में १००० रु० वार्षिक का विशेष अनुदान दिया गया था और यह विशेष कर भारत सहित समस्त से आने वाले हज तीर्थयात्रियों के अतिथि सत्कार के लिये था ।

(ख) भारतीय तीर्थयात्रियों का पृथक अतिथि सत्कार नहीं किया गया था । अतः इस मद पर व्यय हुआ धन पृथक नहीं किया जा सकता । राजदूत ने मासिक और वार्षिक अनुदानों को पूर्ण-रूपेण व्यय किया है ।

दण्डकारण्य में धान की फसल

†७५६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संरक्षक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य क्षेत्र में कृषि योग्य बनाई उस भूमि में जिस में गत वर्ष धान की खेती की गई थी, कितना धान पैदा हुआ ; और

(ख) दण्डकारण्य क्षेत्र में अब तक कुल कितने एकड़ भूमि में धान की खेती की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शें० नास्कर)** : (क) दण्डकारण्य क्षेत्र में गत वर्ष कृषि योग्य बनाई गई भूमि में लगभग ११ मन प्रति एकड़ धान पैदा हुआ ।

(ख) ४४२ एकड़ ।

टेलीविजन सेटों का आयात

†७५७. **श्री ना० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े नगरों में बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये सरकार का विचार टेलीविज़न सेट आयात करने के लिये लाईसेन्स देने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : अभी भारत में टेलीविज़न सेट आयात करने का कोई विचार नहीं है । भारत में टेलीविज़न सेवा का अभी दिल्ली में प्रयोग किया जा रहा है और यह अभी कलकत्ता तथा बम्बई में उपलब्ध नहीं है ।

पाकिस्तान को पान का निर्यात

†७५८. { **श्री प्र० के० देव** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान को पान के निर्यात में बहुत कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां तो पाकिस्तान से पान का व्यापार पुनः बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष पान के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ; और

(घ) पाकिस्तान से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) पाकिस्तान को पान का निर्यात उस देश में इस के आयात पर लगे प्रतिबन्धों के कारण कम हो गया है ।

(ख) पाकिस्तान के साथ व्यापार करार में एक देश से दूसरे देश को निर्यात होने वाली वस्तुओं की अनुसूची में पान भी सम्मिलित है, परन्तु इन वस्तुओं के व्यापार पर प्रत्येक देश के सामान्य आयात तथा निर्यात विनियम लागू होते हैं । आजकल कोई विशेष कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

(ग) और (घ) . पाकिस्तान तथा अन्य देशों को विगत तीन वर्षों में पान का निम्नलिखित निर्यात हुआ :

देश	१९५७	१९५८	मूल्य रु० में १९५९ (जनवरी-नवम्बर)
पाकिस्तान	४१,९७१	२०,८८९	१,७०२
अन्य देश	१,४८,४६६	१,४६,६३९	१,९४,७३२
योग . .	१,९०,४३७	१,६७,५२८	१,९६,४३४

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में रिंग रोड के पास सरकारी क्वार्टर

†७५९. **श्री प्र० के० देव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि नई दिल्ली के पिंजरापोल क्षेत्र में रिंग रोड के पास कई सौ सरकारी क्वार्टर बने हैं ;

(ख) उन में जल और विद्युत् की व्यवस्था करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) ये क्वार्टर वास्तविक नियतन के लिये कब तैयार हो जायेंगे ;

(घ) क्या सरकार को लोदी कालौनी में हो कर जाने वाली सड़कों पर विद्यमान भीड़ का भी ज्ञान है ;

(ङ) क्या सरकार सुजानसिंह पार्क से लिंक रोड तक, जो कोटला मुबारकपुर को डिफैंस कालौनी से अलग करती है, पिंजरापोल के क्वार्टरों का नियतन होने से पहिले एक सीधी सड़क बनाने के औचित्य पर विचार करेगी ताकि भीड़ को मोड़ा जा सके ; और

(च) यदि नहीं तो इस के कारण क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) एन्ड्रूज गंज (पिंजरापोल) में लगभग ग्यारह सौ क्वार्टर निर्माण की विभिन्न स्थितियों में हैं ।

(ख) पानी के नल लग गये हैं और बिजली जून १९६० के अन्त तक आने की आशा है ।

(ग) क्वार्टरों में बिजली लगते ही ।

(घ) सचिवालय जाने वाली सारी सड़कों पर ९ से १० बजे तक प्रातः और ५ से ६ बजे तक सायंकाल भीड़ होती है । लोदी कालौनी से हो कर आने वाली सड़क पर भीड़ की कोई विशेष शिकायत नहीं की गई है ।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । एन्ड्रूज़ गंज को लिंक रोड, लोदी रोड और लोदी ऐस्टेट्स रोड्स, सुजानसिंह पार्क से मिलाती है । इस के अतिरिक्त, गोल्फ लिंक क्षेत्र की छोटी सड़कें भी लिंक रोड को सुजान सिंह पार्क से मिलाती हैं ।

दिल्ली की द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर प्रसारण

७६०. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से दिल्ली की द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कितनी वार्तायें प्रसारित की गई; और

(ख) उन में से कितनी वार्ताएं ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारित की गईं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से दिल्ली की द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर १४ वार्तालाप और २ वाद-विवाद के अतिरिक्त ६ वार्ता प्रसारित की गईं ।

(ख) य सब के सब ग्रामीण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारित की गईं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

आकाशवाणी द्वारा प्रसारण के समय में वृद्धि

७६१. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारण के समय में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (). खपिछले वर्ष की अपेक्षा १९५९ में आकाशवाणी के कार्यक्रमों की अवधि में कुछ वृद्धि हुई है । इस का मुख्य कारण यह था कि शिमला केन्द्र से स्कूल ब्राडकास्ट जारी किये गये, एक विशेष कार्यक्रम अन्डमान निकोबार के लिये आरंभ किया गया, इन्दौर भोपाल से दोपहर का कार्यक्रम जारी किया गया और विविध भारती और इस के बम्बई सी चैनल से रिले की अवधि को कुछ बढ़ाया गया है ।

बीड़ी उत्पादन

†**७६२. श्री जाधव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जो बीड़ियां बनाई जाती हैं उन में प्रतिवर्ष कितनी तम्बाकू लगती है ;

(ख) कितनी बीड़ियां बन कर तैयार होती हैं ;

(ग) क्या उन का निर्यात भी होता है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ) . जानकारी एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

नागा विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी

†७६३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच नागा विद्रोही, जिन में फ़िजो का सेक्रेटरी भी शामिल है, हाल ही में गिरफ्तार कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन की गिरफ्तारी से उन के पास जो अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य चीजें निकलीं वे किस प्रकार की हैं और उन का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां । कि जो का एक निकट सम्बन्धी जिस का नाम केपेन्विखो अंगामी है वह तथा चार अन्य विद्रोही नागे २९ जनवरी, १९६० को सैनिक गश्त द्वारा एन० एच० टी० ए० के जुलाके में गिरफ्तार कर लिये गये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन के पास से एक राइफल और १०० कारतूस बरामद हुई थीं ।

गणतन्त्र दिवस पर कवि सम्मेलन

७६४. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणतंत्र दिवस १९६० पर नई दिल्ली में हुए आकाशवाणी द्वारा आयोजित समस्त प्रादेशिक भाषाओं के कवि सम्मेलन पर कितना खर्च हुआ ; और

(ख) उस कार्यक्रम में कवियों तथा अनुवादकों के रूप में भाग लेने वाले आकाशवाणी के कर्मचारियों का क्या प्रतिशत था ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी की कवि गोष्ठी पर जो खर्च आया उस के आंकड़ों का ठीक हिसाब आसानी से जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि जिन केन्द्रों ने गोष्ठी का कार्यक्रम अपने यहां से प्रसारित किया, यह खर्च उन के कार्यक्रमों पर किये जाने वाले कुल खर्च का एक हिस्सा है ।

(ख) २५ भाग लेने वालों में से ५ आकाशवाणी के कर्मचारी थे जिन में से एक ने अपनी लिखी हुई कविता पढ़ी और ४ ने हिन्दी में पद्य अनुवाद पढ़े ।

नये कारखानों की स्थापना

†७६५. { **श्री सैं० अ० मेहदी** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में विभिन्न शीर्षों में उन कारखानों के नाम दिय हुए हों जिन को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत नवम्बर, १९५९ से स्थापित किया जाने के लाइसेंस जारी किये गये हों ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : नवम्बर, १९५९ से जनवरी, १९६० तक मासवार जारी किये गये लाइसेंसों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]**

पंजाब में गन्दी बस्तियों को हटाने की परियोजनाएं

†७६६. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य को १९५९-६० में अब तक कौन-कौन सी गंदी बस्तियों को हटाने की परियोजनायें मंजूर की गई हैं ;

(ख) उन में से प्रत्येक के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) परियोजनाओं के काम में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). ३० मार्च, १९५९ को पंजाब सरकार ने मोगा नगर में २·८ लाख रुपये की सहमत लागत पर ८५

†मूल अंग्रेजी में

मकान बनाने के लिये गन्दी बस्ती को हटाने की एक परियोजना मंजूर की है। ३१ जनवरी, १९६० तक ये मकान लिंटल डाले जाने तक बनाये जा चुके थे।

पंजाब सरकार ने २० फरवरी, १९६० को ६·११ लाख रुपये की लागत पर अमृतसर में १७६ मकान बनाने की एक और परियोजना भेजी है जिस की जांच की जा रही है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

त्रावनकोर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) त्रावनकोर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का वर्ष १९५८-५९ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१९५३/६०]

(दो) इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड का वर्ष १९५८-५९ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१९५४/६०]

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या २, नवां सत्र, १९५९

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ५, आठवां सत्र, १९५९

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या १२, सातवां सत्र, १९५९

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १५, छठा सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २१]

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १८, पांचवां सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२]

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या २६, चौथा सत्र, १९५८

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]

---

†मूल अंग्रेजी में

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २६, तीसरा सत्र, १९५७

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २४]

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या ३२, दूसरा सत्र, १९५७

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २५]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन के बारे में अधिसूचना

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : श्री मेहरचन्द खन्ना की ओर से मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २० फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१९६३/६०]

स्थायी श्रम समिति के १८वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों का सारांश

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं जनवरी, १९६० में नई दिल्ली में हुए स्थायी श्रम समिति के १८वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१९६४/६०]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य सभा द्वारा २९ फरवरी, १९६० की अपनी बैठक में पारित किये गये भारतीय वस्तुओं की बिक्री (संशोधन) विधेयक, १९६० की प्रति संलग्न की है ।

भारतीय वस्तुओं की बिक्री (संशोधन) विधेयक

†**सचिव** : मैं भारतीय वस्तुओं की बिक्री (संशोधन) विधेयक, १९६० को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखता हूं ।

सदस्य की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खानपुर के पुलिस सब-इन्सपैक्टर से ३ मार्च, १९६० का यह सन्देश प्राप्त हुआ है कि श्री नाथ पाई को, जिन्हें ३ मार्च को गिरफ्तार किया गया था, सात दिन के लिए मजिस्ट्रेट की हिरासत में रखने के लिए हिन्डलगा की सेंट्रल जेल भेज दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दक्षिण रेलवे पर गाड़ियों की टक्कर

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि उसके सम्बन्ध में वह एक वक्तव्य दें :—

"२५ फरवरी, १९६० को दक्षिण रेलवे के पनरुट्टि स्टेशन पर हुई रेलों की टक्कर"

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : २५-२-१९६० को लगभग ०४.४१ बजे १०२ अप धनुषकोटी-मद्रास बोट मेल, जो कि पनरुट्टि से, जो दक्षिण रेलवे में वीलुपुरम कडल्लोर सेक्शन में वीलुपुरम स्टेशन के १२ मील दक्षिण में है, गुजरने वाली थी, स्टेशन की लूप लाइन पर खड़ी हुई संख्या २३३५ डाउन मालगाड़ी से टकरा गई। इसके परिणामस्वरूप ४२ व्यक्तियों को, जिनमें तीन रेलवे डाक सेवा के कर्मचारी थे, चोटें आईं। गाड़ी के कर्मचारियों द्वारा उनकी प्राथमिक चिकित्सा की गई। चिकित्सा गाड़ी जिस में डाक्टर भी थे, दुर्घटना स्थल पर भेजी गई। सभी घायल व्यक्तियों को उनकी इच्छा पर उसी गाड़ी से जाने दिया गया। यह गाड़ी पनरुट्टि से ०७.४० बजे अर्थात् २४६ मिनट विलम्ब से रवाना हुई।

सौभाग्य से मालगाड़ी अथवा डाकगाड़ी का कोई डिब्बा पटरी से नहीं उतरा। तिरुचिरापल्ली के विभागीय पर्यवक्षेक, विभागीय अधिकारियों को लेकर, दुर्घटना स्थल पर पहुंचे।

प्रत्यक्षतः ऐसा ज्ञात होता था कि दुर्घटना का कारण, कर्मचारियों की गलती है। दुर्घटना की जांच करने के लिए ज्येष्ठ-वेतन-स्तर-अधिकारी जांच समिति को आदेश दे दिया गया है।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं ७ मार्च, १९६० को प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) सामान्य आयव्ययक पर सामान्य चर्चा;

(२) लेखानुदान की मांगों पर मतदान; और

(३) आज की कार्य सूची से बचे किसी विषय पर विचार।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : हम ने यह निश्चय किया था कि प्रति सप्ताह एक अनियत-दिन-वाला प्रस्ताव रखा जायगा लेकिन अब मंत्री महोदय ने आयव्ययक पर सामान्य चर्चा होने के कारण ऐसा एक भी प्रस्ताव आगामी सप्ताह की कार्य सूची में नहीं रखा है।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : हम सामान्य चर्चा कर रहे हैं उस में इन मामलों पर भी विचार किया जा सकता है। हम प्रति सप्ताह एक अनियत-दिन-वाला प्रस्ताव रख रहे हैं। किसी किसी सप्ताह में ऐसे दो प्रस्तावों को भी रख रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्य चर्चा के दौरान इन सब विषयों को लिया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विनियोग (रेलवे) विधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६०-६१ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिए भारत को संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

†**श्री जगजीवन राम** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक माँगें--रेलवे, १९५९-६०

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १९५९-६० के लिए आयव्ययक (रेलवे) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी ।

वर्ष १९५९-६० के लिये रलवे के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय . . .	१०,६४,०००
४	सामान्य कार्यवहन व्यय--प्रशासन . .	२८,०२,०००
५	सामान्य कार्यवहन व्यय--मरम्मत और संधारण	२,५०,१३,०००
६	सामान्य कार्यवहन व्यय--परिचालन कर्मचारी	६१,००,०००
७	सामान्य कार्यवहन व्यय--परिचालन (ईंधन) . .	३,८३,४४,०००
८	सामान्य कार्यवहन व्यय--परिचालन (कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त)	२,०९,१३,०००
१०	सामान्य कार्यवहन व्यय--श्रम कल्याण	१०,८९,०००
१२	सामान्य राजस्व को देय लाभांश	९,६७,०००
१९	सामान्य राजस्व से ऋण और उस पर ब्याज की अदायगी--विकास निधि	७,३८,०००

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

रेलवे सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	३	श्री त० ब० विट्ठल राव	रेलवे बोर्ड के कुशलता ब्यूरो का कार्य	१००
२	४	श्री त० ब० विट्ठल राव	विशेष पुलिस संस्थान के जांच कार्य में विलम्ब	१००
४	५	श्री त० ब० विट्ठल राव	विभिन्न पदालियों में पदों के पुनर्विभाजन के फलस्वरूप बकाया का भुगतान	१००
४	१	श्री स० मो० बनर्जी	ग्रेड १ और २ मिलाकर रेलवे एकाउण्ट्स क्लर्कों की शिकायतों को दूर न करना	१००
६	२	श्री स० मो० बनर्जी	वेतन आयोग की प्रस्तावित सिफारिशों के सम्बन्ध में परिचालन कर्मचारियों की शिकायतें	१००

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : माननीय मंत्री जी ने १० फरवरी, १९५७ को एक नये समझौते की घोषणा की थी और यह कहा था कि इस से तृतीय श्रेणी के १७८००० कर्मचारियों को लाभ होगा। यह भी कहा गया था कि यह वृद्धि १-४-५६ से लागू होगी लेकिन कुछ मामलों में इसे १-४-५७ से लागू किया गया तथा कुछ मामलों में १-४-५८ से लागू किया गया। तथा जिन लोगों ने इन पदों पर अस्थायी रूप से कार्य किया उन्हें भी पद वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि उन कर्मचारियों के प्रति न्याय किया जाय और उन्हें बढ़ा हुआ वेतनक्रम १-४-५६ से दे दिया जाय।

मुझ यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि रेलवे बोर्ड का कुशलता ब्यूरो मीटर लाइन में संचालन कुशलता का अध्ययन करेगा। आंकड़ों से ज्ञात होता है कि मीटर लाइन की कुशलता गिर रही है। अतः इस की ओर ध्यान देना आवश्यक है। भारत की कुल रेलवे लाइन का ५० प्रतिशत मीटर लाइन में आता है और इस लाइन में यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है। विशेषतः बंगलौर-हुबली सेक्शन में जहां से मद्रास को लौह-अयस्क जाता है, संचालन कुशलता बहुत कम है लौह-अयस्क के निर्यात तथा डिब्बों के पूर्ण उपयोग के लिये हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये।

प्रतिवेदन से ज्ञात हुआ है कि रेलवे कर्मचारियों की बीमारी के कारण १२० लाख जन दिनों का नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं कि इस संबंध में जांच की जाय क्योंकि रेलवे अस्पतालों में सन्तोषजनक इलाज नहीं होता है, और इसलिये रेलवे कर्मचारी को गैर-सरकारी डाक्टरों से इलाज करवाते हैं जिस में उन्हें बहुत व्यय करना होता है। मेरा सुझाव है कि रेलवे अस्पतालों में इलाज की ओर अधिक ध्यान दिया जाय तथा रेलवे डिस्पेंसरियों के डाक्टरों को विशेष भत्ता दिया जाय जिस से वे निजी चिकित्सा कार्य न कर सकें। रेलवे के एसिस्टेंट डाक्टरों की मंद वृद्धि कर उन्हें गजेटेड अधिकारी बनाया जाय।

†मूल अंग्रेजी में

नई रेलवे लाइनें बनाने का कार्य भी पूरी तेजी से नहीं किया जा रहा है। गुना-उज्जैन रेलवे लाइन बनाने का एक मात्र उद्देश्य यह है कि देश के पश्चिम भाग तक कोयला पहुंच सके लेकिन यह रेलवे लाइन १९६६ तक बनाई जायेगी। स्थिति यह है कि इस समय अहमदाबाद की कई मिलों में कोयला नहीं है और इसके अभाव में उनके बन्द होने की संभावना है। इंदौर में भी कपड़े के कारखाने कोयले के अभाव में बंद होने वाले हैं। अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे इस कार्य को शीघ्रता से करें।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं केवल मांग संख्या ४, ५ और ६ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। व्याख्यात्म टिप्पणी में लिखा गया है कि रेलवे आस्तियों पुलों इत्यादि के लिये १२·७० लाख रुपये की राशि दी जायगी। टाइम्स आफ इंडिया के एक समाचार के अनुसार ३ करोड़ रुपये की एक रेलवे परियोजना में २० लाख रुपये की राशि के गबन होने की आशंका है। इस सम्बन्ध में पूरी जांच के लिये केन्द्र से विशेष अधिकारी की मांग की गई है। मैं इस संबंध में यह जानना चाहता हूं कि क्या यह कार्य किसी सरकारी प्राधिकारी के अधीन किया गया अथवा ठेकेदार के द्वारा करवाया गया।

अपने कटौती प्रस्तावों पर भाषण के दौरान मैंने लोहे की खराब स्लीपर और की का उल्लेख किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हनुमान फाउन्डरीज के द्वारा खराब स्लीपरों का संभरण किया गया अथवा कानपुर की कोई अन्य फर्म रेलवे को खराब की दे रही है। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति, फर्म या रेलवे मंत्रालय को बदनाम करना नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले की जांच की गई है या नहीं, अथवा क्या उसी कम्पनी को पुनः आदेश दिये गये हैं। मेरे विचार से हमें इस मामले की जांच करनी चाहिये क्योंकि इस से हमारे लोक हित को हानि हो रही है।

मैंने लेखा कर्मचारियों के दो ग्रेडों का उल्लेख किया था। इस संबंध में वेतन आयोग तथा रेलवे मंत्री को कई अभ्यावेदन भेजे गये कि इन दोनों ग्रेडों के लेखापालों के काम में बिल्कुल अन्तर नहीं है तथापि न तो वेतन आयोग ने रेलवे मंत्रालय ने ही इस पर कोई विचार किया है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रकार के अन्याय को दूर करें।

कार्य संचालन कर्मचारियों की शिकायतों के संबंध में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे दोनों फैडरेशनों के कर्मचारियों से परामर्श कर के उन की शिकायतों पर विचार करें।

मुझे ज्ञात हुआ है कि चितरंजन लोकोमोटिव कारखाने में श्रमिकों को उचित अनुपात में मंजूरी नहीं दी जा रही है। न उन्हें कुछ बोनस ही दिया जा रहा है। वहां मंजूरी की पुरानी पद्धति हटा कर उन्हें काम की मात्रा के अनुसार मजूरी तथा बोनस इत्यादि दिया जाना चाहिये।

इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि कानपुर की जनता का विचार है कि मैसर्स सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक रेलवे प्रशासन के किसी उच्चाधिकारी के संबंधी हैं अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। म आशा करता हूँ कि रेलवे मंत्री उनका संदेह दूर करेंगे।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं मांग संख्या ९ को लेता हूँ। इस संबंध में मेरी शिकायत यह है कि कभी कभी मंत्रालय मामले पर समय पर विचार नहीं करता, इसके परिणाम स्वरूप सरकार को घाटा होता है इस संबंध में मैं एक मामले का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसके संबंध में मैंने मंत्री महोदय से भी निवेदन किया था। कलकत्ते के एक व्यापारी की रेल में यात्रा करते हुए शायद बैजवाड़ा में मृत्यु हो गई। उनके पास लग भग १५ हजार रुपये का सामान जवाहरात नकदी इत्यादि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

थे। रेलवे ने उस सारे माल पर अपना अधिकार कर लिया । इस घटना को ढ़ाई वर्ष हो गये। तत्पश्चात उसकी विधवा और बच्चों ने उस सामान के लिये अपना दावा पेश किया और प्रमाण स्वरूप उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी दिखाया तथापि दो वर्ष बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब उन्होंने मुझ से शिकायत की और मैंने माननीय मंत्री जी से इसके संबंध में कहा। मैं नहीं कह सकता कि इस समय मामले की क्या स्थिति है ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : माननीय सदस्य ने इसके संबंध में मुझे लिखा था। मैंने इसके संबंध में जानकारी मांगी । मैं इस संबंध में अधिक जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूँ जैसे ही मुझे पूरी जानकारी ज्ञात हो जायेगी, मैं माननीय सदस्य को लिखुंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के कथन का तात्पर्य यह है कि माननीय मंत्री को इन मामलों पर ध्यान देना चाहिये जिस से कि ऐसे मामले एक निश्चित समय के अन्दर तय हो जांय। कार्यालयों को प्रयत्न करना चाहिये कि मामले का निपटारा निश्चित समय के भीतर हो जाय, यदि न हो सके तो उन्हें इस संबंध में एक रजिस्टर बना कर उन्हें उच्चाधिकारी के पास भेजना चाहिये कि किन कारणों से इन मामलों में विलम्ब हुआ। इस संबंध में कोई प्रभावशाली कार्यवाही करनी आवश्यक है ।

†**श्री जगजीवन राम** : हमने इस संबंध में कुछ व्यवस्था की है तथा हम रेलवे प्रशासन पर इस बारे में दवाब डाल रहे हैं कि मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाय कुछ मामलों के संबंध में हमने समय निश्चित किया है कि अमुक समय तक मामलों का निपटारा हो जाय ; तथापि फिर भी कुछ मामलों में बिलम्ब हो जाता है ।

†**श्री आचार** : मेरे कथन का तात्पर्य केवल यही था कि इन बातों से रेलवे विभाग को बहुत हानि होती है और उसे अधिक राशि का भुगतान करना होता है ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्भकोणम्): मेरा विचार है कि रेलवे में मामलों के निपटारे में जो विलम्ब होता है उसका कारण वहां का विधि विभाग है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को इन मामलों में सलाह देने के लिये प्रत्येक राज्य में कुछ वकीलों की तालिका बनाई जा सकती है । इस तालिका में प्रत्येक राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से योग्य वकीलों को नियुक्त किया जा सकता है । इसका यह परिणाम होगा कि मामलों में अनुचित विलंब नहीं होगा और इस से रेलवे विभाग को जो हानि होती है वह नहीं होने पायेगी ।

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा) : विश्व कृषि मेले में देश के विभिन्न भागों से किसानों को लाने के लिये विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की गई थी उनका प्रबन्ध असंतोषजनक था। हैदराबाद से दिल्ली पहुंचने वाली गाड़ी दिल्ली में कई घंटे विलम्ब से पहुंची और मार्ग में कई स्टेशनों पर ठहरी। वहां खाने पीने का कोई प्रबन्ध नहीं था। मैंने इस संबंध में सम्पादक के नाम भी कई पत्र देखे हैं ।

†**श्री जगजीवन राम** : हम उस मौके पर कई विशेष गाड़ियां चलाना चाहते थे । इस लिये हमें कई पुराने डिब्बों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। लग भग प्रत्येक सामुदायिक विकास केन्द्र से किसानों को यहां लाने की मांग की गई। मैं स्वंय इस प्रबन्ध से असंतुष्ट था। तथापि हमें बहुत बड़ी संख्या में विशेष गाड़ियां चलानी पड़ीं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इस संबंध में मुझे दोनों प्रकार की सूचनायें मिली हैं। कुछ मित्रों ने लिखा है कि व्यवस्था बहुत अच्छी थी तथा कुछ ने व्यवस्था के संबंध में शिकायतें की हैं और लिखा है उन असुविधाओं को दूर किया जा सकता था। जब भी ये मामले हमारे ध्यान में लाये जाते हैं तो हम अधिकारियों को यह याद दिलाते हैं कि वे यात्रियों के साथ संरक्षक का सा व्यवहार किया करें।

सुश्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : अभी ही नहीं, जब जब अलग स्पेशल चलाई जाती है तब तब कई बार यह शिकायत आती है कि वह समय पर नहीं आती, रास्ते में घंटों घंटों पड़ी रहती है और प्लेटफार्म पर जहां स्टेशन पर उस को ठहराया जाता है वहां उस के लिये काफी इन्तिजाम नहीं होता। मेरा बहुत स्पेशल ट्रेनों का अनुभव है। लेकिन यह मेरी ही अनुभव नहीं है। औरों का भी यह अनुभव है।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : श्री विट्ठल राव ने ऊंचे ग्रेड देने की योजना का उल्लेख किया है ऊंचे ग्रेड देने की योजना से ६६५१६ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। उनमें से लगभग ९८ प्रतिशत को प्रथम अप्रैल १९५६ तक के सभी बकाया प्राप्त हो चुके हैं। श्री विट्ठल राव ने कुछ मामलों का जिक्र किया जिनमें लोगों को १-४-५६ को छोड़कर अन्य तारीखों को यह लाभ दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत १३ श्रेणियों को लाभ मिलना था। परन्तु बाद में रेलवे कर्मचारियों के राष्ट्रीय संघ (नेशनल फ़ेडरेशन आफ़ रेलवे मैन) के साथ हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से और मामलों में भी ऊंचे पदक्रम देना स्वीकार कर लिया गया। जिन लोगों को लाभ पहले दिया गया था ये उन लोगों से अलग थे, और इन्हीं लोगों की तारीखें १–४–५६ से अलग हैं। हम इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस भी कर्मचारी को लाभ प्राप्त हुआ है उसे जहां तक भी सम्भव हो शीघ्र से शीघ्र वास्तविक लाभ के रूप में अदायगी हो जाये।

कार्यकुशलता ब्यूरो की ओर से माल गाड़ियों की रफ्तार के मामलों में जो कुछ जांच हुई है, उसका उल्लेख भी श्री विट्ठल राव ने किया है। इस बात का मुझे बड़ा हर्ष है कि इस ब्यूरो और रेलवे बोर्ड के इस कार्य की सर्वत्र सराहना की गयी, खास कर बड़ी लाइनों पर चलने वाली माल गाड़ियों की रफ्तार के बारे में जो जांच की गई है उसकी। इस मामले के लिए मैं दोनों सदनों के माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं।

कार्यकुशलता ब्यूरो का, १९५४ के प्रारम्भ में निर्माण किया गया था, ताकि परिचालन, वर्कशाप, मार्शलिंग यार्ड तथा अन्य कार्यों के आंकड़ों का अध्ययन किया जाये, और कुशलता और क्षमता को बढ़ाने के लिए सुझाव दिये जायें और रेलवे के विभिन्न परिचालन क्षेत्रों और प्रबन्ध व्यवस्था में पुराने और मंहगे तरीकों को दूर किया जाये। प्रारम्भ से ही ब्यूरो ने बड़ी लाभदायक जांच की और कई दिशाओं में सुधार करने के समुचित सुझाव प्रस्तुत किये। उन्होंने रेलवे से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं जैसे मालगाड़ियों की रफ्तार, माल डिब्बों की मरम्मत आदि का गम्भीर अध्ययन किया और उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किये। उस सब कार्य के लिए ब्यूरो को मुबारकबाद दी जानी चाहिए।

रेलवे अस्पतालों की बुरी अवस्था का उल्लेख भी श्री विट्ठल राव ने किया है। मुझे इस पर आश्चर्य हुआ। मैं रेलवे के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित अस्पतालों में गया हूं और कह सकता हूं कि रेलवे के अस्पताल देश के उत्तम अस्पतालों में से हैं। इस बात पर मैं चुनौती दे सकता हूं। जितना हम इस मामले में रेलवे कर्मचारियों को सुविधायें देते हैं, उतनी कहीं नहीं दी जाती। मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज़ खां]

अपने मित्र को निमन्त्रण देता हूं कि वह मेरे साथ रेलवे अस्पतालों में चलें। यदि उन्हें कोई गलत सूचना प्राप्त हुई है तो उनका भ्रम दूर हो जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** जहां और अस्पताल नहीं है, वहां क्या रेलवे अस्पतालों में रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य लोगों का भी इलाज कर दिया जाता है।

†**श्री शाहनवाज़ खां :** प्राथमिकता रेलवे कर्मचारियों को ही दी जाती है। हम इन सुझाव पर भी गम्भीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं कि रेलवे के डाक्टरों पर यह रोक लगा दी जाये कि वे प्राइवेट प्रेक्टिस न करें। इसके बदले उन्हें कुछ भत्ता देने का वेतन आयोग का सुझाव भी विचाराधीन है। श्री विट्ठल राव ने सुझाव दिया कि असिसटेंट सरजनों को गजेटेड अधिकारी बनाया जाना चाहिए परन्तु हम इस मामले में अपनी वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते। रेलवे व्यवस्था में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नीचे विभागीय चिकित्सा अधिकारी और उनके नीचे सहायक चिकित्सा अधिकारी और फिर उनके नीचे सहायक सरजन होते हैं। सहायक चिकित्सा अधिकारी रेलवे को छोड़ और कहीं नहीं है, हम इसी व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं। कोयले के बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। यह तो सारे देश की समस्या है। हम अपने सहयोगी मंत्रालय से इस मामले पर बात चीत कर रहे हैं। हमें आशा है कि मामला सन्तोषजनक रूप से हल हो जायेगा। यह मामला कोयला कमिश्नर द्वारा अलाटमेंट करने का है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जब खानों का विभाग श्री गाडगिल के पास था उस समय इस सदन की एक समिति इस मामले पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। यह शिकायत हुई थी कि कोयला कमिश्नर रेलवे को समुचित मात्रा में कोयला नहीं दे रहे और गैर-सरकारी लोगों को भी समान मात्रा में कोयला दिया जा रहा है ताकि गैर-सरकारी उद्योगों को हानि न हो। रेलवे खानों में कोयला न उठाने के कारण ४००० कर्मचारी खाली बैठे थे। प्राक्कलन समिति द्वारा एक तदर्थ समिति नियुक्त की गयी थी और उसने इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो क्या जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, स्थिति वैसी ही है ?

†**श्री जगजीवन राम :** अब रेलवे की अपनी खानें तो हैं नहीं। इन सब को इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया गया है। कोयले का तमाम अलाटमेंट कोयला कमिश्नर द्वारा किया जाता है। हाल ही में इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां रेलवे के समक्ष आई थीं। हम चाहते नहीं थे परन्तु मजबूर हो कर हमें गैर-सरकारी उद्योगों को जाने वाले डिब्बों को लेना पड़ा। यदि हम ऐसा न करते तो हमें कुछ गाड़ियां बन्द करनी पड़तीं। कोयला निकालने के स्थानों पर कुछ कठिनाइयां हो गयीं थीं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : यह आश्चर्य की बात है कि एक ही सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में भी कठिनाई हो जाती है। क्या संयुक्त दायित्व नहीं है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले खानें रेलवे मंत्रालय के अन्तर्गत थीं अब ये कोयला कमिश्नर के अधीन हैं जो कि दूसरे मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। अतः अलाटमेंट के लिये उसे दूसरे मंत्रालय का मुंह देखना ही पड़ता है।

†**श्री जगजीवन राम :** अब सब ठीक हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज़ खां : श्री बनर्जी ने गोदरा-रतलाम लाइन पर रुपये के दुरुपयोग की कुछ रिपोर्टों का उल्लेख किया है। यह ठीक है कि कुछ अधिक अदायगी कर देने की रिपोर्टें सुनने में आई हैं। ठेकेदारों को अस्थायी तौर पर अदायगी करते समय ऐसा हो गया था। उनके बिल की आखिरी अदायगी के समय उन्हें पूरा कर लिया जायेगा। रेलवे को किसी प्रकार की हानि होने की संभावना नहीं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं यह जानना चाहता हूं कि परियोजना वास्तव में ३ करोड़ रुपये की है, जैसा कि अखबारों में कहा गया है। और क्या २० लाख रुपये तक का दुरुपयोग हुआ है। तीसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आदिवासियों को १३५ रुपये के स्थान पर ७५ रुपये दिये गये थे?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** यदि माननीय सदस्य मुझे बात समाप्त कर लेने दें तो मैं उन्हें सभी प्रकार की जानकारी दे दूंगा। जहां तक रेलवे बोर्ड का सम्बन्ध है गोदरा-रतलाम लाइन को दोहरा करने के काम में जमीन खोदने का काम ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। अब यह पता नहीं कि ये ठेकेदार आदिवासियों को लगा रहे हैं अथवा किसी और को। न हमें यह ही पता है कि वे किस को क्या मजदूरी दे रहे हैं। यह हमारा काम नहीं। हमने तो टैंडर लेकर ठेका दे दिया। इस मामले को विशेष पुलिस के भी जांच के लिए हवाले किया गया था। अब वे इस बारे में जांच करेंगे। यदि कहीं कोई गलती नजर आई तो रेलवे मंत्रालय तुरन्त उस पर कार्यवाही करेगा। भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

खराब स्लीपरों और 'की' के वम्बन्ध में निवेदन है कि स्लीपरों के सम्बन्ध में तो पटल पर विवरण रखा जा चुका है, अतः मैं 'की' के बारे में ही बात करूंगा। स्लीपरों के बारे में गलती से कुछ अधिकारियों ने यह रिपोर्ट कर दी कि वे खराब हैं। इसके बाद तीन मंत्रालयों के बड़े-बड़े अधिकारियों और विशेषज्ञों ने मामले की छानबीन की। अब तीन वर्ष से इन स्लीपरों का प्रयोग हो रहा है उनमें कोई दोष नहीं निकला परन्तु इस बारे में बहुत शोर कर दिया गया। इससे रेलों की सुरक्षा में भी कोई अन्तर नहीं आया। एक रिपोर्ट आई कि 'की' गिर गई है और इस पर यह कहा जाने लगा कि स्लीपर खराब है। लाखों 'की' में से यदि कुछ गिर गयीं तो यह कोई बड़ी बात नहीं है।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : यह कैसे हुआ कि जांच के बाद गलत बात सही और सही बात गलत हो गयी?

†**श्री शाहनवाज़ खां :** मैं यह बता दूं कि हमने इसमें कोई जादू तो किया नहीं। मामला यह है कि मई १९५६ में उत्तर रेलवे में यह शिकायत प्राप्त हुई कि मैसर्ज सिंह इंजीनियरिंग वर्कस, कानपुर ने जो 'की' दी हैं वे मोटी हैं और आम साइज़ से बड़ी हैं। जो माल प्राप्त हुआ था उसमें से सम्भरण और निपटान के महानिदेशक ने कुछ नमूने के लिए 'की' मंगवाई थीं। उनकी देखभाल करके वे रेलवे को भेजी गयीं। उनमें से कुछ 'की' जगह से निकल गईं। क्योंकि हम लाइन की सुरक्षा के मामले में काफी सचेत हैं इस लिए हमने मामला पुनः सम्भरण और निपटान के महानिदेशक को भेजा। उन्होंने लिखा कि यह ठीक है कि कुछ 'की' का साइज़ $^{1}/_{32}$ इंच बड़ा है। परन्तु यह अन्तर सीमा के भीतर ही आता है। महानिदेशक ने कहा था कि इन 'की' को स्वीकार कर लिया जाये। वह विशेषज्ञ हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शाहनवाज़ खां]

और आर्डर देते है। उनका यह कहना है कि 'की' में कोई खराबी नहीं है, इन्हें ले लिया जाये। तब और क्या रह जाता है। उनके लोग देखभाल भी करते हैं। उनके कहने से हमने इनको स्वीकार कर लिया। आश्चर्य की बात है कि इसमें दुरुपयोग आदि की बात कही जा रही है।

श्री बनर्जी ने लेखा कर्मचारियों के मामलों का उल्लेख किया है। जैसा सब को पता है हमारे यहां दो ग्रेड हैं, ग्रेड १ और ग्रेड २। यह प्रणाली हमारे यहां ही नहीं, सरकार के अन्य विभागों में भी है। महत्वपूर्ण कार्य ग्रेड १ के कर्मचारियों को दिया जाता है और कुछ कम महत्व का काम ग्रेड २ के लोगों को दिया जाता है। प्रथम अप्रैल १९५६ से ग्रेड ऊंचा करने की योजना के अन्तर्गत ऊंचे ग्रेड में कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी गयी है। पहले केवल २० प्रतिशत को ही उच्च श्रेणियों में लिया जाता था ; उसे ४० प्रतिशत कर दिया गया है। ग्रेड १ से ग्रेड २ में पदोन्नति परीक्षा द्वारा की जाती है। जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है उसे अधिक प्रारम्भिक वेतन अर्थात १०० रुपया मिलता है और उनका वेतन क्रम ८०—२२० रुपये होता है। इस सारी व्यवस्था को इस माननीय सदन की लोक लेखा समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

श्री बनर्जी ने परिचालन कर्मचारियों और वेतन आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किया है। माननीय रेलवे मंत्री ने कहा है कि हम पी० टी० ओ० और पासों के बारे में संघों से परामर्श कर के ही अन्तिम निर्णय करेंगे। श्री आचार ने एक मामले का उल्लेख किया। एक कल्याण निरीक्षक को विशेष तौर पर इस काम पर लगाया गया है कि वह जा कर आश्रितों को बक़ाया आदि दें।

श्री रेड्डी द्वारा यह कहा गया कि विश्व कृषि प्रदर्शिनी देखने आने वाले किसानों के लिये समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया। इस समय हम पर काफी बोझ है। वर्ष का यह समय बड़े काम काज का समय होता है और हमें अधिक से अधिक माल गाड़ियां चलाने की कोशिश करनी होती है। इन परिस्थितियों में और मेले से सम्बद्ध मंत्री महोदय की प्रार्थना पर हम ने मेला देखने आने वाले किसानों के लिय विशेष व्यवस्था की। हम ने ५० विशेष गाड़ियां किसानों के लिये चलाईं। मुझे खेद है कि कहीं-कहीं ये गाड़ियां लेट चलीं। ये किसान दूर-दूर से, केरल, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश से आये थे। हम ने यथासंभव अच्छे प्रबन्ध करने की कोशिश की। यदि कोई गाड़ी कुछ लेट आई तो हम ने उन लोगों के दिल्ली रहने की उतनी ही अवधि बढ़ा दी। कई बार कुछ असुविधा हो गई हो तो उस के लिये मुझे खेद है। मेरा विचार है कि मैं ने मामलों को काफी स्पष्ट कर दिया है। जो कुछ अच्छे से अच्छा हम से हो सकता है, हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या किसी कटौती प्रस्ताव को मतदान के लिये रखना आवश्यक है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेता हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेता हूं।

कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सारी मांगों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गईं और स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय . . .	१०,६४,०००
४	सामान्य कार्यवहन व्यय—प्रशासन . .	२८,०२,०००
५	सामान्य कार्यवहन व्यय—मरम्मत और संधारण .	२,५०,१३,०००
६	सामान्य कार्यवहन व्यय—परिचालक कर्मचारी .	६१,००,०००
७	सामान्य कार्यवहन व्यय—परिचालन (ईंधन) . . .	३,८३,४४,०००
८	सामान्य कार्यवहन व्यय—परिचालन (कर्मचारी और ईंधन के अतिरिक्त) . . .	२,०९,१३,०००
१०	सामान्य कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण .	१०,८९,०००
१२	सामान्य राजस्व को देय लाभांश . . .	९,६७,०००
१९	सामान्य राजस्व से ऋण और उस पर व्याज की अदायगी—विकास निधि	७,३८,०००

दिल्ली जोत (अधिकतम) सीमा विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्रीमती आल्वा द्वारा २४ फरवरी, १९६० को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी, अर्थात् :—

> "कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में जोतों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और तत्संबंधी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री नवल प्रभाकर अपना भाषण जारी रखें ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : मैं ने उस दिन माननीय मंत्री से पूछा था कि कितने व्यक्तियों पर इस विधेयक के चारित करने का प्रभाव पड़ेगा ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : जिन लोगों के पास ३० स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि होगी, उन को छोड़ कर सरकार १५५ व्यक्तियों से अतिरिक्त भूमि ले लेगी । इस प्रकार लगभग १,७०० एकड़ के लगभग भूमि मिलेगी ।

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : दिल्ली में स्टैण्डर्ड एकड़ कितना बड़ा है ? वह ४८४० वर्ग गज का नहीं मालूम होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** स्टैण्डर्ड एकड़ सामान्य एकड़ को नहीं कहते । भूमि कई प्रकार की हैं । अतः भूमि की प्रकार, सिंचाई सुविधा, उत्पादन तथा अन्य बातों को ध्यान में रख कर स्टैण्डर्ड एकड़ निर्धारित किया जाता है । अतः विभिन्न क्षेत्रों के लिये स्टैण्डर्ड एकड़ एक-सा नहीं होगा । किसी क्षेत्र में उत्पादन प्रति एकड़ कम होगा व कहीं अधिक होगा अतः उसी के अनुसार स्टैण्डर्ड एकड़ निर्धारित किया जायेगा ।

†**श्री मूलचन्द दुबे :** क्या इस के सम्बन्ध में नियम बनाये जायेंगे ?

†**श्री दातार :** माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि दिल्ली में भूमि सुधार अधिनियम है, जिस के अधीन नियम आदि बन चुके हैं । इस प्रकार इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : श्रीमन्, मैं उस दिन कह रहा था कि यह विधेयक बहुत से लोगों को प्रभावित करने वाला नहीं है, किन्तु मेरे पूर्व-वक्ताओं ने इस का जो रूप हमारे सम्मुख रखा, उस से ऐसा मालूम होता था कि यह एक ऐसा भयानक बिल है, जिसे से बहुत से लोग प्रभावित होंगे और सरकार बहुत से लोगों पर एक तरह से अत्याचार कर रही है । मैं विनम्र शब्दों में उन से कहना चाहता हूं कि जैसाकि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है, जितने लोग इस से प्रभावित होंगे और जितनी भूमि इस से प्रभावित होगी, वह नहीं के बराबर है । जहां तक मुझे ज्ञात है, अधिक से अधिक एक हज़ार एकड़ भूमि इस विधेयक के अनुसार प्रभावित होने वाली है ।

श्री ब्रजराज सिंह : १७०० एकड़ ।

श्री नवल प्रभाकर : मैं समझता हूं कि जब यह मामला कोर्ट में जायेगा, तो शायद एक हज़ार एकड़ भी नहीं रहेगा, क्योंकि यह विधेयक बड़ा लचकदार है । ऐसा लचकदार विधेयक मैं ने नहीं देखा है । इस में सब को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया है । जैसाकि उस दिन मैं कह रहा था, क्लाज़ २६ में ऐसी छूट दी हुई है कि यदि आप के पास डेयरी फ़ार्म है, तो आप को पूरी छूट है कि आप पूरी ज़मीन अपने पास रख सकते हैं । डेयरी फ़ार्म की क्या परिभाषा है, वह इस में पूरी तरह से नहीं दी गई है । इस में यह भी कहा गया है कि अगर कहीं ऊन के उत्पादन के लिये कोई प्रयत्न किया गया है तो उस को भी पूरी छट है ।

श्री मूलचन्द दुबे : मुर्गियां पालना नहीं ?

श्री नवल प्रभाकर : वह डेयरी में आ जाता है ।

इस के अतिरिक्त अगर किसी ने बहुत ज्यादा ख़र्च कर दिया है, तो उस को भी पूरी छूट है । अभी माननीय मंत्री जी ने १७०० एकड़ की बात बताई है । सिवाये उस भूमि के जो नदी के कटाव में आने वाली भूमि है, वह सम्भवतः सरकार को मिल जायगी, किन्तु इसे के अतिरिक्त कोई भूमि उस को मिल सकेगी, इस में मुझे पूर्व सन्देह है । उस दिन कुछ माननीय सदस्यों की ओर से कहा गया कि जो तीस एकड़ की सीमा निर्धारित की गई है, वह बहुत कम है । जहां तक मेरी अपनी जानकारी है—क्योंकि मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं और जब मैं पिछली बार बोल रहा था, तब भी मैं ने कहा था । —मैं उस जानकारी को पक्का करने के लिये गांवों में गया और बहुत लोगों से पूछा कि आप के पास कितनी भूमि है । किसी ने कहा कि बीस बीघा है और किसी ने कहा कि पच्चीस बीघा है, चाली बीघा है । बहुतों के पास

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दस-पन्द्रह बीघा तक है। दस बीघा का मतलब है दो एकड़ भूमि और चालीस बीघा का मतलब है आठ एकड़ भूमि। मैं ने चालीस बीघे वाले से पूछा कि आप का गुज़ारा होता है या नहीं, तो उस ने बताया कि दाल रोटी मिल जाती है, ठीक है, परिवार चल जाता है। मैं समझता हूं कि दस एकड़ भूमि जिस के पास है, जब उस का परिवार चल जाता है--मैं आठ एकड़ वाले को छोड़ देता हूं, दस एकड़ वाले पर आ जाता हूं—और हम यहां पर तीस एकड़ को अधिकतम सीमा निश्चित कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में उस में तीन परिवार चल सकते हैं। अगर उस परिवार में दो लड़के हों और पति-पत्नी हों, तो मैं समझता हूं कि वह परिवार अच्छी तरह से चल सकता है। उस दिन यह तर्क दिया गया कि अगर उस के लड़के जवान हैं, तो वह क्या करेगा। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक कहावत है—

पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय।

इसे के अनुसार अगर बेटा सपूत है, तो वह कमायगा और तीस एकड़ अपनी भी बना लेगा, लेकिन अगर कपूत है, तो सौ एकड़ भी छोड़ कर चले जायेंगे, तो वह सौ एकड़ को भी अपने पास रखने वाला नहीं है, वह उस को गंवा देगा। जैसाकि मैं ने अभी बताया है, दस एकड़ में एक परिवार अच्छी तरह से चल सकता है और तीस एकड़ हम तय कर रहे हैं, जिस का मतलब यह है कि तीन परिवारों के भरण-पोषण के लायक हम ज़मीन दे रहे हैं। इस के अतिरिक्त भी इस में और प्रबन्ध है कि पांच व्यक्तियों के परिवार से जो अधिक व्यक्ति होंगे, उन को पांच एकड़ के हिसाब से अधिक भूमि दी जायगी। ऐसी अवस्था में वह साठ एकड़ तक पहुंच जाता है। यह कहना कि तीस एकड़ की सीलिंग बहुत कम है, यह मैं नहीं समझता। हमारे निकटवर्ती पंजाब में भी तीस एकड़ है, राजस्थान में भी तीस एकड़ है। और यहां पर यह तीस एकड़ किस ने तय किया? पहले हामारे यहां जब लैंड रिफ़ार्म्ज़ बिल आया, तो उस समय यहां पर दिल्ली विधान सभा थी दिल्ली विधान सभा में दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि मौजूद थे। वहां जो विधेयक थे, उन में से ग्रामीण क्षेत्र के विधायकों की एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने एक साल तक इस पर विचार करने के बाद कुछ मुद्दे तय किये और उस के बाद इस बिल की रूप-रेखा, उस का ड्राफट आया। फिर विधान सभा में वह बिल पेश हुआ। विधान सभा में वह बिल प्रवर समिति को भेज दिया गया। प्रवर समिति में भी उस पर विचार हुआ। प्रवर समिति में विचार होने के बाद वह बिल फिर विधान सभा में आया। वहां उस पर फिर विचार किया गया और उस के बाद यह तय पाया गया कि आगे आने वाले समय के लिए तीस स्टैंडर्ड एकड़ हमारे लिए ठीक है। दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद तीस स्टैंडर्ड एकड़ रखा था और बड़ी खुशी के साथ रखा था। उस का कोई विरोध नहीं हुआ। मैं यह कह सकता हूं कि इस बिल का भी आज दिल्ली के लोगों की ओर से कोई, विरोध नहीं है। एक भी दिल्ली वाले की, जिस के पास यहां पर ज़मीन है, इस विधेयक से न तो नाराज़गी है और न ही कोई विरोध है। जैसा कि मैं ने उस दि कहा था, यह तो नीति का प्रश्न है। एक दल है कांग्रेस दल। उस की अपनी नीति है कि हमने यहां पर सीलिंग करना है, भूमि की सीमा निर्धारित करनी है। यह उसी का परिणाम है और नहीं तो मैं यह समझता हूं कि दिल्ली में यदि सीलिंग बीस स्टैंडर्ड एकड़ की होती, तो उस से सरकार को कुछ न कुछ भूमि प्राप्त हो जाती और उस में सरकार अपने विचार के अनुसार या तो को-आपरेटिव फ़ार्मिंग चला सकती या उन लोगों को ज़मीन दे सकती थी, जो लैंडलैस हैं, या जो खेत पर काम करते हैं। इस समय १७०० एकड़ है। वह रहेगा या नहीं, कितना दिया जायगा, कितनों का भला होगा, यह मैं नहीं समझ सकता। किन्तु मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं और वह स्टैंडर्ड एकड़ के सम्बन्ध में है। दिल्ली प्रशासन ने जो इसके बारे में निश्चय किया था वह यह था कि इसको छः भागों में विभक्त किया जाये और ये छः भाग में बंजर, डाबर, कोरा खादर, खांडर

[श्री नवल प्रभाकर]

और शाहदरा की ज़मीन । इस तरह से छः भागों में उस ने इसको विभाजित किया है । स्टैंडर्ड एकड़ का हर जगह पर मूल्य अलग-अलग होगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह कहा गया है कि बंजर में तो १६ आना होगा और अगर इसको मान लिया जाये तो फिर डाबर में उसकी कीमत क्या रहेगी, शाहदरा में जा कर क्या रहेगी, खांडर में जा कर क्या रहेगी, खादर' में क्या रहेगी यह मैं जानना चाहता हूं ।

यह भी मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जोकि शाहदरा में रहने वाला है जिस के पास ३० स्टैंडर्ड एकड़ है उसके पास आपके अनुसार कितने गज़ का स्टैंडर्ड एकड़ वहां पर लगाया जायेगा । यह जानकारी मैं मंत्री महोदय से निश्चित रूप से जानना चाहता हूं । इसी तरह से आप यह भी बतलायें कि खादर के अन्दर आप कितने गज़ का स्टैंडर्ड एकड़ मानेंगे, खांडर के अन्दर कितने गज़ का मानेंगे, डाबर में कितने गज़ का मानेंगे । मैं चाहता हूं कि यह चीज़ माननीय मंत्री महोदय पूरी सफाई के साथ हमें बतलायें ।

उस में भी मैं यह चाहूंगा कि जो चाही ज़मीन है, उस में उसका मूल्य क्या होगा, यह जो भूमि है यह गज़ों के हिसाब में कितनी होगी, अगर वह चाही और नहरी दोनों है, उस अवस्था में क्या होगी, यदि केवल नहरी है तो उस में क्या होगी । इरिगेटिड लैंड में क्या अवस्था होगी, बारानी है, जो वर्षा से सैलाब होती है, उस में क्या होगी और जिस में सैलाब आता है, उस में उसकी क्या अवस्था होगी । मैं चाहता हूं कि मुझे बतलाया जाये कि इन भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में कितने गज़ का स्टैंडर्ड होगा और क्या तरीका है जिस को अपना कर कि स्टैंडर्ड एकड़ का फैसला किया जायेगा ताकि यह चीज़ हमारी समझ में आ सके और शाहदरे वालों को पता चल सके कि कितनी भूमि उनको मिलने वाली है । यह जरूर है कि एक व्यक्ति को ३० स्टैंडर्ड एकड़ मिलेगी लेकिन गज़ों में या बीघों में वह कितनी भूमि होगी यह आज सही सही नहीं बताया जा सकता है । मैं चाहता हूं कि जिस तरह से भूमि को छः भागों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक भाग को जो उसकी अलग-अलग अवस्था है, चाही है, चाही नहरी है, नहरी है, आबी है, बारानी है, सैलाबी है, इन सब में भूमि की क्या अवस्था होगी, कितने गज़ का स्टैंडर्ड एकड़ होगा, यह हमें बताया जाये ताकि हमें पता चल सके कि शाहदरा वालों का स्टैंडर्ड एकड़ इतना रहेगा, खादर वालों का इतना रहेगा, डाबर वालों का इतना रहेगा, इत्यादि-इत्यादि ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को खत्म करना चाहिए । बहुत वक्त हो गया है जब पहली घंटी बजाई गई थी ।

श्री नवल प्रभाकर : पूर्व वक्ता से आधा भी समय मैं ने अभी नहीं लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह मालूम नहीं, लेकिन स्पीकर साहब ने घंटी जरूर बजाई थी ।

श्री नवल प्रभाकर : १० मिनट में समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : १० मिनट में तो सारी स्पीच दी जा सकती है ।

श्री नवल प्रभाकर : दिल्ली का यह मामला है और कभी-कभी तो बोलने का मौका मिलता है और फिर यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात है, इस वास्ते मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतना समय दे दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पीकर साहब ने जब घंटी बजाई थी तब तो माननीय सदस्य ने कोई उज्र नहीं किया था।

श्री नवल प्रभाकर : बीच में कुछ समय इसी तरह से चला गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : और पांच मिनट में खत्म कर दीजिये।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय ठाकुर दास भार्गव जी ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया है कि अगर ३० स्टैंडर्ड एकड़ की लिमिट रख दी गई तो जो लोग इससे प्रभावित होंगे, उनका जीवन स्तर उन लोगों से भी नीचे गिर जायेगा, जोकि दलित लोग हैं, जोकि डिप्रेस्ड लोग हैं। मैं भी उस श्रेणी का ही एक व्यक्ति हूं और मैं जानता हूं कि उनकी क्या दशा है। अगर उनके पास १० स्टैंडर्ड एकड़ ज़मीन भी हो जाये तो वे गनीमत समझेंगे। उनकी अवस्था दयनीय है। अगर तीस स्टैंडर्ड एकड़ ज़मीन रखने वालों को आप इन लोगों में मिलायें तो आप ज्यादती करेंगे। हरिजनों का स्तर बहुत गिरा हुआ है और उसको ऊपर उठाने की जरूरत है। जो तथ्य है उसको आपको भुलाना नहीं चाहिए।

आपने कम्पेंसेशन की दर ४० गुना रखी है और इस के बारे में पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा है कि यह बहुत कम है। मैं बतलाना चाहता हूं कि दिल्ली विधान सभा ने जो लड रिफार्म्स एक्ट पास किया था, उसकी १४वीं क्लाज़ की, उप-क्लाज़ ३ और उसकी उप-क्लाज़ (बी) में बीस गुनालैंड रेवेन्यू का मुआवज़ा रखा गया था। जब एक बार आप लैंड रिफार्म्स एक्ट में यह तय कर चुके हैं और जिससे जो गरीब आदमी थे वे भी प्रभावित होते थे तो यहां पर तो कोई एतराज़ की बात ही नहीं रह जाती है। उस में वे लोग भी आ सकते थे जिन के पास पांच एकड़ थी और जिन्होंने बटाई पर उसको दे रखा था, या टेनेंट को दे रखा था। उस अवस्था में जो उसको मुज़ारा काश्त करता था उससे तो उसको २० गुना ही मुआवज़ा मिला लेकिन यहां तो उससे कहीं अधिक मिल रहा है। जो यह कहा गया है कि सौ परसेंट मुआवज़ा मिलना चाहिए इसको मैं समझ नहीं पाया हूं। बीस से चल कर आपने चालीस कर दिया यानी दुगुना कर दिया, इस में तो अन्याय की कोई बात नहीं की। जहां तक न्याय की बात है वह तो कभी भी किसी के साथ नहीं हो सकता है। यदि १,००० रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से भी दिया जाये तो वह कहेगा कि उसे ५,००० के हिसाब से दिया जाये क्योंकि यही उसकी ज़मीन का मूल्य है और यदि ५,००० दिया जाये तो कहेगा कि १०,००० के हिसाब से दिया जाये क्योंकि इसका यही मूल्य है। इस तरह से सन्तोष की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है।

इन शब्दों के साथ अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो क्लाज़ ३६ है इस पर दुबारा गौर किया जाये क्योंकि इस में बहुत ही लचक है और इस लचक के कारण जिन लोगों के ऊपर इस विधेयक का असर होने वाला है, वे उस असर से बाहर हो जायेंगे।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग की जो बात है वह एक अच्छी बात है और उसके सम्बन्ध में न किसी को विरोध हो सकता है और न ही होना चाहिए। यह ज़माने के साथ की मूव है और एक अच्छी मूव है। लेकिन सीलिंग के सम्बन्ध में कुछ ऐसी

[श्री मोहन स्वरूप]

चीजें हैं जिन पर कि गौर होना चाहिये था और उन पर गौर नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर सीलिंग का प्रिंसिपल यह है कि बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जोकि अनइकोनोमिक हैं और बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जोकि लोग लिये बैठे हैं और उन से कोई फायदा नहीं उठाते हैं, और उन से वे ज़मीनें ले ली जायें और भूमिहीनों में बांट दी जायें। यह सीलिंग का प्रिंसिपल है। लेकिन इस चीज पर गौर करते वक्त मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के सुपुर्द यह काम किया गया है जिन का खेती से कोई वास्ता नहीं है। मसलन् प्लैनिंग कमिशन में जिन लोगों ने सीलिंग के ऊपर गौर किया वह सभी खेती करना नहीं जानते हैं, न उन्होंने गांवों को जा कर देखा है और न खेती के उसूलों को जानते हैं। जहां तक खेती का ताल्लुक है, यह जमीनें न तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वफादारी की वजह से जागीरों में मिली हैं और न राजाओं से फतेह की गई हैं। बल्कि यह वे ज़मीनें हैं जिन्हें किसानों के पूर्वजों ने अपने पैसों से खरीदा था या जिन्हें उन्होंने अपने पैसों से हासिल किया था। मैं यह नहीं कहता कि जो फालतू जमीनें उन के पास हैं वह उन के पास पड़ी रहनी चाहियें। हमारे सोशलिस्टिक समाज में जो बराबरी की बात कही जाती है या जो सोसायटी में खेतों को बराबर करने की कोशिश की जा रही है, वह न हो, यह मैं नहीं कहता। लेकिन यह विचार जरूर होना चाहिए कि उन से कितनी जमीन निकाली जाय, कितनी जमीन से एक आदमी का गुजारा हो सकता है, इस पर जरूर गौर होना चाहिए। जैसा कि प्लैनिंग कमिशन ने बताया एक आदमी की साल में ३६०० रु० की आमदनी होनी चाहिए। लेकिन ३६०० रु० सालाना की आमदनी से एक किसान का गुजारा कैसे हो सकता है? न तो वह इस से अपने बच्चों को पढ़ा सकता है और न अपनी ही गुजर अवकात कर सकता है।

श्री मो० ब० ठाकुर (पाटन) : पढ़ाने की जरूरत क्या है? सबको तो नहीं पढ़ना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : पढ़ाई-पढ़ाई में फर्क है। उन के लिहाज से पढ़ा सकता है।

श्री मोहन स्वरूप : इस बात पर गौर नहीं किया गया कि किसान की आमदनी क्या होनी चाहिये और कितने से उस का गुजारा हो सकता है। जहां तक जमीन का सवाल है, मैं नहीं कहता कि १०० एकड़ हो या २०० एकड़ हो, लेकिन इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिये था कि कितनी जमीन से उसका गुजारा हो सकता है।

जहां ज़मीन की सीलिंग की बात होती है वहां और चीजों की सीलिंग नहीं की जाती। आज कुछ लोगों की करोड़ों रुपयों की आमदनी हो रही है, उन के कारखाने चल रहे हैं और उन से उनको मुनाफा हो रहा है, लेकिन उन की तरफ सीलिंग का कोई सवाल पैदा नहीं किया जाता, न तो कारखाने ही नैशनेलाइज़ किये जाते हैं न उन की आमदनी पर ही सीलिंग होती है। सिर्फ किसानों के लिये समझ लिया गया है कि समाज में वह बहुत ज्यादा मालदार हैं और सारा एक्स्प्लायटेंशन किसानों के ही खिलाफ चलता है। जमीदार तो चले गये। आज यू० पी० में कुछ जागीरदार कोशिश कर रहे हैं कि उन की जमीनें वापिस की जायें। अभी एक रिट फाइल हुआ है लखनऊ की बेंच में जिस में कुछ जागीरदार साहबान ने मांग की है कि उन को ज़मीनें ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिलीं थीं, इस लिये जो आज लैंड रिफार्म का बिल है वह उन की ज़मीन पर लागू नहीं होता। इन किसानों के पास न तो इस तरह की कोई चीज़ें हैं और न वह इस तरह के हक़ूक पर स्ट्रेस डालना चाहते हैं। लेकिन फिर भी वे यह जरूर चाहते हैं कि उन के गुजारे के सवाल पर जरूर गौर कर लिया जाना चाहिये। किसानों के पास सिर्फ बाजू की

कुव्वत है, उन के पास हल हैं, बैल हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन के हल और बैल बेकार होते चले जा रहे हैं। किसान खेती से अनाज पैदा करता था और मुल्क को अनाज मुहैया करता था, आज उस की ताकत नही रह गई है कि वह लोगों को अनाज मुहैया कर सके। इस की वजह यह है कि गवर्नमेंट की पालिसी बड़ी ढिलमिल है, इस पर ठीक से कोई गौर व खौज नहीं हुआ है। इस लिये मैं चाहता था कि जहां दूसरे प्राविंसेज में सीलिंग के मुताल्लिक गौर हो रहा है, वहां दिल्ली में अगर इस के लिये कोई कानून बनता है तो वह माडल ला बनना चाहिये जिस से सारे हिन्दुस्तान के सूबे मुतासिर हो सकें। लेकिन मैं इस बिल में कोई नई बात नहीं पाता हूं।

जहां तक खेती का ताल्लुक है, उस में एक बायलाजिकल ऐस्पेक्ट हुआ करता है। मान लीजिये खेती में ६ सेर गेहूं पड़ता है एक बीघा ज़मीन में, अगर आप उस में एक मन गेहूं डाल दें तो उस से कोई ज्यादा अनाज पैदा नहीं होगा। उसी तरह से ६ सेर के बजाय अगर आप २ सेर अनाज उस में डाल दें तो भी अनाज कम पैदा होगा। इस लिये जो बायालामिकल ऐस्पेक्ट होता है खेती का उस पर भी गौर होना चाहिये था और सोचना चाहिये था कि किसान के लिये कितनी जमीन ज़रूरी है जिस से उस का किसी तरह से गुजारा हो सके।

मैं सीलिंग के मुताल्लक अर्ज कर रहा था। यह कोई मेरी व्यूज नहीं है, सारे देश की व्यूज़ हैं और उन किसानों की व्यूज़ हैं जिन्होंने सब कुछ अपने खेतों में लगा दिया है, अपनी बीवी के जेवरों को लगा दिया है, अपनी जिन्दगी की सारी कमाई को लगा दिया है, उन खेतों को सरसब्ज और शादाब किया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है तो उसे इन्साफ करना चाहिये और सोचना चाहिये कि किसानों के गुजारे के लिये कितनी जमीन मुनासिब है।

जहां तक दिल्ली के बिल का सवाल है, जो कि हमारे सामने है, अभी मैं अपने लायक दोस्त श्री नवल प्रभाकर की स्पीच सुन रहा था। बिल में जो फैमिली की डेफिनिशन है क्लाज २(डी) में, वह मेरे खयाल से कॉम्प्रिहेन्सिव नहीं है। सेलेक्ट कमेटी में मैंने अर्ज किया था कि तमाम बेवाओं के हकूक पर गौर नहीं किया गया है। मसलन एक बाप है, उसकी बीवी है, लड़के हैं, उस की दो विडो बहनें हैं जो उसी के परिवार के साथ रहती हैं और उन का गुजारा उसी परिवार से होता है, उन के हकूक के मुताल्लिक बिल बिल्कुल साइलेंट है। कुछ पता नहीं चलता कि उन को क्या मिलेगा, या मिलेगा भी या नहीं। हकीकत यह है कि जो लड़के नौजवान हो चुके हैं, जिन की शादियां हो चुकीं हैं, जिन के बच्चे हैं, हालांकि वे ज्वायेंट फैमिली में हैं, लेकिन अपनी तौर से उन की फैमिली अलग है। जहां तक उन के हकूक का सवाल है उन के मुताल्लिक भी यह बिल साइलेंट है। उन के साथ यह इन्साफ नहीं है।

इस बिल में भूमिधरी और सीर का भी कोई फर्क नहीं रक्खा गया है। जहां तक भूमिधरी ज़मीनों का ताल्लुक है, भूमिधरी काश्तकार को बहुत बड़े हकूक हैं, वह जमीन को बेच सकता है, बैनामा कर सकता है और उस का लगान भी सीर के मुकाबले में आधा होता है। भूमिधर को कितनी जमीन मिलनी चाहिये और सीरदार काश्तकार, जिस को हक हासिल नहीं है, उस को कितनी जमीन मिलनी चाहिये, इस बारे में भी इस बिल में कुछ नहीं बताया गया।

जैसा अभी बतलाया गया जमीनों के ६ क्लासिफिकेशन किये गये हैं। लेकिन उसी के साथ साथ दिल्ली में कुछ जमीन ऐसी है जो पथरीली है, कुछ कंकरीली है जहां पर खेती बहुत कम होती है, कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो दुमट हैं, कुछ दलदल हैं, उन ज़मीनों के

[श्री मोहन स्वरूप]

मुताल्लिक कुछ नहीं बतलाया गया। जैसा प्रभाकर साहब ने कहा कि कितनी जमीन होगी, कितनी कंकरीली जमीन है, कितनी पथरीली जमीन है, कितनी ऐसी जमीन है जिस पर आबपाशी नहीं हुई है, यह सब सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। इन जमीनों में क्या फर्क है, इसके मुताल्लिक इस बिल में कुछ नहीं कहा गया है। इस की और वजाहत होनी चाहिये। इसी के साथ साथ जमीनों की लगानों में भी फर्क होता है। मैं नहीं जानता कि दिल्ली की जमीनों पर लागन लेने का तरीका क्या है, लेकिन यू० पी० के बारे में मैं जानता हूं कि कुछ जमीनें ऐसी हैं जो १ रु० बीघा हैं, कुछ ऐसी हैं जो १२ आ० बीघा हैं और कुछ ऐसी हैं जो ८ आ० बीघा हैं।

श्री च० कृ० नायर : (बाह्य दिल्ली) : यहां भी ऐसा ही है।

श्री मोहन स्वरूप : मैं समझता हूं कि दिल्ली की लगानों में भी फर्क होगा। यू० पी० का जो बिल है उस में लगान के मुताल्लिक वाजेह शक्ल पेश की गई है। उस में बताया गया है कि अगर किसी जमीन की लगान ५ रु० एकड़ या उस से कम हो और किसी जमीन की लगान १० रु० एकड़ या उस से ज्यादा हो, तो ५ रु० एकड़ वाली जमीन जो होगी वह १० रु० एकड़ वाली जमीन से डबल मानी जायेगी। उस में यह फर्क रक्खा गया है। वहां पर जिस जमीन की लगान कम है वह ज्यादा मिलती है और जिस जमीन की लगान ज्यादा है वह कम मिलती है। दिल्ली लैंड सीलिंग के बारे में इस तरह की कोई बात पेश नहीं की गई है, इस की वजाहत होनी चाहिये।

इसी के साथ साथ यह जो चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऐडमिनिस्टेशन में एक बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं और सारी ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उन पर आधारित है यह सही है लेकिन उन को बहुत हकूक दे दिये गये हैं, बहुत वसीय, डिस्क्रेशनरी पावर्स दे दी गई हैं जो कि कुछ मुनासिब नहीं मालूम पड़ती हैं। सैक्शन २६ और २७ में उन के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वे जिस जमीन को चाहें उसको सैक्शन ३ के आपरेशन से मुस्तस्ना कर सकते हैं। चीफ कमिश्नर को यह पावर दी गई है कि वह जिस जमीन को चाहे मुस्तस्ना कर दे और जिस जमीन को चाहे मुस्तस्ना न करे। चाहे कुछ भी डिक्लेयर कर दे। बिल में चीफ कमिश्नर को इस तरह की जो डिस्क्रेशनरी पावर्स दी गई हैं वह नहीं होनी चाहिएं। कानून तो एक बाजे चीज हुआ करता है और उस में जो भी प्राविजंस होते हैं वह बहुत साफ होते हैं। लेकिन यह जो गोलमाल अल्फाज हैं उस के और जिस तरह की चीज है वह कुछ मुनासिब नहीं मालूम होती है। मैं चाहता था कि यह जो प्रॉविजंस हैं इस तरह के वे नहीं होने चाहिए थे। चीफ कमिश्नर को हकूक इस तरह के दिये गये हैं वह मुनासिब नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से दोस्तों ने कम्पेंसेशन के मुताल्लिक यह कहा कि वह कम है। जहां तक मुआविजे का सवाल है तो यह तो जमींदारियां खत्म हुईं आखिर बड़े बड़े राज्य खत्म हुए तो उसका उनको क्या मुआविजा मिला? मैं समझता हूं कि जहां मूल्क में भूमिहीन लोगों को जमीन देने का सवाल है, या जहां ऐसी व्यवस्था हो रही है कि फालतू जमीनें जिन लोगों के पास पड़ी हैं वे फालतू जमीनें उन के साथ से निकल जांय और ऐसे लोगों को जिनके कि पास जमीन नहीं है, उनको वह मिल रही हों तो मैं समझता हूं कि यह कम या ज्यादा कम्पेंसेशन का सवाल उठाना, यह कोई ऐसी अहम बात नहीं है।

ज्वांएट कमेटी में मुआविजे के मुताल्लिक गौर हुआ था। उस में बहुत से शेड्यूल्स दिये गये लेकिन आखिर में ४० गुने का उसूल जो माना गया वह बाद में तय हुआ। मैं समझता हूं कि हालांकि जमीन बहुत अधिक महंगी मिलती है, जमीन १०० रुपया पर एकड़ या २०० रुपये पर एकड़ है और मुझे ठीक से पता नहीं लेकिन मेरा ख्याल है कि दिल्ली में तो जमीन उत्तर प्रदेश की अपेक्षा अधिक महंगी होगी.....

श्री अजराज सिंह : दिल्ली में तो रेट २००० रुपये प्रति एकड़ का है।

श्री मोहन स्वरूप : जी हां दिल्ली में २००० रुपये एकड़ होगा। अब यह मुआविजे की दर जो ४० गुना रक्खी गई है तो मुझे उसमें कोई ऐतराज तो नहीं है लेकिन वह कम जरूर है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि वह कम है और दिल्ली के लिए जहां कि इतनी ज्यादा महंगी जमीन मिलती हो, वहां इसको कुछ और बढ़ा कर रखना चाहिए था।

मेरा समय अब समाप्त हो गया है इसलिए और अधिक न कह कर अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह जो बिल हमारे सामने है उसमें मुनासिब तरमीम करके उसे एक मौडेल कानून की शक्ल में पेश किया जाय ताकि वह दिल्ली में ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए एक नमूना बन सके।

श्री अजराज सिंह : बिल का उद्देश्य भूमिहीनों में जमीनों का वितरण करना बतलाया गया है। एक खास उद्देश्य को लेकर यह विधेयक बनाया जा रहा है ऐसा कहा जाता है और उस उद्देश्य में से एक उद्देश्य यह बतलाया जाता है कि जो भूमिहीन हैं उन्हें भूमि मिलनी चाहिए। जहां तक इस उद्देश्य का प्रश्न है एक बहुत ही सुन्दर उद्देश्य है लेकिन इस विधेयक में शुरू से लेकर आखिर तक अगर हम पढ़ जायें तो कहीं पता नहीं लगेगा कि कहीं भी भूमिहीनों को भूमि दिलाने की कोई व्यवस्था की जा रही है। पहले तो यह कि जो अधिक जमीन मिलेगी उस जमीन को न तो पंचायत में निहित किया जा रहा है न कोई व्यवस्था बिल में यह की जा रही है कि वह जमीन जो कि सरप्लस भूमि होगी, फालतू और अधिक भूमि होगी वह किन्हीं भूमिहीनों को दी जायगी। व्यवस्था व्यवस्था यह की जा रही है कि वह जमीन राज्य में निहित हो जायगी, स्टेट में वैस्ट हो जायगी और फिर राज्य उसका क्या करेगा इसके बारे में यह धारा १५ में कहा गया है :—

> "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सरकार को मिलने वाली किसी अतिरिक्त भूमि को मुख्यायुक्त ग्राम समुदाय के लाभार्थ या किसी सार्वजनिक उपयोगिता के काम के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो निर्धारित किया जाये, सुरक्षित कर सकेगा।"

अब एक दूसरा जहां तक कि गांव की जनता के भले के लिए मुनासिब भूमि को रखने का प्रश्न है यह कुछ अच्छा मालूम पड़ता है लेकिन जो दूसरा काम है पब्लिक युटिलिटी का तो वह इतना गोल मटोल है कि कुछ भी किया जा सकता है और मुझे लगता है यह कि अभी जो मंत्री महोदय ने बतलाया कि १७०० एकड़ जमीन इस कानून के पास होने के बाद हमें मिल सकेगी इस १७०० एकड़ जमीन को यह इसी काम में लाया जायगा पब्लिक युटिलिटी का नाम बता कर उसको वे वास्तव में दिल्ली के विस्तार के लिए प्रयोग में ले आयेंगे। अगर यह उद्देश्य पूरा होता कि भूमिहीनों को हम जमीन दे सकते तो इस से अच्छी कोई बात नहीं थी। इस उद्देश्य को ध्यान में रख कर और यह ध्यान में रख कर कि यह सारे देश के लिए एक आदर्श बिल होगा प्रमुखत: यह बिल बनाने को कोशिश की जा रही है लेकिन मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के

[श्री ब्रजराज सिंह]

लिए यह बिल लाया जा रहा है उसका कहीं भी ध्यान इस बिल में नहीं रक्खा जा रहा है ? तब फिर हम क्या करना चाहते थे। एक तो यह प्रश्न है कि सिर्फ दिल्ली में जहां पर कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा एक विशेष परिस्थिति है, जहां पर कि विस्तार के कारण भूमि की कीमतें दूसरे राज्यों से अधिक हो गयी हैं। दिल्ली चूंकि देश की राजधानी है और इसका विस्तार बहुत अधिक हो रहा है तो उसके लिए कोई हमें विशेष व्यवस्थाएं करनी चाहिएं या नहीं। लेकिन जो कुछ भी इसमें व्यवस्था की जा रही है उसमें मुझे यह लगता है कि एक एकड़ जमीन भी आप भूमिहीनों को नहीं दे पायेंगे। इस १७०० एकड़ भूमि की बात आती है लेकिन यह १७०० एकड़ कब मिल सकेगी इस के लिए अगर हम धारा २६ को देखें तो उससे बहुत ही आश्चर्यजनक बात मालूम पड़ती है। उसमें और सब बातों के अलावा एक बात कही गई है। उसके क्लाज १३ में यह दिया हुआ है :—

"कोई विशिष्ट फार्म जो पशु-संवर्द्धन, डेरी, या ऊन पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो।"

आश्चर्य की बात यह है कि यह नहीं कहा गया है कि इस ऐक्ट के लागू होने के पहले कहीं फार्म बना हो बल्कि ऐसा लगता है और शायद विधेयक बनाने वालों की इच्छा यह है कि यह फार्म कभी भी बनाया जाय तो उस के लिए चीफ़ कमिश्नर जो है वह यह इजाजत दे सकता है। सम्भवतः मिनिस्टर महोदय की तरफ से यह कहा जाय कि धारा २६ में पहले ही यह कहा गया है कि यह ऐक्ट लागू होने के तीन महीने के अन्दर इस तरह की दरख्वास्त दी जा सकती है लेकिन उसमें आगे चल कर यह कह दिया गया है कि अगर कोई विशेष कारण हो तो वह तीन महीने के बाद भी दरख्वास्त दे सकता है। आप एक ऐसी छूट दे रहे हैं कि जिस से यह १७०० एकड़ जमीन पूरी की पूरी इसी में लग जायगी। किसी में तो यह डेरी फार्म खोला जायगा तो किसी में यह ऊन पैदा करने का फार्म खोला जायगा और किसी में कैटिल ब्रीडिंग के लिए या जानवरों के विकास के वास्ते कोई फार्म बनाया जायगा। यदि आपकी इच्छा इस कानून को ठीक तरह से लागू करने की है तब तो आपको जैसा कि इसमें कहा गया है कि एक खास तारीख के बाद की जमीनें अगर कोई बेच दी गई हों, या उन को ट्रान्सफर कर दिया गया हो चीफ़ कमिश्नर ट्रान्सफरी को दरख्वास्त देने पर सैक्शन ३ और सैक्शन १२ के औपरेशन से एग्जम्पट कर सकता है। उन पर पहले निर्णय का ध्यान रक्खा जायगा। उसी तरह इसमें भी रखना चाहिए लेकिन यहां पर इस की कोई भी व्यवस्था नहीं है और वह भी पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं है। यह अधिकार दिया जा रहा है चीफ कमिश्नर को कि अगर चीफ कमिश्नर यह मुनासिब समझे तो किसी डेरी फार्म, किसी वूल रेजिंग फार्म का या किसी कैटिल ब्रीडिंग फार्म को एग्जम्पट कर सकता है और उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा। मुझे भय है कि अगर हम इसमें इस तरह की व्यवस्था रखते हैं तो जो १७००० एकड़ जमीन मिलने की बात कही जाती है वह हमको नहीं मिलेगी। एक्ट पास होने के बाद भी लोग ऐसे फार्म बना लेंगे। वह चीफ कमिश्नर के यहां जाकर दरख्वास्त देंगे और एग्जेम्पशन ले लेंगे और इस तरह से आपको कोई जमीन नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ जमीन मिल भी जाती है, तो आपने दूसरा अपवाद दिया है और वह यह है कि अगर कहीं पर हैवी इनवैस्टमेंट हो जाए या परमानेंट स्ट्रक्चुरल इम्प्रूवमेंट हो जाए तो उस पर यह कानून लागू नहीं होगा। इसकी क्या परिभाषा है। इसके लिए भी आप चीफ कमिश्नर को डिस्क्रीशन दे रहे हैं। इसलिए जिन लोगों की वहां तक पहुंच होगी वह अपनी जमीन साफ करा लेंगे।

इसी तरह से क्लाज २६ के सब क्लाज डी० में यह दिया गया है :

"दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा ३३ के अधीन मुख्यायुक्त द्वारा अधिसूचित किसी संस्था द्वारा हस्तगत भूमि"।

उस पर भी यह लागू नहीं होगा। और जहां तक पब्लिक परपज का सवाल है, अभी जो हैल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यहां टाउन प्लानिंग के लिए ३४००० एकड़ जमीन नोटीफाई की गई है, उस जमीन पर भी शायद यह लागू नहीं होगा आपकी व्यवस्था के मुताबिक। इस जमीन में अगर कोई ऐसे काश्तकार आते हैं कि जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है तो उन पर भी यह लागू नहीं होगा। हिसाब लगाया गया है कि इस कानून का १५५ आदमियों पर प्रभाव पड़ेगा और हमको १७०० एकड़ जमीन मिलेगी, तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस तरह से होगा। जिन लोगों के पास साधन हैं उन पर यह लागू नहीं हो सकेगा। आपने चीफ कमिश्नर को जगह जगह यह अधिकार दिया है कि वह इसको भी एग्जेम्पट कर सकेंगे, इसको भी एग्जेम्पट कर सकेंगे, और इसको भी एग्जेम्पट कर सकेंगे। ऐसी दशा में जिस न्याय की आशा इस सदन से की जाती है वह नहीं मिल पाएगा।

इसके अलावा आपने यह कहीं भी इस कानून में नहीं लिखा है कि इस तरह से जो जमीन आपको मिलेगी इसका आप क्या करने जा रहे हैं। दफा १६ के अन्दर लिखा है:—

"मुख्यायुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी सरकार को प्राप्त अतिरिक्त भूमि को (धारा १५ के अन्तर्गत रक्षित भूमि के अतिरिक्त भूमि) ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन, जिसे वह ठीक समझे, आवंटित कर सकेगा।"

यहां पर भी यह नहीं है कि जो जमीन हमें मिलेगी उस जमीन को हम भूमि हीनों को देना चाहते हैं। इसमें भी यह अधिकार चीफ़ कमिश्नर को, या किसी दूसरे अफसर को जिसे वह मुकर्रर कर दें, दिया गया है कि वह जिसको ठीक समझेंगे देंगे।

और क्लाज १५ के अन्दर यह कहा गया है :

"कुछ प्रयोजनों के लिए भूमि को रक्षित करना"

इसमें पब्लिक यूटिलिटी का परपज दिया गया है जो जमीन अधिक मिलेगी उसे जनहित के कार्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं। अब जनहित का कार्य कौनसा है ? सभी जानते हैं कि दिल्ली का विस्तार हो रहा है। यह अनुमान लगाया जाता है कि बीस साल में इसकी आबादी ४५ लाख हो जाएगी। अभी दिल्ली की आबादी २५ लाख अनुमान की जाती है। तो बीस साल में इस बीस लाख बढ़ी हुई आबादी के लिए मकान चाहिए, मुझे लगता है कि हम शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं और देहातों को नष्ट करने की साजिश मालूम होती है क्योंकि इसमें आप ने भूमिहीनों के लिए कुछ नहीं रखा है। तो जो जमीन आप एक्वायर करेंगे वह जनहित के कार्य के लिए रख ली जाएगी और जनहित का कार्य है शहर का विस्तार। इसके लिए जमीन चाहिए, मकान बनाने के लिए, तो फिर आप उन लोगों को यह जमीन देंगे जो मकान बनायेंगे। कम से कम भूमिहीनों को तो इसमें से जमीन मिलने वाली नहीं है। इसलिए मैं इस व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध प्रकट करता हूं। इसका मतलब यह है कि जब आप इस तरह के कानून बनायेंगे तो हिन्दुस्तान में जो २७ प्रतिशत भूमिहीन हैं उनको भूमि देने की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। इस तरह से सीमा बांधने से जमीन आपको मिलेगी वह भूमिहीनों के पास नहीं जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि दिल्ली में जो जमीन आपको मिलेगी वह दिल्ली के विस्तार के लिए दे दी जाएगी और जो दूसरी जगहों पर मिलेगी वह इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर और फैक्टरियां स्थापित करने के लिए

[श्री ब्रजराज सिंह]

लोगों को जमीन देंगे और कहेंगे कि यह जनहित के लिए है। आखिर जनहित क्या है ? देश का औद्योगीकरण एक जनहित का काम हो सकता है। केवल खेती की जमीन ही जनहित के लिए आप रखना चाहते हैं। और देहात की जमीन पर ही सीमा लगाना चाहते हैं। अगर सीमा लगान है तो उन लोगों पर भी लगायी जाए जो शहर में बसते हैं, जो उद्योग करते हैं। उनकी आमदनियों पर भी कोई सीमा लगाइए। बार बार सदन में इसकी मांग की जाती है। सिर्फ खेती की जमीन की ही सीमा क्यों बांधी जाती है। आप देश में कोई भी कानून अलग से नहीं बना सकते। जो समाज की स्थित है उसके मुताबिक ही आप कानून ला सकते हैं। यहां बार बार कहा जाता है कि शहर के लोगों की और जो उद्योग में लगे हैं उनकी आमदनी को भी कोई सीमा होनी चाहिए। जब तक हम सारे समाज की आमदनी की सीमा नहीं बांधते और एक ही वर्ग की आमदनी को सीमा बांधते हैं, तब तक हम समाज का विकास नहीं कर सकते। दिल्ली में हम देखते हैं कि एक तरफ दस दस मंजिलें मकान बन रहे हैं और उनके लिए योजना है, और दूसरी तरफ उन लोगों को कोई जमीन देने की व्यवस्था नहीं है कि जिनके पास अपनी झोंपड़ी भी नहीं है। इस तरह से समाजवादी समाज कायम करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। एक तो इसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो जमीन सीलिंग के बाद मिलेगी वह जमीन और किसी काम के लिए नहीं जाएगी, वह भमिहीनों के लिए जाएगी। मैं मानता हूं कि सब भूमिहीनों को हम जमीन नहीं दे सकेंगे लेकिन कुछ को तो हम दे सकते हैं। कानून कुछ इस तरह का बनाइये कि जिसके पास कम से कम जमीन है या जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उसको दी जाएगी। यह व्यवस्था तो अवश्य होनी चाहिए कि जो भी जमीन मिलेगी वह भूमिहीनों को दी जाएगी, दूसरे कामों के लिए नहीं ली जाएगी। लेकिन जो एग्जेम्पशन आपने दिए हैं उनसे मालूम होता है कि आप यह जमीन उन लोगों को देना चाहते हैं जो शहर का विकास करेंगे, या जो कैंटिल बीडिंग और वूल रेजिंग वगैरह करेंगे। ये काम खेती से सम्बन्ध नहीं रखते हैं। शहर के विकास का खेती से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।

इस के अलावा इस में यह रखा गया है कि यह कानून उन जमीनों पर लागू नहीं होगा जोकि पहले नोटिफाइड एरिया में थीं, या म्युनिसिपलटी में थीं या केंटोनमेंट एरिया में थीं। आखिर इस के पीछे कौन सी भावना है ? उत्तर प्रदेश में देहात में ज़मींदारी तोड़ी गई, लेकिन वहां अभी भी शहरों में जमींदारी कायम है। यह कौनसा न्याय है। अगर कोई विकास का काम करना हो, कोई स्कूल कालिज बनाना हो, अस्पताल बनाना हो तो कहा जाता है कि इस को पहले शहर में बनाया जाय, लेकिन अगर कोई तोड़ने का काम होता है तो उस की व्यवस्था सब से पहले देहात में कर दी जाती है। अगर आप को इस कानून का उद्देश्य पूरा करना है तो यह तो तभी हो सकता है जबकि यह कानून उन सब जमीनों पर लागू हो जोकि नोटीफाइड एरिया में, या म्युनिसिपैलिटी में या केंटोनमेंट में हों। यह नहीं होना चाहिये कि यह कानून उस जमीन पर लागू नहीं होगा जोकि नोटिफाइड एरिया, म्युनिसिपैलिटी या केंटोनमेंट में है,केवल उस जमीन पर लागू होगा जोकि खेती की जमीन है। इसलिये अगर आप केवल गांवों के लोगों की आमदनी की सीमा बांध रहे हैं तो यह न्याय नहीं है और आगे चल कर यह देश की प्रगति के लिये घातक सिद्ध हो सकता है।

फिर प्रश्न आता है मुआवजे का। इस के लिये कोई सिद्धान्त होना चाहिये। हम ने जमींदारी तोड़ी और उस के लिये मुआवजा दिया। लेकिन इस जमीन के बारे में मुआवजा देते वक्त हम को यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह जमींदार की जमीन नहीं है, किसान की जमीन है इस जमीन का उचित मुआवजा दिया जाना चाहिये। जहां तक उद्योगों का सवाल है, जिस उद्योग में पांच लाख तक की पूंजी लगी होती है उस को आप छोटा उद्योग मानते हैं, लेकिन अगर किसी किसान के

पास ३५ एकड़ भूमि भी है तो उस से पांच एकड़ भूमि लेना चाहते हैं। उस की जमीन दो ढाई हजार प्रति एकड़ के हिसाब से बिक सकती है लेकिन आप उस को मुआवजे में चालीस रूपया, पचास रुपया या ज्यादा से ज्यादा १०० रुपया प्रति एकड़ देना चाहते हैं। इस कानून में हम यह अन्याय-पूर्ण चीज देखते हैं। मैं मानता हूं कि जो बड़े लोग हैं उन के लिये मुआवजे की बात नहीं होनी चाहिये। जब आप इम्पीरियल बैंक को नैशनलाइज़ करना चाहते हैं तो उस के शेयरों को आप बाजार भाव पर लेते हैं। और दूसरे उद्योग जिन का आप राष्ट्रीयकरण करते हैं उन का मूल्य आप बाजार भाव पर देते हैं, लेकिन जब खेती की जमीन का सवाल आता है तो उस को बाजार भाव पर मुआवजा नहीं दिया जाता। जहां तक जमींदारियों का सवाल है उन के लिये आप यह सिद्धान्त रखें, उद्योगों के लिये आप यह सिद्धान्त रखें, लेकिन जहां छोटे लोगों का प्रश्न है वहां पर यह सिद्धान्त लागू करना मुनासिब नहीं होगा। मैं यह कहूंगा कि इस बिल का जो उद्देश्य है, वह इस तरह की व्यवस्था से पूरा होने वाला नहीं है।

जहां तक स्टैंडर्ड एकड़ का सम्बन्ध है, किसी दूसरे कानून में उस की जो परिभाषा की गई है, उस को इस बिल में लागू किया जा रहा है। जिस परिस्थिति में यह सदन इस बिल पर विचार कर रहा है, उस में उस को इस बात का भी अधिकार है कि स्टैण्डर्ड एकड़ की परिभाषा पर भी विचार करे। स्टैण्डर्ड एकड़ के विषय को हमारे सामने न ला कर एक ग़लत काम किया जा रहा है। सदन के सामने स्टैण्डर्ड एकड़ की परिभाषा रखी जानी चाहिये थी और अगर आवश्यकता होती, तो उस परिभाषा में परिवर्तन भी किया जाता। कम से कम यह सदन उस पर विचार तो करता। दूसरी परिभाषा को इस बिल के सम्बन्ध में भी लागू कर देना उचित नहीं है।

जब यह कानून बन रहा है और देश के लिये एक आदर्श के रूप में बन रहा है, तो हम एक मुख्य उद्देश्य यह रखें कि जो एक्सेस लैंड मिलेगी, वह हमेशा उन लोगों को दी जायेगी, जो खेती से सम्बन्धित हैं—वह भूमिहीन लोगों को दी जायगी। अगर दिल्ली में भूमिहीनों को जमीन नहीं मिलेगी, तो फिर सारे देश में भी उन को जमीन नहीं मिलेगी। अगर उस जमीन को दिल्ली नगर के विस्तार के काम में प्रयुक्त किया गया, तो फिर देश के और हिस्सों में ऐसी ज़मीन को औद्योगिक विस्तार आदि के लिये काम में लाया जायगा और इस का परिणाम यह होगा कि खेती की पैदावार बढ़ाने का हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

दफ़ा २६ में कुछ अपवाद रखे गये हैं। अगर उन अपवादों को खत्म नहीं किया गया, तो फिर सरकार को एक एकड़ ज़मीन भी नहीं मिलेगी। चीफ़ कमिश्नर से जिन लोगों के कुछ ताल्लुकात हो सकते हैं, या जिन की पहुंच हो सकती है, वे किसी न किसी अपवाद में आ जायेंगे। वे अपने फ़ार्म कायम करेंगे इस प्रकार के दूसरे काम करेंगे हमारा जो उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होगा। सिलेक्ट कमेटी में तो मिनिस्टर महोदय ने इन सब सुझावों को मंजूर नहीं किया। मैं आशा करता हूं कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अब वह इन को मंजूर करने का प्रयत्न करेंगे, जिस से ऐसा कानून बन सके, जो कि देश के लिये आदर्श हो सके।

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं): इस विधेयक द्वारा १५५ व्यक्तियों पर तथा १७०० एकड़ भूमि पर प्रभाव पड़ेगा। यदि इस विधेयक को पारित करने के बाद सहकारी या संयुक्त कृषि को प्रोत्साहन मिले, तो मैं इस का स्वागत करता हूं।

कहा गया है कि ५ व्यक्तियों के परिवार के लिये भूमि की अधिकतम सीमा ३० स्टैण्डर्ड एकड़ होगी और प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिये ५ एकड़ अतिरिक्त भूमि होगी पर अधिकतम सीमा ६० एकड़ तक ही होगी। मेरा ख्याल है कि यह अधिकतम सीमा सामान्य परिवार के लिये पर्याप्त ही होगा।

---

†मूल अंग्रज़ी में

[श्री रघुबीर सहाय]

स्टैण्डर्ड एकड़ क्या होगा, इस सम्बन्ध में काफी कठिनाई होगी। यद्यपि इस पर कुछ प्रकाश डाला जा चुका है पर अभी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। मेरा ख्याल है कि स्टैण्डर्ड एकड़ के बजाय यदि सामान्य एकड़ रखा जाता, तो ज्यादा अच्छा होता।

भूमि अर्जित करने का जो ढंग है, वह भी बड़ा जटिल व परेशानी वाला है। आप को एक निश्चित तिथि निर्धारित कर देनी चाहिये थी कि उस के बाद का हस्तान्तरण इस प्रयोजन के लिये वैध नहीं माना जायेगा। आशा है कि माननीय मंत्री मेरे सुझाव पर विचार करेंगे।

मुआवजे के सम्बन्ध में कहा गया है कि मुआवजा नकद, एक किश्त में या छोटी-छोटी किश्तों में या बाण्ड्स में दिया जायेगा। मुआवजे की दर तो कुछ अनुचित नहीं है पर मैं समझता हूं कि मुआवजा नकद व एक ही किश्त में भुगतान कर दिया जाये। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के मुआवजे के बाण्ड्स वाली हालत दिल्ली में न पैदा की जाय, तो ज्यादा अच्छी हो।

इस अतिरिक्त भूमि के उपयोग के सम्बन्ध में मुझे एक सुझाव देना है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद जितनी भी भूमि इकट्ठा हो, उसे सहकारी खेती के काम में लाया जाये। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अचिंत राम : (पटियाला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास ज्यादा ज़मीन हैं, उन से इस वास्ते क्या ज़मीन ली जा रही है कि उन के पास इतनी अधिक जमीन का रहना बुरा मालूम पड़ता है या इस के पीछे कोई मकसद है? किसी के पास ५० एकड़ या सौ एकड़ है उससे ३० एकड़ से अधिक जितनी ज़मीन ली जा रही है वह इसलिये जा रही है कि इतनी अधिक ज़मीन उस के पास रहना बुरा मालूम होता है या इस के पीछे कोई मकसद है? मैं समझता हूं कि पेश्तर इस के कि कोई सीलिंग मुकर्रर हो, जो मकसद है वह साफ होना चाहिये।

जहां तक मैं समझ पाया हूं इस में यह लिखा है कि जो सरपलस लैंड है उस को ले लिया जाय और डिज़र्विंग आदमियों में बांट दिया जाय। इस में भी यह देखना बहुत जरूरी है कि डिज़र्विंग लोग हैं कौन। जब यह पता चल जाय कि पचास आदमी रोटी खाने वाले हैं और हमारे पास चार सौ रोटियां हैं तो उन के बीच चार चार रोटियां बांट दी जा सकती हैं और अगर ४०० आदमी रोटी खाने वाले हैं तो एक एक रोटी बांट दी जा सकती है। इस वास्ते यह जानना जरूरी था कि दिल्ली के अन्दर कितने आदमी हैं जो डिज़र्विंग हैं, कितनी लैंड की जरूरत है। जहां तक मैं समझा हूं हमें दो तरह के कामों के लिये ज़मीन की जरूरत है। एक तो काश्त करने के लिये और दूसरे मकान बनाने के लिये। गांवों के अन्दर ऐसे बहुत से लोग हैं जोकि हाउसलेस हैं और जो मकान बनने हैं वे जमीन पर ही बनने हैं। इसलिये मकानों के लिये जमीन की जरूरत है। इस वास्ते उस जरूरत का भी अंदाज़ा लगाया जाना चाहिये था कि कितने आदमी हाउसलेस हैं और उन के वास्ते कितनी ज़मीन की जरूरत है। इस के अलावा यह भी देखा जाना चाहिये था कि कितने आदमी दिल्ली में ऐसे हैं जिन की गुज़र जमीन पर है और उन के लिये कितनी जमीन की जरूरत है। मैं यह नहीं कहता कि आप इस का अंदाज़ा लगाते कि जो दुकानदार हैं या जो दूसरे काम करते हैं, उन के लिये कितनी ज़मीन चाहिये मकानों के लिये या दूसरे कामों के लिये लेकिन मैं यह कहता हूं कि जिन का गुज़र जमीन पर है लेकिन ज़मीन उन के पास नहीं है उन की तादाद कितनी है और उन को कितनी ज़मीन चाहिये। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि पेश्तर इस के कि सीलिंग मुकर्रर की जाय जैसे तीस एकड़ की गई है हमें यह देखना चाहिये था कि कितने आदमी जमीन के बगैर हैं, कितने आदमी मकानों के बगैर

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हैं और उस के बाद देखा जाता कि उस काम के लिये कितनी जमीन की जरूरत है और मिनिमम जमीन कितनी दी जावे लैंडलैस को जिस से वे अपना काम चला सकें। पांच एकड़ दी जावे, दस एकड़ दी जावे या बारह एकड़ दी जावे। इस बात का पता लगा लेने के बाद सीलिंग मुकर्रर की जानी चाहिये थी चाहे वह २० एकड़ होती, २५ एकड़ होती या ४० एकड़ होती। इसलिये मैं समझता हूं कि जिस तरह इस बिल को पाइलट किया जा रहा है, वह बुनियादी तौर से गलत चीज़ है। मैं सिलैक्ट कमेटी का मैम्बर नहीं था और उस कमेटी को इस बुनियादी चीज़ को देखना चाहिये था . . .

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : ज़मीन को ही या धन को भी बांटा जाय ?

श्री अचिंत राम : आपने बड़े मौके से यह बात कही है और अगर आप ने यह बात न कही होती तो शायद मैं उस को भूल जाता। ज़मीन को ही नहीं मैं तो इस हक में भी हूं कि धन को भी बांटा जाय। उस के लिये भी . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अभी धन बांटा नहीं जाने लगा है कि झगड़ा हो।

श्री अचिंत राम : अभी तो मैं चूंकि ज़मीन का मामला आया है इसलिये सलाह दे रहा हूं, जब धन का आयेगा, तो उस वक्त भी अपनी राय दूंगा। मैं चाहता हूं जैसे यह बिल लाया गया है वैसे ही वह बिल भी लाया जाय।

मैं यह कह रहा था कि इस मसले की बुनियाद में नहीं पहुंचा गया है। यह तो ऐसे ही है जैसे पुटिंग कार्ट बिफोर दी हार्स। मैं समझता हूं पहले यह देखा जाना चाहिये था कि मकानों के लिये कितनी ज़मीन की आवश्यकता है और काश्त के लिये कितनी की आवश्यकता है और उसके बाद सीलिंग मुकर्रर की जानी चाहिये थी। इतना ही मुझे अर्ज़ करना था।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : भूमि की अधिकतम सीमा के सम्बन्ध में मुझे कहना है, अधिकतम सीमा ३० एकड़ रखी गई है और अनुमान है कि इस से ३,६०० रु० की आय होगी। पर कृषि व्यवसाय के लोग जानते हैं कि कृषि की उपज एक साल अच्छी और दूसरे साल खराब होती है। अतः यह आय कोई लाभप्रद नहीं होगी। इस के अतिरिक्त आगे की पीढ़ियों में लोगों की आय कम होती जायगी क्योंकि सारी भूमि वर्तमान कानून के अनुसार लड़कों व लड़कियों में बंट जायेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले अवसर पर जारी रखें। अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करेगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** : (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से, जो २ मार्च, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के सत्तावनवें प्रतिवेदन से, जो २ मार्च, १९६० को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सिक्ख गुरुद्वारा विधेयक

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के सुसंचालन तथा तत्संबंधी मामलों की जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये नियत समय को ३० जुलाई, १९६० तक बढ़ा दिया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय, सिख गुरुद्वारा बिल, १९५८ जो है यह १२ दिसम्बर, १९५८ को पेश किया गया था । उस में लिखा था कि ३० मार्च, १९५९ तक जनता की राय आ जाय । लेकिन यह देखा गया कि जनता ज्यादा उत्सुक है कि इस के बारे में वह अपनी राय भेजे । इसलिये २० मार्च, १९५९ को इस सदन के सामने यह प्रस्ताव रक्खा गया कि कुछ और वक्त दिया जाय । सदन द्वारा ३० जुलाई, १९५९ तक के लिये राय जानने की तारीख बढ़ाई गई । इस के बाद जो रिपोर्ट्स आईं और जो विचार धारायें प्रकाशित हुईं उन से यह मालूम हुआ कि हम को इस के लिये और ज्यादा समय देना चाहिये । १४ अगस्त, १९५९ को फिर इस सदन के अन्दर आ कर १५ फरवरी, १९६० तक के लिये और समय मांगा गया । इस के बाद जो विचार धारायें आई हैं, उन को देखने के बाद और लोगों से जो वार्तालाप मेरा हुआ है, उस के बाद यह जरूरी मालूम होता है कि और समय दिया जाय । और इसीलिये मैं इस सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं कि वह इस के लिये थोड़ा समय और दे । सब से जरूरी चीज यह है इस सम्बन्ध में जानने की कि अभी जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के चुनाव हुए हैं, उस के सदस्यों की राय जानना हमारे लिये जरूरी था, और इसलिये मैं ने उन से भी कुछ वार्तालाप किया . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : इस के लिये हाउस को इतनी लम्बी तकरीर की जरूरत नहीं है ।

सरदार अ० सिं० सहगल : हम उस के थोड़े से विचार और हासिल करें, इस के लिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इस समय को ३० जुलाई, १९६० तक बढ़ाने की इजाजत दी जाय ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : उन के पास कौन सा माप है जिस से पता लगा कि जितने लोग अपनी राय दे सकते थे वह अभी तक दे नहीं चुके हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस में झगड़े की क्या बात है ? मेरे खयाल से इस में दो रायें नहीं होंगी ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा है और मैं समझता हूं कि कई महत्वपूर्ण बिल आ रहे हैं । मैं इस प्रस्ताव का विरोध तो नहीं करना चाहता, लेकिन सरदार अमर सिंह सहगल साहब ने जो दलीलें पेश की हैं कि चूंकि नई शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी चुनी गई हैं . . . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय : जो प्रस्ताव आया है अगर उस से आप सहमत हैं तो दलीलों में ज्यादा वजन न भी हो तो क्या हर्ज है ?

श्री अजराज सिंह : क्यों इस पर पूरी राय नहीं आ पाई है, इस का प्रस्तावक महोदय ने कोई जिक्र नहीं किया है ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मुझे इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि सरदार अमर सिंह सहगल का बिल बड़ा उपयोगी बिल है और उस के वास्ते जनता की राय जानने के लिये और समय दिया जाना चाहिये । जैसा मेरे भाई ने अभी कहा है अभी नई कमेटी चुनी गई है, नये मेम्बर चुन कर आये हैं, उन से भी हमें कहना चाहिये कि वे इस बिल के सम्बन्ध में अपनी राय का इजहार करें । इसलिये मैं भी चाहता हूं कि इस बिल पर जनता की राय जानने का समय एक्स्टेंड किया जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारत संघ के विभिन्न राज्यों में स्थित सिख गुरुद्वारों के सुसंचालन तथा तत्संबंधी मामलों की जांच का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये नियत समय को ३० जुलाई, १९६० तक बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पिछड़ी जातियाँ (धार्मिक संरक्षण) विधेयक

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : (गुड़गांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा द्वारा २८ अगस्त, १९५९ को पिछड़ी जातियां (धार्मिक संरक्षण) बिल पर चर्चा के लिये नियत किये गये समय को ढाई घंटे से बढ़ा कर चार घंटे कर दिया जाय ।"

यह निवेदन मैं इस दृष्टि से कर रहा हूं कि यह बिल भारतीय एकता और अखंडता की दृष्टि से इतना आवश्यक है कि सदन के बहुत से सदस्य इस में भाग लेना चाहते हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस समय को और बढ़ा दिया जाय ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री भक्त दर्शन : (गढ़वाल): उपाध्यक्ष महोदय, इस समय को कम से कम एक घंटा और बढ़ा दिया जाये ।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : मैं इस का विरोध नहीं करना चाहता, पर मेरा एक निवेदन है । मेरे नाम पर एक विधेयक है जिस के द्वारा राजा महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद अधिनियम, १९२३ को निरसित करना है । यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । अतः समय इस तरह से बैठाया जाये कि मुझे विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कम से कम ५ मिनट का समय अवश्य मिल जाये ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां, हम इस का समर्थन करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय :अगर श्री प्रकाशवीर शास्त्री के विधेयक का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाता है तो जो श्री राम कृष्ण गुप्त का मोशन है उस के लिये एक घंटा रह जाता है। अगर वह मंजूर करें तो इस के लिये दो घंटे हो सकते हैं। यानी उन के मोशन के लिये जो दो घंटे मुकर्रर किये गये हैं उस की जगह पर एक घंटा कर दिया जाय और एक घंटा इस मोशन को दे दिया जाय। और फिर कुछ मिनट श्री पटेल के विधेयक के लिये बच सकते हैं। इसी तरह से हो सकता है। प्रश्न यह है :

> "कि सभा द्वारा २८ अगस्त, १९५९ को पिछड़ी जातियां (धार्मिक संरक्षण) विधेयक पर चर्चा के लिये नियत समय (देखिये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अढ़तालीसवां प्रतिवेदन) को ढाई घंटे से बढ़ा कर साढ़े तीन घंटे कर दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा १९ फरवरी, १९६० को प्रस्तुत किये गय निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी, अर्थात् :—

> "कि धार्मिक विश्वास के अतिरिक्त अन्य आधारों पर बलात् धर्म परिवर्तन से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों को और अधिक प्रभावशाली संरक्षण देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। माननीय मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री के विधेयक का उद्देश्य है कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों को धार्मिक शोषण व बलात् धर्म परिवर्तन से संरक्षण दिया जाये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पारित होने से उन्हें संरक्षण नहीं मिलेगा बल्कि हिन्दू वर्ग के लोग उन का अधिकाधिक शोषण करेंगे।

माननीय मित्र चाहते हैं कि अनुसूचित व अनुसूचित आदिम जातियों के लोग हिन्दू साम्प्रदाय के भीतर रहें। पर हिन्दू लोगों ने उन के लिये क्या किया है ?

हिन्दू धर्म क्या है ? यह बताना बड़ा कठिन है। इसाइयों में एक ईश्वर है और बाइबिल उन का धर्म ग्रंथ है। मुसलमानों के पैगम्बर मोहम्मद हैं और कुरान धर्मग्रंथ है पर क्या हिन्दुओं में कोई ऐसी पुस्तक है जिसे हिन्दू धर्म की पुस्तक कहा जाये।

†**प्रकाश वीर शास्त्री** : वेद

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : पर कितने लोग वेदों को पढ़ते हैं। आज हिन्दू जिस धर्म का पालन करते हैं वह वेदों का धर्म नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को विषय की सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिये। उन्हें विभिन्न धर्मों की तुलना नहीं करनी चाहिये बल्कि विधेयक के गुण-दोषों की चर्चा करनी चाहिये।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने बताया कि ईसाई धर्म प्रचारक १२५ करोड़ रु० बाहर से लाये—धर्म प्रचार के लिये। आखिर यह धन कहां से आया। यह धन ईसाइयों ने इकट्ठा किया विदेशों में। ईसाई धर्म प्रचारक देहातों की उन जातियों को, जिन्हें आप अछूत

---

†मूल अंग्रेजी में

कहते हैं. बड़ी सेवा करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं दवायें देते हैं और उन की सेवा करते हैं। पर आप उन के लिये क्या करते हैं ?

मैं वेदों की आलोचना नहीं करना चाहता पर आप को पता होना चाहिए कि हमारे देश में देहातों में तुलसी रामायण, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य तथा गृह सूत्र आदि पढ़े जाते हैं। आप जानते हैं इन शास्त्रों में अनुसूचित जातियों के लिए क्या लिखा हुआ है। ब्रह्मशास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई शूद्र पंडित हो जाये, तो उसे फांसी दे दी जानी चाहिए या उसका गला काट देना चाहिए।

†**एक माननीय सदस्य :** यह गलत व्याख्या है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** माननीय सदस्य पुनः उसी विवादग्रस्त बात को उठा रहे हैं, जिसके लिए मैं उन्हें मना कर चुका हूं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** मेरे पास इस तरह के हजारों उदाहरण हैं। मैं जताना चाहता हूं कि आज जिस हिन्दू धर्म का पालन हो रहा है वह क्या है। मैं पूछता हूं कि उन पर रोक क्यों लगाई जाये। उन्हें अपनी इच्छा से मन पसंद धर्म स्वीकार करने की छूट क्यों न दी जाये ? यदि आप मुझे उन उदाहरणों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इन धार्मिक पुस्तकों को .....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या वह उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं.....

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** यदि आप मुझे इन्हें पढ़ कर सुनाने नहीं देंगे, तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इन पुस्तकों को इस प्रयोजन से नहीं लाया गया है कि सभा पटल पर रखा जाये बल्कि इस तरह फाड़ डाला जाये।.....

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति। मैं माननीय सदस्य को ऐसे काम की अनुमति नहीं दे सकता। इससे दूसरे माननीय सदस्यों को ठेस पहुंचेगी। सभा वाद विवाद का स्थान है इस प्रकार प्रदर्शन करने का स्थान नहीं है। यह बड़ी आपत्तिजनक बात है। मैं इस तरह धार्मिक पुस्तकें फाड़ने की अनुमति नहीं दे सकता।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या आप चाहते हैं कि हम इन घृणित पुस्तकों को सिर पर रखें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इस बात से मेरा कोई मतलब नहीं है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : माननीय सदस्य से कहा जाये कि वह अपने शब्द वापस लें।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ऐसी बात का होना बड़े दुख की बात है। यदि मैं पहले से जानता कि वह ऐसा करेंगे तो मैं उन्हें रोक देता। इस तरह की बातें करने का मतलब भाषण स्वतंत्रता नहीं है। माननीय सदस्य के आचरण पर मुझे बड़ा क्षोभ है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस किसी धर्म में कोई रूढ़ि है, मैं उन तमाम रूढ़ियों की मुखालिफ़त करता हूं, चाहे वह हिन्दू धर्म ही, बौद्ध धर्म हो, ईसाई-क्रिस्चियन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो। रूढ़िवाद के सभी समर्थकों का मैं विरोध करता हूं और इसी दृष्टि से मैं किसी भी ग्रन्थ के फाड़े जाने का बिल्कुल विरोधी हूं। चाहे वह किसी भी मज़हब का ग्रन्थ हो, हम को उस की प्रतिष्ठा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य उस का ज़िक्र करेंगे, तो फिर वह इस में आ जायगा। मैं ने पहले नहीं आने दिया।

डा० राम सुभग सिंह : इस बिल के मुताल्लिक मुझे यही कहना है कि मैं इस के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस बिल की मूल बात यह है कि जिस प्रकार से हमारे दलित भाइयों को आर्थिक शोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार से उन की धार्मिक शोषण से भी रक्षा की जानी चाहिए। इस को मैं इस लिए आवश्यक समझता हूं क्योंकि दबाव के कारण---चाहे किसी भी प्रकार का दबाव हो---यदि कोई भाई या बहन इस बात के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं कि वे अपने धर्म को छोड़ें, तो उसे मैं वाजिब नहीं समझता। मैं यह पूरी तरह चाहता हूं कि स्वेच्छा से जिस किसी का भी मज़हब परिवर्तन करने का इरादा हो, उस को ऐसा करने की पूरी छूट होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आर्थिक दबाव या सामाजिक दबाव डाल कर या बल का प्रयोग कर के किसी को मज़हब परिवर्तन करने के लिए बाध्य करे, तो उस की इजाज़त हिन्दुस्तान में नहीं होनी चाहिए। आज इस तरह के परिवर्तन कई एक स्थानों में हो रहे हैं। मैं यह नहीं चाहता कि किसी को धार्मिक विचारों के प्रचार की छूट नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि सभी लोगों को धर्म-परिवर्तन की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये, धार्मिक प्रचार की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए और उसको जितना ही हम ज्यादा बढ़ावा दे सकें, उस का मैं कायल हूं और चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के मूल सिद्धान्तों के प्रचार के लिए ज्यादा से ज्यादा अवकाश मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि हम दवाब के ज़रिए या नाजायज़ बल का प्रयोग कर के किसी को पथ भ्रष्ट करें। मैं पथ-भ्रष्ट भी नहीं मानता। पथ भ्रष्ट इस मायने में कि यदि मान लीजिए कि मैं किसी धर्म का अनुयायी हूं और यदि किसी अन्य धर्म के ग्रन्थों के अध्ययन से या उस के मज़हबी गुरुओं के आदर्शों से प्रभावित हो कर मैं अपना धर्म परिवर्तन करूं, तो इस बात की मुझे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये, लेकिन अगर कोई मज़हबी गुरु या कोई समुदाय मुझ पर दवाब डाल कर, या मेरी गरीबी या दुर्बलता का नाजायज फायदा उठा कर मुझे पर अपना धर्म लादें, तो मैं जीवन-पर्यन्त ऐसे कुचक्रों का मुकाबला करने के लिए चाहूंगा कि न केवल वह व्यक्ति तैयार हो, वरन सारा समाज और सरकार भी उस की सहायक हो, क्योंकि आज स्वतंत्रता के मायने ये नहीं हैं कि बाघ और बकरियों को एक जगह छोड़ दिया जाये। अगर ऐसा किया जायगा, तो यह स्वाभाविक है कि वह खाने का प्रयास करेगा। वहां पर सरकार को अंकुश डालना चाहिए और उस को देखना चाहिए कि वह दोनों की स्वतंत्रता की रक्षा करे और बाघ को स्वतंत्रता देने का मतलब है कि वह जंगल में रहे और उस को स्वच्छंद ढंग से बकरियों में भी विचरने का अधिकार न हो। इसी दृष्टि से मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि सरकार को इस बात की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी भी ग़रीब और दुर्बल भाई या बहन को नाजायज रीति से धर्म-परिवर्तन करने के लिए बाध्य न होने दिया जाये।

श्री जांगड़े (विलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान विधेयक मुझे विवादग्रस्त नहीं मालूम होता। यह बहुत ही सीधा सादा विधेयक है। जो भी व्यक्ति यदि धर्म-परिवर्तन करता है, तो उस के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं है। एक कहावत है कि जो व्यक्ति सिर मुंडाता है, सिर का मुंडन कराता है, उसे उस्तरे या छुरे से क्यों डरना चाहिए। उसी प्रकार से यदि कोई आदमी धर्म-परिवर्तन करता है, तो उसे जिले के न्यायाधीश के पास जाने में और अपने नाम के पंजीयन से क्यों डरना चाहिए। यह सिद्धान्त है।

श्री द० अ० कट्टी (चिकोडी) : इस बिल में यह प्रिजम्प्शन है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग पैसा ले कर धर्म-परिवर्तन करते हैं। यह रांग है।

श्री पद्म देव (चम्बा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बड़ी आपत्तिजनक बात है कि यह कहा जाये कि ये लोग इस लिए ऐसा कहते हैं कि इन को पैसा मिलता है।

एक माननीय सदस्य : यह कहां कहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सुना नहीं है।.....क्या यह कहा गया है, जो कि माननीय सदस्य कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं कहा गया है। अब इन्ट्रेप्शन्ज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे पास वक्त नहीं है।

श्री जांगड़े : इस के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की भी हालत वह नहीं रही जो सैकड़ों वर्ष पहले थी। आज हिन्दू समाज सुधारवादी होता जा रहा है और सुधरता जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह ग़लत है।

श्री जांगड़े : और इसीलिए इसी संसद् ने इसी सदन में हिन्दू समाज के सुधार के लिए अनेक उपाय किए हैं.....

एक माननीय सदस्य : यह गलत है।

श्री जांगड़े : .....हिन्दू कोड बनाया है और विवाह प्रथा और रीतिरिवाज में बहुत अन्तर डाल दिया है। अब अन्तर्जातीय विवाह होने लगे हैं। किसी भी जाति को अब वेद आदि के पठन-पाठन में कोई रुकावट नहीं डाली जाती है। यदि एक आध स्थान पर ऐसा होता है, तो उसे अपवाद के रूप में मानना चाहिए। परन्तु साधारणतया कहीं पर कोई रुकावट नहीं है। ऐसी हालत में हम इस में कोई विवादग्रस्त बात नहीं पाते हैं। अब हिन्दू समाज बहुत प्रगतिशील हो गया है। ऐसी हालत में किसी को धर्म-परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाये, यह जायज बात नहीं है। हिन्दुस्तान पनप चुका है और हम अपने आप को समझते हैं और समझने के बाद भी हम पैसे के कारण अपनी इच्छा के बरखिलाफ किसी धर्म में जाते हैं और धर्म का परिवर्तन अपनी इच्छा के खिलाफ करते हैं, क्योंकि हम गरीब हैं। जो गरीब होता है, उस को चारों तरफ से शिकार बनाया जाता है। धार्मिक पिपासु भी उसको

[श्री जांगड़े]

शिकार बनाते हैं और आर्थिक शोषण करने वाले भी उसे अपना शिकार बनाते हैं। ये बातें स्वतंत्र भारत में नहीं होनी चाहिए, यह मेरा सिद्धान्त है। मैंने देखा है कि जब अकाल पड़ता है और शासन उस समय अधिक सहायता करने के काबिल नहीं होता, तो मिल्क पाउडर दे कर, या थोड़ी सी लालसा दे कर, या दूसरे धर्म को कनडेम कर के—उस का तिरस्कार करके और इस प्रकार अपने धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ा कर अपढ़ आदमियों के मन में अपने धर्म के प्रति घृणा की भावना भरी जाती है। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि हम घृणा की भावना के कारण धर्म-परिवर्तन करते हैं, तो हम अपने धर्म की कद्र नहीं करते हैं। आज हम ने इस धर्म को धोखा दिया है, तो हो सकता है कि दूसरे धर्म में जा कर हम उस को भी धोखा दें। हम नहीं चाहते कि हम इस प्रकार का धोखा दें। अगर हम धर्म-परिवर्तन करें, तो अपने अन्तःकरण से प्रेरित हो कर, सच्ची वृत्ति के साथ और अपनी भावना को पवित्र करके करें। इस प्रकार के धर्मपरिवर्तन को हम मानते हैं। यदि मेरी इच्छा है कि मैं इस्लाम धर्म को मन्जर करूं, यदि मुझे उस के सिद्धान्तों और आदर्शों में विश्वास है, तो मैं इस्लाम धर्म में जा सकता हूं। यदि मैं ईसा मसीह के पवित्र उसूलों को मानूं, तो मैं ईसाई धर्म में जा सकता हूं। एक ईसाई ने कहा कि मैं हिन्दू बनना चाहता हूं, तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर तुम्हें सच्चा ईसाई बनना है, तो तुम्हें हिन्दू धर्म में नहीं रहना है और एक हिन्दू यदि अपने धर्म को छोड़कर ईसाई होता है, तो वह असली हिन्दू नहीं है, असली मानव नहीं है। हर एक धर्म का मूलभूत सिद्धान्त एक है और यदि हम उस मूलभूत सिद्धान्त को मानते हैं, तो किसी भी धर्म-परिवर्तन की हमें क्या आवश्यकता है? हमें मानवता की दृष्टि से देखना और सोचना चाहिए। जो मानव की सेवा करता है, वही सच्चे धर्म को मानता है। वही हमारा मूलभूत सिद्धान्त और मूलभूत धर्म होना चाहिये। अगर जबरन, जबर्दस्ती चारों तरफ घेरा डाल कर किसी का धर्म-परिवर्तन किया जाता है, तो स्वतंत्र भारत में मैं उस को नाजायज मानता हूं। इस लिए इस विधेयक का शासन को स्वागत करना चाहिए और न केवल इस का पालन करना चाहिये, बल्कि मैं तो चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा, विदेशी पैसा किसी धर्म परिवर्तन के काम के लिए हमें नहीं चाहिये, हमारे देश के पास पैसा है, और हम अपने पैसे से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं।

श्री च० कृ० नायर (बाह्य दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सी बातें कही गई हैं इस धर्म परिवर्तन के बारे में और खास तौर पर आखिरी वक्ता ने यह कहा है कि हमें सब तरह की आजादी है जोकि पहले नहीं थी। यह बात उन्होंने सच्ची कही है। एक ज़माना था बहुत वक्त नहीं हुआ है जबकि मुझे मालूम है कि त्रिवेन्द्रम में संस्कृत कालेज में हरिजनों को जब पहले पहल दाखिल किया गया था तो वहां के जो ब्राह्मण लोग प्राफेसर थे, वे वाक आउट करके चले गये थे। उन्होंने कह दिया था कि इनको हम नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह से अगर मंदिर से उठ रही आवाज़ इनके कानों में पड़ जाती थी तो कह दिया जाता था कि हम नरक में चले जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवाज तो ऐसी नहीं थी कि जिसके कानों में पड़ने से हम सब मैम्बरों को यह खयाल हो गया कि हम नरक में चले गए। हम नरक में नहीं जा रहे हैं। अगर वह आवाज़ हमारे खिलाफ भी जाती है तो हमें वह सुननी होगी और डेमोक्रेसी इसी का नाम है। जो आवाज हमारी आवाज के मुखालिफ जाती हो, उसे हमें सुनना चाहिये और उसको बरदाश्त करना चाहिये। बरदाश्त करने की स्पिरिट यहां आनी चाहिये और आराम से जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसको सुनना चाहिये।

श्री च० कृ० नायर : मैं मानता हूं कि जिस ज़माने की बात मैं कर रहा हूं वह खत्म हो गया, वह बहुत पुराना था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई ईसाई बन जाता है तो आसमान गिरने वाला नहीं है । एक चीज़ जरूर है कि हमारे व्यवहार की वजह से यह चीजें हुई हैं और इसे हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिये।

इसी पाबन्दी को लगाने का यह मतलब जरूर है कि जो बैकवर्ड क्लासिस के लोग हैं या जो शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उन को हम जबर्दस्ती एक धर्म में रखना चाहते हैं। क्यों हम ऐसा करें, यह मेरी समझ में नहीं आया है। अगर कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हमारी दृष्टि में सभी धर्म बराबर हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर कोई पैसा लें कर बनता है तो वह खुद को कंडेम करता है। हम क्यों कंडेम करें। मैं समझता हूं कि सब से बड़ा धर्म रोटी है । धर्म के नाम पर कई ढोंग रचा रखे हैं। जिसको रोटी खाने को नहीं मिलती है, उसको इंसान नहीं माना जाता है, सड़क पर नहीं जाने दिया जाता है, मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया जाता है, किसी तरह की कोई भी आजादी उसको नहीं दी जाती है, किसी तरह के कोई भी अधिकार उसको नहीं दिये जाते हैं।

अगर किसी हरिजन बस्ती में ईसाई पादरी जाते हैं, प्रेम के साथ उसको अपनी बात समझाते हैं, उसको इन्सान बनाते हैं तो कौन बेवकूफ़ होगा जो ईसाई नहीं बनेगा मैं मानने के लिए तैयार हूं कि हमारे हरिजन भी बड़े बेवकूफ़ थे जो अब तक नहीं बने थे। लेकिन उनको बेवकूफ़ बनाने वाले कौन थे ? हम ही तो थे। हमने उनसे कहा कि यह कर्म का फल है जो तुम भोग रहे हो। ऐसी हालत में वें सोच नहीं सकते थे कि मुसीबत में क्यों पड़े हैं। लाखों करोड़ों बरसों से उनको सोचने तक का अधिकार नहीं था, इन्सान उनको नहीं माना जाता था, पवित्र से पवित्र काम करने पर भी, उनको नीच समझा जाता था, मुर्दा ये लोग उठाते थे, टट्टी ये लोग साफ करते थे, गांवों की सफाई ये लोग करते थे और इतना कुछ करने पर भी उनको कहा जाता था कि तुम अछूत हो। जो धर्म था, इस तरह की बातें करके उसको विधर्म कर दिया गया। मैं यह भी कहने के लिए तैयार हूं कि यह हरिजन मूवमेंट जो है यह इतनी ताकत से नहीं बढ़ सकती थी जितनी ताकत से बढ़ी है, अगर ईसाइयों का काम हिन्दुस्तान में न होता।

एक माननीय सदस्य : नो।

श्री च० कृ० नायर : लेकिन आज हरिजनों में जागृति आ गई है, वे पढ़ लिख गए हैं। त्रिवेन्द्रम को लीजिये, तमिलनाड को लीजिये। उनके अन्दर हरिजन डाक्टर हैं, नर्सिस हैं, प्राफेसर्स हैं, जजिज़ हैं। अगर ईसाई लोग उनको आ कर ईसाई न बनाते तो ये लोग इन पदों पर नहीं पहुंच सकते थे। मैं समझता हूं कि यह कृतघ्नता की बात होगी अगर ईसाई धर्म के खिलाफ ईसाई मिशनरियों के खिलाफ कोई इस तरह की पाबन्दी लगाई गई। मैं इस पक्ष में हूं कि स्वार्थी बन कर धर्म परिवर्तन न किया जाए। मगर मैं जानता हूं कि बड़ी ऊंची जाति के लोग स्वार्थी बन कर ईसाई बने हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासिस और शेड्यूल्ड कास्ट्स को ही क्यों इस में रखा गया है कि धर्म परिवर्तन उनका न किया जाए ? इसका क्या यह मतलब है कि जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, या जो दूसरे उच्च जाति के लोग हैं वे धर्म परिवर्तन कर सकते हैं ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये ऊंची जाति के लोग बेवकूफ नहीं हो सकते हैं ? वे भी बेवकूफ़ हो सकते हैं, बेवकूफ हम भी हो सकते हैं।

[श्री च० कृ० नायर]

मैं नहीं समझता कि इस बिल को इस भवन में लाने की जरूरत थी। ईसाई धर्म, इसलाम धर्म, आर्य समाज, इत्यादि सभी धर्मों को प्रचार करने का पूरा हक्क होना चाहिये जोकि उनको हमारी कांस्टीट्यूशन में मिला हुआ है। उसके खिलाफ जा कर आप बैक्वर्ड क्लासिस और शैड्यूल्ड कास्ट्स के ऊपर धर्म परिवर्तन करने की पाबन्दी लगा रहे हैं, उनकी आजादी के ऊपर पाबन्दी लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर लालच की बात कही जाती है तो यह गलत है। उनके लिये रोटी ही उनका धर्म है, दूध ही उनके लिये उनका धर्म है, किताबें पढ़ने, इल्म हासिल करने का उनको इस तरह से मौका मिलता है।

इस बिल से इंसान की डिगनिटी को क्वेश्चन किया जाता है और खास तौर पर बैक्वर्ड क्लासिस और शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के ऊपर यह इलजाम लगाना है कि लालच में आ कर वे धर्म परिवर्तन करते हैं। ईसाई धर्म में आज तक जितने धर्म परिवर्तन हुए हैं दुनिया में, इसलाम का बहुत जोर रहा है और उसमें जितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किये हैं क्या वे सब लालच में आ कर किये हैं? थोड़ा बहुत लालच हो सकता है, लेकिन इसको इतना ज्यादा मैगनिफाई करने की जरूरत नहीं है।

इसलिये अधिक न कहते हुए मैं इस बिल को अपोज करता हूं।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मुझे बहुत खेद है कि वादविवाद के दौरान काफी गरमा-गरमी पैदा हो गई।

बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और उन्होंने सभा के सामने एक स्वरूप उपस्थित किया है। लगता है कि सामान्य धारणा यह है कि बहुत से लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन किया जाता है। दूसरी बात यह कही गयी है कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन हो जाता है उनमें अभारतीय तथा अदेश भक्ति की भावना पैदा हो जाती है। ये दो मुख्य बातें कही गयी हैं।

विधेयक के गुण-दोषों की चर्चा करने के पूर्व, मैं विधेयक के प्रस्ताव महोदय को यह बताना चाहता हूं कि इसमें कई गंभीर त्रुटियां हैं, जिन्हें उन्हें ठीक कर लेना चाहिये था।

पहली बात यह है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद २५(१) है। जब यह अनुच्छेद विचाराधीन था, तो उस पर बहुत चर्चा हुई और सभी बातों पर विचार करने के बाद संविधान सभा ने इस अनुच्छेद को पारित किया था। मैं इस अनुच्छेद को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं क्योंकि उसी कसौटी पर इस विधेयक को कसना है। अनुच्छेद २५(१) कहता है :—

> "सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा।"

इस प्रकार आप देखेंगे कि भारतीय नागरिकों को यह एक महान तथा मूल अधिकार दिया गया है। इस के दो भाग हैं। एक तो अन्तःकरण की स्वतंत्रता; कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। दूसरे धर्म क्षेत्र सीमित नहीं किया गया है, जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने धर्म की व्याप्ति को सीमित बनाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने 'भारतीय उद्भव के धर्म' में अनेक धर्मों को सम्मिलित नहीं किया है। भारत में अनेक मान्य धर्म हैं और कोई भी

---

†मूल अंग्रेजी में]

नागरिक उनमें से कसी धर्म को मान सकता है, उस पर आचरण कर सकता है। 'धर्म' शब्द संविधान में सीमित नहीं किया गया है, जैसा कि माननीय सदस्य करना चाहते हैं। माननीय सदस्य क कहना है

"(ग) 'भारतीय उद्भव के धर्म' का अर्थ है :—

(१) हिन्दू धर्म अपने किसी भी रूप या विकास में वीरशैव, लिंगायत या ब्रह्मो, प्रार्थना आर्य समाज सहित ;

(२) बौद्ध धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म;

(३) मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी के अतिरिक्त को धर्म :"

क्या यह कहना उचित है कि मुसलमान, इसाई, पारसी या यहूदी जिस धर्म का पालन कर रहे हैं वह भारतीय उद्भव का धर्म नहीं है ?

इस सम्बन्ध में हमें दो बातों को ध्यान में रखना चाहिये। पहली बात तो यह है कि हम सभी को हिन्दू धर्म पर अभिमान है यद्यपि कुछ अन्य मित्र किन्हीं पुस्तकों या सिद्धांतों का अपमान करन की कोशिश करते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हिन्दू धर्म एक बड़ा सहिष्णु धर्म रहा है। दूसरे हिन्दू धर्म विस्तार तथा संगठन के लिये खुला है। यह भारत का एक परिवर्तनशील धर्म है।

धम के प्रश्न पर विचार करते समय हमें जाति या अस्पृश्यता जैसी सामाजिक रीतियों की बात नहीं उठानी चाहिये। ये बातें कभी भी धर्म का अंत्र नहीं रही हैं। ये रीतियां तो संगठनात्मक पहलू से सम्बद्ध थीं और हिन्दू धर्म के मूल पहलू को हम जितना ही शीघ्र समझ लें, उतना ही अच्छा है।

हमें अपने धर्म पर अभिमान है और हमारा धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है क्योंकि वह सब पर प्रभाव डालता है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि भारत में हिन्दू धर्म के अतिरिक्त मुसलमान धर्म और इसाई धर्म भी सम्मानित धर्म के रूप में विकसित होते रहे हैं।

उदाहरण के रूप में, माननीय मित्र को पता है कि ईसा के बाद लगभग ५० वर्ष में ही बहुत से ईसाई भारत के पश्चिमी तट पर आ कर बसे। गत १९०० वर्षों से ये वहां रह रहेहैं। क्या हम इन इसाइयों को भारतीय उद्भव के अतिरिक्त धर्म कहने का साहस कर सकते हैं ?

धर्म का कोई उद्भव नहीं होता। धर्म वह है, जो धर्म के रूप में रहे और जिसको सभी लोग पसंद करें। मुस्लिम धर्म की ही बात लीजिये। बहुत पहले की बातें जाने दीजिये। हो सकता है उस समय दोनों ओर से गलतियां हुई हों। पर मुस्लिम धर्म भी पिछले १२०० वर्षों से भारत में फल-फूल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या हमारे लिये यह उचित होगा, क्या यह हमारा धर्म होगा कि हम इन धर्मों को विदेशी धर्म कहें।

पारसियों की बात लीजिये। पारसी भारत में आये और भारत ने उनको शरण दी। भारत के लिये गर्व की बात है कि उसने पारसियों को शरण दी। उनकी संख्या मुश्किल से एक लाख है और आज भी पारसियों को गर्व है कि उन्हें भारत ने शरण दिया। इसी तरह यहूदियों की संख्या भी बहुत थोड़ी सी है।

माननीय सदस्य धर्म के क्षेत्र को सीमित बनाना चाहते हैं और वह केवल हिन्दू धर्म तथा कुछ अन्य तत्संबंधी धर्मों को धर्म की सीमा में रखना चाहते हैं। यह गलत दृष्टिकोण है।

[श्री च० कृ० नायर]

अतः प्रश्न यह है कि यह विधेयक संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है या नहीं ?

यदि किसी व्यक्ति को इच्छानुसार किसी धर्म का पालन करने का ही नहीं बल्कि उसका प्रचार करने का भी अधिकार है, तो क्या उसका यह अधिकार छीना जा सकता है—खास तौर से पिछड़ी जातियों के मामले में जिन्हें मेरे माननीय मित्र संरक्षण देना चाहते हैं। वे कोई संरक्षण नहीं चाहते।

अब मैं कुछ अन्य बातों को लूंगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन की बात केवल इसी वाद विवाद में नहीं उठाई गयी बल्कि पहली संसद में भी श्री जेठालाल जोशी ने भी एक ऐसा ही विधेयक उपस्थित किया था जिस पर चर्चा हुई थी और उस में प्रधान मंत्री ने भी भाग लिया था और उन्होंने बताया था कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है। मुझे स्मरण है कि माननीय सदस्यों ने कई बार प्रश्न भी पूछे हैं कि क्या बलात् धर्म परिवर्तन या सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहा है। सरकार ने इन सभी बातों की जांच कराई और ये सभी बातें गलत निकलीं। बम्बई राज्य का एक मामला था जिसमें शिकायत की गयी थी कि वहां सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहा है पर वहां पता लगा कि केवल एक ही व्यक्ति का और उसके अभिभावक की अनुमति से धर्म परिवर्तन हुआ था। सिर्फ इतनी सी बात थी। अतः हमें उन सभी बातों को बिल्कुल सही नहीं मान लेना चाहिये, जो हमें सुनने को मिलती हैं।

भारत-विरोधी दृष्टिकोण की भी बात कही गयी। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि सरकार किसी भी क्षत्र में भारत-विरोधी दृष्टिकोण को पैदा नहीं होने देना चाहती। भारत सरकार इस सम्बन्ध में मजबूत है और भारत-विरोधी या तोड़-फोड़ सम्बन्धी दृष्टिकोण को दबाने का अधिकार सरकार को प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन बिना उसकी इच्छा के या बिना उसके अभिभावक की अनुमति के होता है, तो इस सम्बन्ध में सामान्य दण्ड विधि में कार्यवाही करने का उपबन्ध है। माननीय सदस्य ने भी कुछ मामलों का उल्लेख किया जिन को अदालत में ले जाया गया था। अतः सामान्य विधि के अन्तर्गत भी सरकार को अधिकार प्राप्त है कि वह धर्म परिवर्तन के मामले में जांच करे कि वह बलात् हुआ है या स्वेच्छा से ताकि सरकार यह जान सके कि उसका हस्तक्षेप करना उचित है या नहीं क्योंकि धर्म परिवर्तन का अधिकार संविधान द्वारा जनता को प्राप्त है। अतः जब किसी का बलात् धर्म परिवर्तन किया जाता है या किसी नाबालिग का, जो अपने धर्म के सिद्धान्तों के बारे में या उस धर्म के सिद्धान्तों के बारे में जिसे वह ग्रहण करने जा रहा है, कुछ नहीं जानता, धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो हम कार्यवाही कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में हम क्या कर रहे हैं, यह बताना उचित न होगा। पर सभा को विदित होना चाहिये कि जब सरकार के सामने ऐसी कोई बात आती है, जो वैध नहीं होती, तो उसे रोकने के लिये सरकार के पास पर्याप्त अधिकार व शक्ति है।

कई माननीय सदस्यों ने विदेशी मिशनरियों का प्रश्न उठाया था। मेरे पास उन के आंकड़े मौजूद हैं। मिशनरियों की संख्या काफी घट गई है—१७०० से घट कर लगभग १३०० रह गई है।

ध्यान देने योग्य एक बात यह है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत से मान्यता चाहने वाले विदेशी मिशनरियों के निकाय भारतीय निकाय नहीं थे। विदेशी निकायों को मान्यता मिली हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने दो निकायों को मान्यता दी थी—एक तो रोमन कैथोलिकों और दूसरे प्रोटेस्टेण्टों के निकायों को। देश स्वतंत्र होन के बाद, हमने पहला काम यही किया था कि मान्यता देने का अधिकार भारतीय निकायों को ही दे दिया था।

गृह-कार्य मंत्रालय के हाल के एक प्रतिवेदन में मिशनरियों से सम्बन्धित सरकारी नीति का निरूपण किया गया था। उसमें कहा गया था कि इन मिशनरियों का बड़ा अतिरंजित चित्र हमारे सामने रखा गया था। माननीय सदस्यों ने जिन दो प्रतिवेदनों का उल्लेख किया है उन में भी ऐसे ही अतिरंजित विवरण हैं। ठीक है। लेकिन हमें इसका एक दूसरा पहलू भी देखना चाहिये। यह दूसरा पहलू है कि ये सभी मिशनरी उसी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं जिस ढंग से कि माननीय सदस्यों ने बताया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियां मुझे मालूम हैं। मुझे उन क्षेत्रों की परिस्थितियां भी मालूम हैं जिनमें आदिम जाति और हरिजन लोगों की ही प्रमुखता है।

माननीय मित्र ने कुछ उदाहरण रखे हैं। फिर भी सभी मिशनरी वैसे नहीं हैं। ये मिशनरी 'ईसा के अनुष्ठान' की सेवा में रत हैं। इसाई धर्म ने विश्व के कल्याण में यह एक बड़ा महानतम योग दिया है। ये ईसाई मिशनरी इसी भावना से अपना कार्य करते रहे हैं। हां कुछ इस के अपवाद भी हैं, और उनकी पूरी-पूरी जांच की जायेगी। फिर भी, मैं उन बहुत से मिशनरियों की सराहना किये बिना, उनके प्रति सम्मान प्रकट किये बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने इतने सारे समुदायों के उत्थान के लिये अपना कार्य जारी रखाहै। मैं ऐसी कई विदेशी और भारतीय मिशनरियों को जानता हूं जिन्होंने हमारे देश के दुर्गम से दुर्गम क्षत्रों में जान का साहस किया है और अपने आपको वहीं खपा दिया है। मुझे से जब कुछ माननीय सदस्यों ने इन मिशनरियों के बारे में कहा था, तब मैं ने उन से पूछा था कि इन विदेशी या ईसाई मिशनरियों जैसी भावना से हमने कभी कोई काम किया है? हमें उनकी भावना का आदर करना चाहिये। हमें भारत में ईसाई मिशनों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिये।

और यदि ये मिशनरी अपना काम उचित ढंग से नहीं करते, तो हम अपनी विधियों के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। संसद् ने अभी कुछ वर्ष पहले विदेशियों के सम्बन्ध में कुछ विधियां पारित की थीं और उन अधिनियमों के अन्तर्गत कुछ नियम भी बनाये थे। और यदि कोई व्यक्ति या कोई मिशनरी भारत के हित के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है, तो सरकार के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वह उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सके।

सरकार उनकी भावना और उनके कार्य की सराहना करती है; साथ ही ऐसी आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है कि ये विदेशी मिशनरी अपना काम उचित ढंग से करें। लेकिन उसकी पहली शर्त यही है कि हमें उनके कार्यों के उचित होने पर संदेह हो। उसी अवस्था में इन विधियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। वह संविधान के अधीन होगी। यदि ये मिशनरी अपने प्रचार-कार्य के लिये विदेशों से धन लाते हैं, तो उसकी अनुमति इसी आधार पर दी जाती है कि वे उस धन का उपयोग उचित रीति से करेंगे। जब तक हमें उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिलता तब तक हम यही समझेंगे कि उस धन का उपयोग उचित रीति से किया गया है।

ये सभी प्रश्न नीति से सम्बन्ध रखते हैं और ऐसे सभी मामलों में हम देश के कल्याण को ही सर्वोपरि मानते हैं। नई मिशनरी संस्थाओं को मान्यता देने की कसौटी यही रखी गई है कि उसे अनुमति देना भारत के हित में हो। मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि देश की गरीब जनता, अनुसूचित जातियों या पिछड़े हुये वर्गों या आदिम जातियों के कल्याण के प्रति हम सदैव बड़े सजग रहते हैं। जहां और जब भी आवश्यकता पड़ती है, हम इन मिशनरियों से सहायता मांगते हैं और वे सभी हमारी सहायता बड़ी खुशी से करते हैं। माननीय सदस्यों को ये सभी बातें नहीं भूलनी चाहिये। इन मिशनरियों की संख्या कम होती जा रही है, यह तो बताया ही जा चुका है।

[श्री च० कृ० नायर]

कुछ माननीय सदस्यों न कहा था कि छोटा नागपुर जैसे कुछ क्षेत्रों में पूरे के पूरे समुदायों को इसाई बनाया गया है। यह सही नहीं है। इस प्रकार का धर्म-परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे पास सभी आंकड़े हैं। वहां इसाइयों की संख्या में कुछ हजार से अधिक की वृद्धि नहीं हुई है।

इसलिये हमें कुछ प्रतिवेदनों को देख कर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये। मध्य भारत राज्य और मध्य प्रदेश राज्य ने अलग-अलग दो समितियां नियुक्त की थीं। भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इस सिलसिले में किसी कार्यवाही की आवश्यकता है। न तो उस समय ही हमारे पास ऐसी सूचना आई थी जब दोनों दो अलग-अलग राज्य थे, और न इस वर्तमान सरकार ने ऐसी कोई सूचना हमें दी है। उन दो प्रतिवेदनों में कुछ उदाहरण दिये गये थे। लेकिन मैं सभा को आश्वस्त करता हूं कि संविधान के अनुच्छेद २५ द्वारा देश के सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की जो स्वतंत्रता दी गई है, सरकार उसकी भावना को अक्षुण रखेगी। हां, उसकी एक शर्त है, केवल एक। वह यह कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी शिकायत आयेगी कि कुछ अनुचित तरीकों का प्रयोग किया गया है, तो हम पता लगायेंग कि उस सम्बन्ध में कोई ग़लती हुई भी है या नहीं। क्योंकि सरकार को यह तो देखना ही पड़ेगा कि विधियों का प्रशासन देश के हित में हो रहा है या नहीं। उन समुदायों के हितों को विशेष तौर पर देखना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में, हमें सिर्फ उन्हीं समाचारों पर विश्वास करना चाहिये जो निराधार न हों। मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि कोई शिकायत ऐसी हो, ऊपर से ही लगता हो कि कोई अनुचित काम किया गया है तो सरकार अवश्य ही उसकी उचित जांच-पड़ताल करेगी। साथ ही, हम सदा यह भी ध्यान रखते हैं कि भारत में जो भी विदेशी आते हैं उनका यहां रहना भारत के हित में हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा कही गई सभी बातों पर सभा विश्वास न करे। उन्होंने यह ग़लत कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को संरक्षण देने की आवश्यकता है। उनको किसी भी दूसरे संरक्षण की जरूरत नहीं। विधि का संरक्षण उनके लिये पर्याप्त है। साथ ही, हमें मिशनरियों के कार्य की सराहना करनी चाहिये। हमें इस तरह सभी मिशनरियों को एक ही डण्डे से नहीं हांकना चाहिये। जैसा कि माननीय मित्र ने किया है। इससे पहले भी एक अवसर पर इसका स्पष्टीकरण किया जा चुका है।

इसीलये मैं अपने मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें। इस पर चर्चा हो ही चुकी है। मैंने उनकी सभी बातों का उत्तर देने का प्रयास किया है।

सुश्री मणिबेन पटेल : मैं मिनिस्टर साहब से जानना चाहती हूं कि हमें आजादी मिलने से पहले यहां कितने मिशनरी थे और आज कितने हैं ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष जी, इस सदन में इस बिल पर पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है। सौभाग्य था कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत संक्षेप में होना चाहिये।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जी, संक्षेप में ही निवदन करूंगा।

---

†मूल अंग्रजी में

जितने शान्तिपूर्ण वातावरण में और जिस सद्भावना के साथ उस दिन इस बिल के सम्बन्ध में विचार किया गया था आज वह वातावरण इस बिल को उपस्थित करते समय नहीं रह सका और एक विशेष प्रकार की अभद्र घटना इस सदन में घटी। उसका विशेष रूप से उल्लेख मैं इसलिये भी कर रहा हूं कि उसका मेरे विधेयक से सम्बन्ध है। हमारे एक मित्र ने इस बिल की भावना को न समझते हुये एक धार्मिक ग्रन्थ के पन्ने फाड़ कर अपमान का वातावरण उपस्थित कर दिया है। मैं चाहता हूं कि भविष्य के लिये आप कोई ऐसा नियम बनाएं या कोई इस प्रकार की परम्परा निर्धारित करें कि इस सदन में इस प्रकार की घटना न घट सके।

दूसरी बात जो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे उप गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि यह बिल संविधान की धारा २५ भाग (१) का विरोध करता है। संविधान की उस धारा को मैं पढ़ कर सुनाता हूं और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में थोड़ा और गम्भीरता से सोचें। संविधान की धारा २५ (१) इस प्रकार है :

> "सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों को, अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा।"

तो मैं कहना चाहता हूं कि "सार्वजनिक व्यवस्था और सदाचार की यह मांग है कि किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन धार्मिक भावनाओं से भिन्न कारणों से न हो, और यही बात इस विधेयक के अन्दर है। जैसा कि हमारे उप गृह मंत्री महोदय न कहा कि हमारे धर्म की यह विशेषता है कि सहिष्णुता की मात्रा उसमें आरम्भ से रही है। अगर इस विषय में कहीं भी किसी भी तरह से न्यूनता की भावना होती तो बहुत सम्भव है कि इस विधेयक की धारायें और कड़ी होतीं। मैं ने यह स्पष्ट ही शुरू में लिखा है कि धार्मिक भावनाओं या आध्यात्मिक कारणों से प्रेरित हो कर यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहे तो उसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। रुकावट उसके लिए होनी चाहिये जब इससे भिन्न स्थिति में धर्म परिवर्तन कराया जाए। आज देश में कुछ अवांछनीय उपाय अपनाए जा रहे हैं, जबरदस्ती और लोभ से और लालच से जो लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है उस पर गवर्नमेंट को अवश्य कोई प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे देश में ईसाई धर्म का प्रचार अब नहीं बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी सुश्री मणिबेन ने संकेत किया उसी प्रकार से मैं भी एक संकेत कर देना चाहता हूं, कि हमारे देश में ईसाई मत का प्रचार चला अवश्य आ रहा है, परन्तु देखना यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यहां ईसाई प्रचारकों की कितनी संख्या थी और आज कितनी है। स्वतंत्र होने के पश्चात् देश का एक बहुत बड़ा भाग दूसरे देश के रूप में परिणत हो गया, फिर भी ईसाई मिशनरियों की संख्या दुगनी, तिगुनी और चौगुनी होती चली जा रही है, राशियां बढ़ती चली जा रही हैं और अरबों रुपया इस देश में धर्म प्रचार के नाम पर बाहर से आ रहा है। इससे स्पष्ट है कि इसके पीछे अराष्ट्रीय संकेत भी छिपा हुआ है। उपाध्यक्ष जी, मैं अपने उप-गृह मंत्री महोदय की जानकारी के लिए एक विशेष बात कहना चाहता हूं। मेरे हाथ में यह एक पुस्तक है— क्रिश्चियन मास मूवमेंट इन इंडिया। यह सन् १९३४ में अमरीका में मिस्टर बिकेट द्वारा लिखी गई थी। उसमें हिन्दुस्तान के हर वातावरण का हर प्रान्त का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि कहां कहां हमने कैसे कैसे कार्य करना है। लेकिन अभी हाल की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमरीका में फरवरी, १९५३ में एक ब्राडकास्टिंग कम्पनी ने ब्राडकास्ट किया जिसका शीर्षक है— दि होरी हिन्दू रिलीजन मस्ट गो—अर्थात् बूढ़ा हिन्दू धर्म समाप्त होना चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि जो इस प्रकार का ब्राडकास्टिंग हो रहा है उसके पीछे भावना क्या है।

[श्री प्रकाशबीर शास्त्री]

इसी सिलसिले में एक मिस्टर फ्रेंक बिली ग्राहम कुछ दिन पहले भारत में इन चीजों का जायजा देने के लिये आए थे। इसी प्रकार से पोर्टलेंड की एक कम्पनी है जिन्होंने कहा है कि अगर दुनिया को कम्युनिस्ट होने से बचाना है तो हमें एक अरब लोगों को ईसाई बनाना पड़ेगा। मैं आपके द्वारा अमरीका देश शासकों तक अपना संदेश भेजना चाहता हूं कि आप कृपा करके उनको कहिए कि जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है अस्पतालों के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, वह हमारे देश में आकर करें, हम उनका स्वागत करेंगे और एक वाणी से नहीं हजार वाणी से स्वागत करेंगे। लेकिन, जैसा कि गांधी जी ने कहा था, यह इस तरह है कि जैसे मछली पकड़न वाला कांटे के ऊपर आटा लगा कर तालाब में डालता है। उसके ऊपर आटा है लेकिन अन्दर कांटा लगा हुआ है जो मछली को मारने के लिये है। इसलिये अगर उनकी सेवायें हमारा धर्म छीनने के लिये हों तो यह आपत्तिजनक कार्यवाही है और इसी आधार पर स्वतंत्र होने के पश्चात् जो उनके प्रति रोष हमारे देश में फैल रहा है उसको हम उस देश के शासकों तक पहुंचाएं और उन से कहें कि हमारे दिलों में उनके प्रति जो श्रद्धा की भावना है वह हिल रही है।

अब अपने वक्तव्य का उपसंहार करते हुये मैं दो तीन सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं।

मेरा एक सुझाव यह है। मैंने अनूसूचित जातियों और आदिमवासी जातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट को पढ़ा है। उसमें उन्होंने एक डेढ़ लाइन में एक स्थान पर बड़ी सावधानी के साथ लिखा है कि जंगलों में और पिछड़े क्षेत्रों में कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, ईसाई हुए हैं, लेकिन इससे उनके जीवन में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे गृह मंत्री महोदय, इन कमिश्नर महोदय को स्पष्ट आदेश दें कि आगे आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों की जो रिपोर्ट लिखें उसके अंदर ये तमाम चीजें अंकित की जानी चाहिएं कि कितने लोगों ने इस वर्ष में धर्म परिवर्तन किया। जब वह इन क्षेत्रों में जा कर कार्य कर रहे हैं तो इस प्रकार की रिपोर्ट भी भारत सरकार के पास आनी चाहिए। और इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इन लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन किया गया है या उन्होंने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हो कर धर्म परिवर्तन किया है।

मैं तो यही चाहता था कि आप इस बिल को स्वीकार करें क्योंकि जिस दिन यह बिल पहली बार प्रस्तुत हुआ उसके पश्चात् मेरे पास केरल से और आन्ध्र प्रान्त से बहुत से पत्र आए हैं जो इस समय मेरे पास हैं और जिनको समयाभाव से मैं इस समय उपस्थित नहीं कर सकता। अगर आप इस बिल को टालेंगे और जो भावना इसके अन्दर निहित है उसका स्वागत नहीं करेंगे तो मेरा यह निश्चित विश्वास है कि आगे चल कर इससे भयानक स्थिति आने वाली है और उस भयानक स्थिति का सारा दायित्व सरकार पर होगा, देश की जनता के ऊपर नहीं होगा। अगर उस भयानक स्थिति से देश को बचाना है, कि जिस प्रकार छोटे छोटे कारण बढ़ते गये और देश का विभाजन एक दूसरे देश के रूप में हुआ, यदि उस विभाजन को बचाना है तो उसके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि आपको इस बिल की धाराओं का स्वागत करना चाहिए और इस बिल को स्वीकार करना चाहिये। अगर आपको इस बिल को स्वीकार करने में इसलिए संकोच और आपत्ति है कि यह एक गैर सरकारी सदस्य की ओर से आया है तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी ओर से एन्क्वायरी करायें, और उस एन्क्वायरी कराने के बाद उचित संशोधन के साथ सरकार की ओर से इस बिल को लाना चाहिए। लेकिन मेरा यह निश्चित विश्वास है कि इस प्रकार का बिल और यह सिद्धान्त इस सदन में अवश्य स्वीकृत होना चाहिए, जिससे देश की जनता को सन्तोष हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं बलवती भाषा में प्रस्तुत करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री सिदय्या का एक संशोधन है कि इस विधेयक को रग्य जानने के लिये परिचालित किया जाये ।

†**श्री सिदय्या** (मैसूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता ।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि धार्मिक विश्वास के अतिरिक्त अन्य आधारों पर बलात् धर्म परिवर्तन से अनसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों को और अधिक प्रभावशाली संरक्षण देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री जमाल ख्वाजा एक प्रस्ताव रखना चाहते थे ।

†**श्री जमाल ख्वाजा** (अलीगढ़) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सभा द्वारा ३ अप्रैल, १९५९ को श्री राम कृष्ण गुप्त के पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक के लिये नियत किया गया समय (देखिये गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चालीसवां प्रतिवेदन) एक घंटा कम कर दिया जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सभा द्वारा ३ अप्रैल, १९५९ को श्री रामकृष्ण गुप्त के पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक के लिये नियत किया गया समय (देखिये ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का चालीसवां प्रतिवेदन) एक घंटा कम कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पूर्त तथा धार्मिक न्यास अधिनियम, १९२० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जो बिल मैंने पेश किया है उसका मकसद यह है कि चैरिटेबल और रिलिजस ट्रस्ट्स (पूर्त तथा धार्मिक न्यासों) का हिसाब–किताब बिल्कुल अच्छी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

तरह से हो, ताकि उनकी रकम खुर्द-बुर्द न हो सके और जिस मकसद के लिये कोई ट्रस्ट बना है वह पूरा हो । मौजूदा कानून इतना कमजोर और लूस (ढीला) है कि उसके जरि ट्रस्ट्स के हिसाब-किताब पर पूरा कंट्रील नहीं होता है । इसके अलावा अगर उसमें कोई खराबी पैदा होती है तो उस को अदालत में कानूनी तरीके से आसानी से नहीं उठाया जा सकता है । इस मकसद को मद्दे नजर रखते हुए, मैंने यह बिल पेश किया है । इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजन्ज (उद्देश्य तथा कारणों के विवरण) में साफ तौर पर कहा गया है कि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत ट्रस्टियों के लिये यह अनिवार्य नहीं है कि वे नियमित रूप से अपने लेखे अधिकृत लेखापाल से परीक्षित करायें । इसलिये यह आशंका होती है कि ट्रस्ट का पैसा किसी दूसरे ही काम में भी लगाया जा सकता है ।

इस सिलसिले में बहुत से उदाहरण पेश किये जा सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह बहुत कम अहम सवाल है । आज हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में दो किस्म के ट्रस्ट हैं। एक ट्रस्ट ऐसे हैं, जो रिलिजस हैं और दूसरे ऐसे हैं, जो कि हिन्दुस्तान के बड़े बड़े कैपिटलिस्ट्स और बिजिनैसमैन ने बनाये हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आज हम यह मालूम करने की कोशिश करें कि दर-अस्ल इन का असली मकसद क्या है । जैसा कि मैं ने पहले कहा है, उन का हिसाब-किताब बाकायदा चैक नहीं होता है, जिस का नतीजा यह होता है कि बहुत सी रकम खुर्द-बुर्द हो सकती है । अगर आप गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे, तो आप पायेंगे कि जब ये ट्रस्ट बनाये जाते हैं, तो किसी फर्म या बिजिनेस या फैक्ट्री को इन के सुपुर्द कर दिया जाता है । यह इन्तजाम इनकम-टैक्स की चोरी में भी काफी हद तक मदद देता है । इसलिये मैं चाहता हूं कि मौजूदा कानून को बदल कर उस में ऐसी तब्दीलियां की जायें, जिस से उन पर हमारा पूरा कंट्रोल हो ।

जैसा कि आप जानते हैं, इन ट्रस्ट्स पर मौजूदा कम्पनीज एक्ट और इनकम-टैक्स एक्ट की बहुत सी धारायें लागू नहीं होती हैं और उन को इन धाराओं से एग्जम्प्ट (मुक्त) किया जाता है, जिस से इनकम-टैक्स की चोरी करने में उन को काफी मदद मिलती है । सके लिये मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं । मेरे हल्के में एक टैक्सटाइल मिल है, जिस का नाम है टी० आई० टी०, जो कि भिवानी में है। वह मिल बिड़ला एजूकेशन ट्रस्ट के तहत है और उस की तमामा आमदनी बिड़ला एजूकेशन ट्रस्ट के सुपुर्द की जाती है, ताकि वह अच्छे कामों के लिये खर्च की जा सके। पिछले दिनों उस कारखाने में मजदूरों और मालिकों में झगड़ा हुआ । मजदूर यह कहते थे कि कारखाने में आमदनी काफी हुई है' लेकिन चूंकि वह कारखाना ट्रस्ट के सुपुर्द कर दिया गया है, इस लिये उस के एकाउन्ट्स वगैरह को अच्छी तरह से चैक नहीं किया गया है और उस के नफे की .....

†**विधि उपमंत्री (श्री हजार नवीस)** : श्रीमान्, यह मामला आयकर देने वाले और राज्य के बीच का है, और हो सकता है कि यह अदालतों में जाये, इसलिये इसका यहां हवाला नहीं दिया जाना चाहिये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह मालिक और मजदूरों के झगड़े का जिक्र कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम कृष्ण गुप्त : मेरे कहने का मकसद यह था कि में आप को बतलाऊं कि ट्रस्ट के जो एकाउन्ट्स होते हैं, उन को किस तरीके से खुर्द-बुर्द और मैनुप्लेट किया जाता है, क्योंकि उस के एकाउन्ट्स को बाकायदा आडिट नहीं किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य किसी का नाम ले कर कहेंगे कि उन्होंने खुर्द-बुर्द किया है, तो तक्लीफ तो इस में होगी न । वह तो यहां हैं नहीं कि वह जवाब दे सकें ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : यह ठीक है । मैं उन कागजात का हवाला देना चाहता था, जो लेबर ट्राइब्यूनल के सामने उन एकाउन्ट्स को गलत साबित करने के लिये पेश किये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य ने नकल हासिल की हुई हैं । ?

श्री राम कृष्णगुप्त : मेरे पास उन की नकल मौजूद हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो अदालत में दाखिल हो चुके हैं, मैं उन पर एतराज नहीं कर सकता । राय का कायम करना मुश्किल होगा, अगर वहां ट्राइब्यूनल के पास कोई चीज पेंडिंग (विचाराधीन) हो या ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला दे दिया है ?

श्री राम कृष्ण गुप्त : ट्राइब्यूनल ने फैसला दे दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दे दिया है । तो फिर आगे चलिये ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : मेरा कहने का मतलब यह था कि उस में यह जाहिर करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से ट्रस्ट का रुपया खुर्द-बुर्द किया गया, और बैलेंस-शीट्स गलत बनाई गई और वे अदालत में भी पेश की गई । जिस साथी ने बैलेंस-शीट्स पेश की थीं, उस को गिरफ्तार किया गया और उस पर चोरी का मुकदमा लगाया गया । इस के बावजद जो ट्राइब्यूनल मुकर्रर हुआ था, उस ने उन डाक्युमेंट्स के बारे में अपनी जजमेंट में जिक्र भी किया । मैं एक छोटा सा खत पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जो कि उस अदालत में पेश किया गया । उस में यह कहा गया कि "आप की इच्छानुसार, मैं ने पुरानी बैलेन्स शीट के स्थान पर आप के द्वारा भेजी हुई नयी बैलेंस-शीट्स जोड़ दी हैं और मैं उनको लौटा रहा हूं ।" यह पत्र बिरला भवन, नई दिल्ली से लिखा गया था । मैं किसी इंडिविजुअल को पर्टिकुलरली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता । मैं तो सिर्फ हाउस के सामने यह बात लाना चाहता था कि ट्रस्ट्स के रुपये और हिसाब-किताब पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि मौजूदा कानून के तहत हम सिर्फ पिछले तीन साल का हिसाब-किताब चैक कर सकते हैं । अगर कोई दो शख्स हिसाब-किताब के लिये कानून के तहत अदालत को एप्लाई करें, तो उन को यह हक हासिल नहीं है कि वह यह मालूम कर सकें कि उस ट्रस्ट में तीन साल से पहले कितना रुपया था, कैसे क्या हुआ वगैरह ।

इसलिये मैंने इस बिल को पेश किया है कि मौजदा कानून इस ढंग से एमेंड (संशोधित) किया जाये ताकि दरख्वास्त कुंदां जब से ट्रस्ट बनाया गया है, तब से तमामा अर्से के लिये उस हिसाब-किताब को चैक कर सकें ।

जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है, तीसरी एमेंडमेंट इसलिये की जा रही है कि याचिकाकार पिछले तीन वर्षों के ही नहीं बल्कि जब से ट्रस्ट बना है तब तक के लेखों की परीक्षा कर सकता है ।

र[श्री राम कृष्ण गुप्त]

इसके बाद एक एमेंडमेंट यह भी है कि यदि कोई ट्रस्टी विश्वासघात करके या किसी व्यवस्था का उल्लंघन करे तो कोई भी व्यक्ति एडवोकेट जनरल की मंजूरी के बिना भी मुकदमा दायर कर सके ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

यह बात मैंने इसलिये कही है कि आज हम देखते हैं कि जो अक्सर ट्रस्ट बनाये जा रहे हैं उन के अन्दर जो खामियां होती हैं उनके लिये मुकदमा चलाने के लिये जो मौजूदा कानून है वह बड़ा कम्पलीकेटिव है, बड़ा कास्टली (खर्चीला) है इसलिये हर आदमी यह काम नहीं कर सकता है कि अदालत के जरिये से कानून के खिलाफ उनके अन्दर जो डिफेक्ट्स हैं, उनको दूर कराने की कोशिश करे। यह ठीक है कि एडवोकेट जनरल को काफी पावर दी गई है और वह इस मामले में काफी दखल दे सकता है लेकिन यह सही बात है और इसको आप भी जानते हैं कि जितने भी मौजूदा कानून के तहत मुकदमा अदालतों में आये हैं उन में से बहुत ही कम ऐसे मुकदमात हैं जिन के बारे में एडवोकेट जनरल ने खुद अपने इनिशियेटिव (पहल) पर कार्रवाई की हो । यह ठीक है कि कोर्ट्स को काफी पावर है और एडवोकेट जनरल को भी काफी अख्त्यारात मिले हुए हैं लेकिन उनका रोल नेगेटिव रहा है और उन्होंने एबयूजिज को चैक करने की कोई कोशिश नहीं की है । बल्कि में तो यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि जब दो शख्स इजाजत के लिये कोशिश करते हैं तो पहले उनको काफी दिक्कत आती है। यह बात मैं अपने जाती तजुर्बे की बिना पर बता सकता हूं मेरे हल्के में दो एक मशहूर इंडस्ट्रियल टाउन चर्खी, दादरी है । वहां भी एक कारखाना डालमिया दादरी सिमेंट फैक्ट्री के नाम से बना हुआ है । उस कारखाने के मालिक सेठ राम कृष्ण डालमिया ने भी एक ट्रस्ट कायम किया और सन् १९४८ में वह कायम किया गया । छः सात साल तक तो लोगों को यह पता नहीं लगा कि कब ट्रस्ट क्रियेट हुआ, कैसे ट्रस्ट किया गया । सन् १९५२ या १९५३ में कोशिश की गई कि एडवोकेट जनरल से इजाजत ले कर इस मामले को अदालत में लाया जाये और आपको यह जान कर हैरानी होगी कि मुसलसल कोशिश होने के बावजूद भी सन् १९५८ में जा कर कहीं इजाजत मिली । इसलिये मैं यह बात खास तौर पर कहना चाहता हूं कि और आप से मालूम करना चाहता हूं कि जो आम पब्लिक है उसके अन्दर कहां इतनी हिम्मत है, कहां इतनी जुर्रत है कि इस मामले में वह अपने पास से रुपया खर्च करे और इस काम को चालने के लिये अदालतों में लगातार कोशिश करती रहे। इसलिये यह जरूरी है कि इस तरफ पूरा ध्यान दिया जाये और इस कानून में तबदीली की जाये ताकि इजाजत हासिल करने का जो प्रोसीजर है वह सिम्पल हो सके और हम ज्यादा आसानी से डिफैक्ट्स को अदालतों के जरिये से दूर करवा सकें।

मैंने अभी कहा कि यह चीज इस प्वाइंट आफ व्यू (दृष्टिकोण) से भी बहुत जरूरी है क्योंकि हिन्दुस्तान के अन्दर जो ट्रस्ट हैं और उनकी जो वेल्यू है वह बहुत ज्यादा है । यह ठीक है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कोई एस्टीमेट (प्राक्कलन) बाकायदा तौर पर लगाने की कोशिश नहीं की गई है और न कोई सर्वे ही किया गया है । लेकिन टाइम्स आफ इंडिया में ३ अक्टूबर सन् १९६० को एक रिपोर्ट शाया हुई थी और उसमें यह कहा गया था कि न्यास की कुल आस्तियां अनुमानतः ३५० से ५०० करोड़ रुपयों तक हैं और उनकी वार्षिक आय लगभग ४० करोड़ रुपये है ।

इसको देखते हुए यह मामला और भी जरूरी हो जाता है । मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन पर कंट्रोल किया जाए, इस रुपये से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की जाए तो देश का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और उस रकम को हम अच्छे काम मे खर्च

कर सकते हैं। मेरे कहने का यह मकसद नहीं है कि ट्रस्ट के आबजैक्ट के खिलाफ जा कर उस रकम का इस्तेमाल किया जाए। जितने ट्रस्ट होते हैं अकसर हर एक का आबजैक्ट अच्छा होता है और वे लोगों की भलाई के लिए, उस इलाके की जनता की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। हां इतना डिफेक्ट जरूर है कि बहुत से ट्रस्ट किसी खास कम्युनिटी के लिए या रिलिजन के लिए क्रियेट किए जाते हैं। यह चीज़ मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी ट्रस्ट बनाये जायें वे उस एरिया के अन्दर जो भी लोग हैं चाहे वे किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हों, उनके फायदे के लिए बनाये जायें ताकि वे उनसे लाभ उठा सकें। इस दृष्टि से भी देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि इस मामले कि तरफ पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि जो मैंने ये एमेंडमेंट्स पेश किए हैं ये नए नहीं हैं। बम्बई और मद्रास के अन्दर जो ला हैं उन के तहत भी अदालतों को यह अख्त्यार है कि वे ट्रस्ट के हिसाब-किताब में दखल दे सकती है, उसको आडिट करवा सकती हैं और इस तरह के और बहुत से अख्त्यारात उनको हासिल हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम भी इस तरफ पूरा ध्यान दें। यह ठीक है कि तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर कोई यूनिफार्म ला नहीं है। इसके लिए मैंने ये चन्द तजवीजें पेश की हैं। मद्रास और बम्बई के अन्दर जो कानून हैं वे काफी कम्परिहेंसिव हैं।

बम्बई के कानून में व्यवस्था है हर सार्वजनिक न्यास को रजिस्टर्ड होना चाहिये और उनकी वार्षिक लेखा परीक्षा होनी चाहिये।

इसलिए मैंने ये चन्द एमेंडमेंट्स पेश की हैं। मुझे यह जान कर बड़ी खुशी हुई है कि सरकार ने एक कमिशन मुकर्रर किया है जो कि इन तमाम ट्रस्टस की तहकीकात करेगा और यह मालूम करने की कोशिश करेगा कि मौजूदा सिस्टम के अन्दर क्या डिफेक्ट्स हैं और उनको किस तरह दूर किया जाए मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे इस बिल को मंजूर कर लिया जाए तो काफी दिक्कतें दूर हो सकतीं हैं और जो मौजूदा कानून है वह और ज्यादा सिम्पल हो सकता है, हिसाब किताब पर पूरा कंप्रोल हो सकता है, और जो मिसयूज़ वगैरह हैं उनको अदालत में लाने के लिए इंटिरेस्टिड और बैनिफिशरी को और ज्यादा अख्त्यारात मिल सकते हैं।

इस मकसद को मद्दे नज़र रखते हुए मैं ने यह बिल पेश किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय इस को जरूर मंजूर कर लेंगे।

†**श्री आचार** (मंगलौर): मुझे तो यह विधेयक अनावश्यक लगता है। राज्यों में इस प्रयोजन के लिये उनकी अपनी विधियां हैं। पता नहीं माननीय प्रस्तावक ने इस पहलू पर विचार किया है या नहीं कि मूल अधिनियम में इस संक्षिप्त प्रक्रिया की व्यवस्था इसी प्रयोजन के लिये की गई है कि ट्रस्टों के लेखों की परीक्षा की जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उनके और अच्छे प्रशासन के लिये न्यायालय से एक योजना बनवाने के लिये योजना वाद दायर किया जा सकें।

यदि किसी धार्मिक ट्रस्ट या किसी मंदिर का प्रबन्धक ठीक न हो, तो व्यवहार प्रक्रिया संहिता में उसके लिये दो विकल्प रखे गये हैं—या तो प्रार्थी एडवोकेट-जनरल (महान्यायवादी) से मंजूरी ले, या वह स्वयं न्यायालय की शरण ले। कभी कभी कलैक्टर को भी प्राधिकृत कर दिया जाता है कि वह जांच करें कि स्पष्टतः कोई विश्वास भंग हुआ है या नहीं। तब उसके बाद ही न्यायालय यह निर्णय करेगा कि ट्रस्टी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाये।

इस लिये इस मूल अधिनियम का क्षेत्र बड़ा ही सीमित है। यह संक्षिप्त प्रक्रिया का मामला है। अक्सर ऐसे मामले जिला न्यायालयों में या प्रेसीडेन्सी न्यायालयों में से आरम्भ किये जाते हैं। इसलिये यदि मूल अधिनियम का मकसद केवल प्रारम्भिक कार्यवाही ही रखा गया है, तब फिर माननीय सदस्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आचार]

अधिनियम में से यह परन्तुक क्यों हटाना चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि तीन साल से पहले का लेखा मांगना अनावश्यक है ।

जिला न्यायालय यदि उचित समझता है तो याचिकाकार को अनुमति दे सकता है कि वह तीन वर्ष के लेखे स्वयं देख ले । इतना पर्याप्त है ।

विधेयक के खण्ड २ म सुझाये गये संशोधन भी अनावश्यक हैं । इसलिये कि मूल अधिनियम में व्यवस्था है कि कोई भी वह व्यक्ति प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर सकता है जो ट्रस्ट में रुचि रखता हो। रुचि रखने वालों में वे व्यक्ति भी आ जाते हैं जिन को ट्रस्ट से लाभ होता है । इस लिये उसमें ये शब्द जोड़ना अनावश्यक है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लाभान्वित होते हों ।

खण्ड ३ में फिर इन्हीं शब्दों को जोड़ने की बात कही गयी है धारा ४ में । वह भी इतनी ही अनावश्यक है ।

अगले खण्ड में एक नई धारा जोड़ने का संशोधन है। उसमें व्यवस्था की जा रही है कि हर ट्रस्टी एक उचित काल में ट्रस्ट की स्थापना के प्रयोजन और उद्देश्य की पूर्ति करेगा और निदेशों का पालन करेंगा । लेकिन न्यायालय साक्ष्य तो लेगा ही नहीं । फिर इस जांच की गुजाइश कहां रहती है कि किसी ट्रस्टी ने ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति की है या नहीं ? इसलिए यह भी अनावश्यक है ।

अब धार्मिक तथा अन्य प्रकार के ट्रस्टों से सम्बंधित सभी विधियों को एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है । इसके लिये एक समिति भी नियुक्त की गयी है ।

†**श्री हजार नवीस :** अधिसूचना पटल पर रख दी गई है ।

†**श्री आचार :** वह काफी पेचीदा काम है । विभिन्न राज्यों में विभिन्न विधियां हैं । उन सबका अध्ययन करना पड़ेगा और जनता की राय भी जाननी पड़ेगी । तभी कोई उपयुक्त केन्द्रीय अधिनियम पुरःस्थापित किया जा सकेगा । लेकिन इस अधियनयम में रूप भेद करने का प्रयास व्यर्थ है ।

श्री रामेश्वर टांटिया : (सीकर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है और उस के बारे में जो अपनी दलीलें दी हैं उन से मैं सहमत नहीं हूं । आज भारतवर्ष में हजारों चैरिटेबल ट्रस्ट हैं उन के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं । उन्होंने अपनी दलीलों में दो ट्रस्ट्स का नाम लिया, एक भिवानी ट्रस्ट और दूसरा शायद दादरी का ट्रस्ट । दादरी ट्रस्ट के बारे में उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का रुपया ठीक से लगता नहीं है । लेकिन उन्होंने भिवानी के बारे में बोलते हुए कोई मजदूरों का झगड़ा हुआ उस के बारे में कहा । वह ट्राइब्यूनल में है या कोर्ट में है । उस का फैसला होगा । लेकिन उन को बतलाना चाहिये था कि इस ट्रस्ट के रुपये का दुरुपयोग होता है या नहीं । वह जरूरी बात थी । आज भारतवर्ष में लेडी ठेकर्सी ट्रस्ट, हलवसियां ट्रस्ट, वाडिया ट्रस्ट, बिरला ट्रस्ट चल रहे हैं। कौन कह सकता है कि इन ट्रस्टों के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है ? अगर गवर्नमेंट उस ट्रस्ट को ले ले तो उस से ज्यादा अच्छा काम होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता । सदस्य महोदय यह कहते हैं कि कोर्ट कुछ नहीं करते। कोर्ट में केस होते हुए भी अभी कुछ तय नहीं हो पाया । ऐसी हालत में मैं सोच नहीं पाता कि क्या गवर्नमेंट ट्रस्टों को ले लेगी तो ज्यादा अच्छा काम हो सकेगा ।

दूसरी बात यह है कि इन चैरिटेबल और रैलीजस ट्रस्ट्स का रुपया ठीक से लगे और उनके एकाउन्टस ठीक तरह से मेनटेड हों, इस बारे में कोई दो मत नहीं हैं । त्यागी कमेटी

की जो रिपोर्ट है उसमें इसके विषय में कई सुझाव और सिफारिशें दी गई हैं। इसके अतिरिक्त एक हाई पावर कमिशन सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में बैठा हुआ है। और वह भी शीघ्र ही अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट इस सम्बन्ध में देगा। उचित तो यह था कि माननीय सदस्य इस बिल को लाने से पहले उस कमिशन की रिपोर्ट का इंतजार कर लेते और अगर उस रिपोर्ट को देखने के बाद वह इस तरह के बिल को लाना आवश्यक समझते तो वह इसको ला सकते थे अन्यथा न लाते। त्यागी कमेटी ने इस सम्बन्ध में काफी सिफारिशें की हैं और शायद उन्होंने उनको पढ़ा भी होगा लेकिन में समझता हूं कि अगर उनको उन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा होता तो उनका जो यह ट्रस्ट्स के सम्बन्ध में भ्रम है वह बहुत कुछ दूर हो जाता।

अब इसमें तो दो मत हो ही नहीं सकते कि ट्रस्टों का रुपया ठीक से लगे और उनके एकाउन्ट्स ठीक से रक्खे जायें। लेकिन इसके यह मानी तो नहीं हैं कि इसके लिये अनिवार्य रूप से राज्य उन ट्रस्टों का नियंत्रण करे और राज्य उन ट्रस्टों को अपने हाथ में ले ले। राज्य के हाथ में और बहुत से दूसरे दूसरे काम हैं। पंचवर्षीय योजना चल रही है और अन्य बड़े बड़े काम हैं। अब अगर तमाम काम स्टेट ही करे तो यह चीज हमारे उस कथन से कि सब चीजों का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये, कहां तक मेल खाती है ? इसलिये इस तरह का सुझाव कि सब काम स्टेट ही करे, मुझे तो कुछ ठीक नहीं जंचता। मान लीजिये कि कहीं भूकम्प आया हो और तुरन्त वहां पर सहायता पहुंचानी हो, सहायता कार्य वहां पर तत्काल शुरू करना हो तो अगर राज्य के हाथ में वह काम हो तो वहां से खबर पहुंचते पहुंचते और सहायता का हुक्म निकलते निकलते और जगह पर मदद पहुंचते पहुंचते महीना डेढ़ महीना लग जायेगा और भूकम्प से जो क्षति पहुंचनी है वह पहुंच ही जायेगी और समय पर लोगों को जो सहायता आवश्यक थी, वह समय पर उनको नहीं मिल पायेगी। समय बीत जाने पर उस सहायता का विशेष उपयोग नहीं हो पायेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह के पब्लिक ट्रस्ट्स खाली हमारे देश में ही काम नहीं कर रहे हैं बल्कि विदेशों में भी वे काम करते हैं और काफी उपयोगी काम करते हैं। अमरीका में दो ट्रस्ट्स हैं रोकफैलर और फोर्ड फाउन्डेशन। इसी तरह ब्रिटेन में भी ट्रस्ट्स हैं और अन्य देशों में भी इस तरह के ट्रस्ट्स कार्य करते हैं। उनके द्वारा बहुत अच्छा और उपयोगी काम होता है। समाज की सेवा उनके द्वारा होती है। हमारे देश में भी इस तरह के ट्रस्ट्स हैं जो कि समाजोपयोगी कार्य कर रहे हैं और विविध क्षेत्रों में जनता की सेवा कर रहे हैं। अब यह हो सकता है जैसे कि माननीय सदस्य ने बतलाया कि कहीं एक आध जगह ट्रस्ट्स द्वारा चलायी जाने वाली चीजों में कुछ गलती हुई हो। उन्होंने बिड़ला के भवानी ट्रस्ट के बारे में शिकायत की कि वहां पर मजदूरों के साथ कुछ सख्ती हुई या मजदूरों को जो उनका उचित शेयर होना चाहिये वह वहां पर नहीं दिया जाता है। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि मैं पिलानी जा चुका हूं और मैं ने स्वयं देखा है कि बिड़ला ट्रस्ट द्वारा वहां पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। बड़े बड़े कालिजेज बिड़ला ट्रस्ट ने खोले हैं, इंजीनियरिंग कालिज है जहां कि ३५०० लड़के बाहर से आ आ कर वहां पर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि एक खाली भिवानी मिल के मजदूरों का सवाल ले कर, कोई मजदूरों का झगड़ा हुआ तो महज उस को ले कर माननीय सदस्य इस नतीजे पर पहुंच गये कि राज्य को तमाम ट्रस्ट्स का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिये। इसी तरह यदि डालमिया ट्रस्ट द्वारा संचालित दादरी फैक्टरीज में कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो सारे जितने भी ट्रस्ट्स हैं उनको राज्य अपने नियंत्रण में ले ले, ऐसा सुझाव देना मुझे तो कुछ ठीक समझ में नहीं आता है। अलबत्ता में इसमें उन से जरूर सहमत हूं कि ट्रस्टों का काम ठीक तरह से चले और अगर जरूरी हो तो सरकार

[श्री रामेश्वर टांटिया]

उनका एकाउन्ट देख सके। इसका प्रबन्ध किया जाये कि प्रति वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स उनके सारे हिसाब किताब की जांच पड़ताल करें कि जो रुपया लगा है वह ठीक तरह से खर्च होता है कि नहीं। अगर माननीय सदस्य यह बिल लाने से पहले इस बात का इंतजार कर लेते कि त्यागी कमेटी की रिपोर्ट पर क्या अमल होता है और इसके अलावा सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी हुई है उसकी रिपोर्ट का इंतजार करते तो बेहतर था और यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो मैं समझता हूं कि शायद उन्हें इस तरह के बिल को पेश करने की जरूरत ही न मालम पड़ती।

श्री राम कृष्ण गुप्त : इस बिल में यह नहीं कहा गया है कि ट्रस्ट्स को राज्य अपने हाथ में ले ले। और न ही इस बिल का ऐसा मकसद है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह समिति केवल हिन्दू धार्मिक ट्रस्टों की ही जांच करेगी अथवा अन्य ट्रस्टों की भी। मुझे ज्ञात हुआ है कि गिरजाघरों द्वारा राजनैतिक प्रयोजनों के लिये रुपया खर्च किया जाता है जैसा कि केरल में हुआ है। इसलिये उनकी भी जांच की जानी चाहिये केवल हिन्दू ट्रस्टों की ही नहीं।

†**श्री हजरनवीस :** इस विधेयक में सभा का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित किया गया है। मेरे पहले जिन माननीय सदस्यों ने भाषण दिये हैं उन्होंने मेरे उत्तर देने के कार्य को बहुत सरल बना दिया है।

यह एक निर्विवाद स्थापना है कि सार्वजनिक ट्रस्टों पर राज्य का कुछ नियंत्रण और पर्यवेक्षण होना चाहिये। जैसा कि स्वयं माननीय प्रस्तावक ने कहा है विभिन्न राज्यों में ऐसे उपबन्ध मौजूद हैं जो उनके विधेयक से भी अधिक व्यापक हैं और उनका कार्यकरण भली प्रकार हो रहा है। वह बम्बई अधिनियम का उल्लेख कर चुके हैं जहां कि पूर्त आयुक्त ने बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं। पूर्त आयुक्त ने सहमत ट्रस्टों की जांच की है। उनको प्रतिवर्ष लेखे प्रस्तुत किये जाते हैं और वह इस बात की देखभाल करते हैं कि ट्रस्ट का धन किसी ऐसे प्रयोजन में न लगाया जाये जो ट्रस्ट में न आता हो। इसी प्रकार मद्रास में भी ट्रस्टों का प्रशासन बहुत उत्तम रहा है। मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि वहां भी इस प्रकार का एक अधिनियम है और सार्वजनिक ट्रस्टों की छानबीन की जाती है।

इस प्रकार वह राज्य का एक आवश्यक कृत्य है और हम स्वयं इस समस्या के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। जैसा कि हम प्रश्नों के उत्तर में सभा को बता चुके हैं--माननीय सदस्य ने भी स्वयं यह प्रश्न पूछा था--कि हम शीघ्र ही एक विधेयक लाना चाहते हैं जो धार्मिक ट्रस्टों के सम्बन्ध में व्यवस्था करेगा। उस विधेयक में ऐसे उपबन्ध सन्निहित होंगे जैसे कि उन्होंने इस विधेयक में उपस्थित किए हैं--यह मेरा पूर्वानुमान मात्र है--और मैं आशा करता हूं कि उस विधेयक में हम ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन, लेखे रखने, लेखों के परीक्षण आदि के उपबन्ध सम्मिलित कर सकेंगे और जब वह विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा तो सभा उस पर विचार करेगी। मुझे आशा है कि सरकार उस विधेयक को शीघ्र ही पुर:स्थापित कर सकेगी।

फिर, अन्य माननीय सदस्य उस उच्च सत्ता समिति का अप्रत्यक्ष निर्देश कर चुके हैं जिसमें हमने प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं और सार्वजनिक व्यक्तियों को इस प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त

---

†मूल अंग्रेजी में

किया है और हम आशा करते हैं कि उनका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हम–(**अन्तर्बाधायें**) मैं उस आयोग का निर्देश कर रहा हूं जो डा० मी० पी० रामस्वामी अय्यर के नेतृत्व में नियुक्त किया गया है... आयोग के लब्धप्रतिष्ठि सदस्यों की सिफारिशों के अनुसार कुछ कार्यवाही कर सकेंगे ।

मेरा विचार है कि प्रस्तावक महोदय ने दो चीजों को एक में मिला दिया है । ट्रस्टों का प्रशासन एक चीज है और ट्रस्टों का निर्माण दूसरी चीज है । ट्रस्ट का निर्माण किया गया है या नहीं यह तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है । किसी को ट्रस्ट बनाने के लिये बाध्य नहीं किया जाता है । परन्तु यदि वह ट्रस्ट बनाता है और उसका उद्देश्य समवाय अधिनियम के नियंत्रण से बचना अथवा करापवंचन करना है तो वह मामला राज्य और ट्रस्ट के निर्माता के बीच का बन जाता है । ट्रस्ट सच्चा है या करापवंचन के उद्देश्य से बनाया गया है यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है । माननीय मित्र स्वयं एक प्रसिद्ध वकील हैं इसलिए वह इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस अधिनियम का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । कानून में चाहे कुछ भी उपबन्ध हों कर अधिकारी अथवा समवाय विधि प्रशासक यही विचार करेंगे कि "यह ट्रस्ट सच्चा है या नहीं ?" वह जानते होंगे कि आयकर अधिकारियों की दृष्टि बहुत पैनी होती है । मेरा तो यही अनुभव है कि जब तक कोई ट्रस्ट सम्पत्ति के सही हस्तान्तरण की कठोर कसौटी पर खरा नहीं उतरता तब तक वह आयकर अधिकारियों से बच नहीं सकता । मुझे पूरा विश्वास है कि जिन ट्रस्टों की कल्पना वह कर रहे हैं उनकी, छूट दिये जाने के पूर्व, आयक अधिकारियों द्वारा निकट से छानबीन की जा चुकी है । ऐसा होना आवश्यक भी है ।

इसलिए जहां तक करापवंचन का सम्बन्ध है और जहां तक अधिनियम के परित्राणों को शिथिल बनाने का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है । यह राज्य द्वारा पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किए जाने में बाधक नहीं है ।

जहां तक पूर्त ट्रस्टों का सम्बन्ध है उनकी स्थिति धार्मिक ट्रस्टों से कुछ भिन्न है । जैसा श्री रामेश्वर टांटिया ने कहा हमें पूर्त के स्रोतों को खत्म करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए । जब कोई आदमी धन कमाता है तो वह अपना नाम भी कायम रखना चाहता है अथवा उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता है जिसके लिए उसने वह धन कमाया है । इसलिए वह ट्रस्ट बना देता है । मेरा विचार है कि वर्तमान कानून पूर्त ट्रस्टों का अनुचित उपयोग न किये जाने के लिए पर्याप्त हैं ।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि महाधिवक्ता की अनुमति इसीलिए आवश्यक रखी गई है कि ट्रस्टियों के विरुद्ध गलत प्रचार न किया जा सके जो ट्रस्टों के प्रशासन का कठिन कार्य करते हैं । ट्रस्ट का प्रशासन करना अत्यन्त दुष्कर है जिसमें बहुत से लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ता है । इसीलिए दो परित्राण रखे गये हैं । मैं समझता हूं कि वे परित्राण पर्याप्त हैं । एक परित्राण यह है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को ट्रस्ट के कुप्रशासन के सम्बन्ध में शिकायत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसका उसमें कोई हित न हो । माननीय सदस्य ने कहा कि वह हित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कैसा भी हो सकता है । वकील होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि यह "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष" बहुत कठिनाई से समझ में आने वाली बात है । यदि प्रत्यक्ष हित है तो उसका निर्णय हम कर सकते हैं । परन्तु यदि वह अप्रत्यक्ष है तो सारी चीज अनिश्चित रहेगी और प्रमाण के बजाय हम संदेह पर ही कार्यवाही करेंगे ।

इसलिए मैं समझता हूं कि जब तक किसी व्यक्ति का उसमें किसी प्रकार का हित न हो उसे ट्रस्ट के प्रशासन में दखल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । प्रिवी कौंसिल ने भी एक प्रसिद्ध मामले में यही कहा था जिसका निर्देश श्री आचार कर चुके हैं । इसके लिए मैं उनका आभारी हूं ।

[श्री हजरनवीस]

दूसरा परित्याग यह है कि महाधिवक्ता इस बात की जांच करे कि वह मामला प्रथम दृष्टि में वाद चलाये जाने योग्य है या नहीं। छोटी मोटी शिकायतों को रोकने के लिए यह बहुत आवश्यक है। इसलिए मेरा विचार है कि इन दोनों उपबन्धों को कायम रहना चाहिए। विधि आयोग व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर विचार कर रहा है जिसमें यह उपबन्ध है। वह इस बात पर अवश्य ही विचार करेगा कि उसे वर्तमान रूप में ही कायम रखा जाय या नहीं और उसकी सिफारिश आने के बाद हम उसमें सुधार करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

इस प्रकार मैं समझता हूं मैंने विधेयक के प्रस्तावक को यह आश्वासन दे दिया है कि उसमें जहां तक धार्मिक ट्रस्टों का निर्देश है उनके सम्बन्ध में हम शीघ्र ही एक विधेयक उपस्थित करेंगे। इस मामले पर उस आयोग द्वारा अग्रेतर जांच की जाएगी जिसके सभापति डा० सी० पी० रामस्वामी अय्यर हैं। जहां तक पूर्व ट्रस्टों का सम्बन्ध है, हम उस समय तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक विधि आयोग अपनी सिफारिशें पेश करेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि आयोग समस्त धार्मिक ट्रस्टों की जांच करेगा अथवा केवल हिन्दू धार्मिक ट्रस्टों की ?

†**श्री हजरनवीस :** इस समय मेरे पास वह अधिसूचना नहीं है परन्तु मेरा ख्याल है कि वह केवल हिन्दू धार्मिक धर्मस्वों पर लागू होती है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** अन्य धार्मिक ट्रस्टों की भी जांच की जानी चाहिए क्योंकि वे राजनैतिक प्रयोजनों के लिए चलाए जा रहे हैं।

†**श्री हजरनवीस :** जहां तक इस आयोग का सम्बन्ध है उसे केवल हिन्दू धार्मिक धर्मस्व बोर्ड की जांच का काम सौंपा गया है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : क्या बौद्ध, जैन, सिख और मुस्लिम ट्रस्ट भी इसके अन्तर्गत आते हैं ?

†**श्री हजरनवीस :** मैं अभी सही सही तो नहीं बता सकता। परन्तु मेरा विचार है कि मुस्लिम वक्फ उसमें नहीं आते हैं। जहां तक अन्य का सम्बन्ध है, 'हिन्दू' शब्द काफी व्यापक है परन्तु मैं सही नहीं बता सकता कि वे उसमें आते हैं या नहीं।

श्री राम कृष्ण गुप्त : सभापति जी, जो बिल मैंने पेश किया था वह बहुत सिम्पिल था। बहुत सी बातें ऐसी कही गयीं कि इस बिल से बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखतीं। अगर माननीय सदस्य इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ते तो शायद उनको यह कहने की ज़रूरत न पड़ती।

कहा गया है कि इस बिल का यह मकसद है कि ट्रस्ट का इन्तिजाम स्टेट अपने हाथ में ले ले। दरअस्ल इसका मकसद तो यह है कि जो ट्रस्ट बनाये जाते हैं उनका तमाम इन्तिजाम पबलिक के हाथ में हो और जो कानून है उसको सिम्पिल किया जाए ताकि अदालत का कम से कम दखल हो और उससे पबलिक ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अगर बिल को अच्छे तरीके से पढ़ा जाता तो शायद इस बात को कहने की जरूरत न पड़ती।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी चीज जो कि मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बम्बई और मद्रास में जो मौजूदा एक्ट हैं उनसे कहीं बाहर हो। यू० के० के अन्दर जो कानून है उसके क्लाजेज के अन्दर भी आडिटिंग वगैरह के लिए प्रावीजन है। मैं तो सिर्फ चाहता था कि चेरिटिबिल एंड रिलीजस ट्रस्ट एक्ट, १९२०, को इस ढंग से अमेंड किया जाए कि जो दूसरे स्टेट्स में हिसाब किताब ठीक रखने का प्रावीजन है वह तमाम हिन्दुस्तान में एप्लाई हो। इसलिए मैं ने इस बिल को पेश किया था।

दूसरी बात जो मै इस बारे में कहना चाहता हूं---जैसा कि मैंने पहले भी कहा---वह यह है कि इनकमटैक्स का जहां तक ताल्लुक है मैं यह मानता हूं कि इन ट्रस्ट्स को इनकमटैक्स से इग्जम्प्शन इसलिए दिया जाता है कि वह रुपया तमाम पबलिक के कामों में खर्च हो। जो कारखाने की मैंने मिसाल दी शायद मेरे दोस्तों ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। मेरा उस मिसाल को देने में मकसद यह था कि अगर हिसाब किताब आडिट हो और उस पर कंट्रोल हो तो मुनाफा और ज्यादा होगा और वह पबलिक के कामों में खर्च होगा। अगर किसी कारखाने में २० लाख का मुनाफा होता है और और ठीक हिसाब किताब रखने से उसमें चालीस लाख मुनाफा होने लगे तो उससे लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचेगा या २० लाख से लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचेगा। मजदूरों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मजदूरों ने तो यह जाहिर करने की कोशिश की कि यह जो ट्रस्ट बनाया गया है इसके अन्दर जो मुनाफा दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा मुनाफा होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका मलतलब यह नहीं है कि उस तमाम रकम को, जो कम दिखलायी गयी है, मिसयूज किया गया है, वरना कम दिखलाने की क्या जरूरत थी। इसलिए मैंने यह बिल पेश किया है। लेकिन चूंकि माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया कि कमीशन नियुक्त कर दिया गया है, तो यह बड़ी खुशी की बात है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वह कमीशन इन तमाम बातों पर विचार करेगा और तमाम हिन्दुस्तान के लिए एक यूनीफार्म ला इसके बारे में बनाया जाएगा ताकि ट्रस्ट के रुपये का पूरा हिसाब किताब हो और उसको मिसयूज न किया जा सके। इसलिए मैं इस बिल को विदड्रा करना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल का जो मकसद है उसके बारे में भी वह कमीशन पूरे तरीके से विचार करेगा, और जो नया कानून इस संसद् में पेश किया जाएगा उसमें इन तमाम बातों का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य को विधेयक को वापस लेने की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।

महेन्द्रप्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक

पु० र० पटेल (मेहसाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि महेन्द्रप्रताप सिंह जायदाद अधिनियम, १९२३ के निरसन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक की चर्चा करते समय मेरे सामने राजा महेन्द्रप्रताप का वह चित्र सामने आ जाता है जब देशभक्ति से प्रभावित हो कर उन्होंने २९ वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी, दो बच्चों तथा देश

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री पु० र० पटेल]

को छोड़ दिया था और यह व्रत लिया था कि चाहे कितना भी त्याग क्यों न करना पड़े अपने देश को स्वतंत्र करना है। और देश में तथा देश के बाहर उन्होंने इसके लिये प्रयत्न भी किया। वह जर्मनी और अफगानिस्तान गये। ब्रिटिश सरकार यह नहीं चाहती थी कि कोई भी कार्य ब्रिटिश सरकार की समाप्ति के लिय किया जाये। अतः बंगाल राज्य बन्दी नियमन १८१८ के अधीन उनकी सम्पदा कुर्क कर ली गई। उनका अपराध यही था कि उन्होंने देशभक्ति अपनाई थी, उनका अपराध यही था कि वह अपने देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। १९१५ में उनकी सम्पदा कुर्क की गई और उसे जब्त कर लिया गया। सन् १९२३ में तत्कालीन सरकार ने केन्द्रीय विधान मंडल में एक विधेयक पारित करके यह घोषणा कर दी कि यह सम्पत्ति सम्राट की है। इस सम्पदा में कृषि भूमि तथा अन्य दूसरे प्रकार की चल एवं अचल सम्पत्ति थी। इस अचल सम्पत्ति के अन्तर्गत लगभग ७९–८० दुकाने भी थीं।

चूंकि यह अधिनियम केन्द्रीय सरकार का था और वही इसका निरसन कर सकती है। और निरसन के पश्चात् ही राज्यीय सरकार इस सम्पत्ति को वापस कर सकती है। मेरे विचार से यह सभा ही इसके लिये सक्षम है कि वह इसका निरसन करे। हमारी परिनियम पुस्तक में ऐसा अधिनियम रखना एक कलंक है। यदि हम इसका निरसन नहीं कर सकते हैं तो यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है और हम स्वतंत्र भारत में रहने के अधिकारी नहीं हैं। उन दिनों प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य था कि वह भारत को स्वतंत्र कराने के लिये प्रयत्न करे। भारत की स्वतंत्रता के लिये राजा साहब ने यदि कोई कार्य किया तो वह कोई अपराध नहीं था। हो सकता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के ढंग विभिन्न हों। लेकिन उद्देश्य सब का एक ही होता है और वह अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराना।

राजा महेन्द्रप्रताप ने सन् १९१५ में अफगानिस्तान में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। उन्होंने उन दिनों इस बात का आभास कर लिया था कि भारत स्वतंत्र होगा। उन्होंने यह सब अपने लिये नहीं किया। अगर उन्हें अपने लिये कुछ करने की इच्छा होती तो उनकी सम्पदा ही उनके लिये काफी थी। वह जर्मनी और अफगानिस्तान गये। उनका विचार था कि अपने देश को स्वतन्त्र कराने के लिये विदेशी सहायता की आवश्यकता अधिक है। अतः इस विदेशी सहायता से उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने का प्रयत्न किया।

राजा साहब दिसम्बर, १९१४ से १९४६ तक अपने देश से बाहर रहे। अस्थायी सरकार बन जाने के बाद वह वापस आये। सन् १९३७ में एक संकल्प के द्वारा यह प्रयत्न किया गया था कि उन्हें वापस आ जाना चाहिये लेकिन तत्कालीन सरकार ने चेतावनी दी कि यदि वह भारत आते हैं तो उन्हें वापस आने पर अपने अपराधों के लिये दंड भुगतने को तैयार रहना चाहिये। लेकिन भले ही वह रूस, जापान, काबुल, अमरीका आदि रहे हों लेकिन उनका उद्देश्य अपने देश को स्वतंत्र कराना था। परन्तु ब्रिटिश सरकार ने इसके लिये उन्हें दंड दिया।

अब प्रश्न यह है कि क्या हमें उनकी देश भक्ति के लिये उनके साथ न्याय करना चाहिये जिसे अंग्रेज़ों ने विद्रोह समझा था। समाचार पत्रों में यह पढ़ कर कि इस विधेयक के प्रति कांग्रेस दल का रुख सहानुभूति पूर्ण रहेगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

†**सभापति महोदय** : क्या माननीय सदस्य और समय लेंगे ?

†**श्री पु० र० पटेल** : जी हां।

†**सभापति महोदय** : तो आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

उनचासवां प्रतिवेदन

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम—रक्षित अनुसूचित—आदिम जातियां): मैं कार्य मंत्रणा समिति का उनचासवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ७ मार्च, १९६०/१७ फाल्गुन, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२०१३—३७
तारांकित प्रश्न संख्या		
६१०	इटली में रोके गये भारतीय	२०१३–१४
६११	बायो-गैस के सम्बन्ध में हंगरी का शिष्ट मंडल	२०१५
६१२	उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड	२०१६–१७
६१३	नेताजी सुभाष बोस के भाषण तथा लेख	२०१७–१८
६१४	टैगोर के जीवन सम्बन्धी फ़िल्म	२०१९
६१६	जद्दा में भारतीय वस्तुओं की प्रदर्शनी	२०२०
६१७	जीपों के सौदे सम्बन्धी मुकदमा	२०२०—२२
६१८	चीनी उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	२०२२–२३
६१९	गोआ जाने के लिये स्थल मार्ग	२०२३–२४
६२०	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	२०२४—२६
६२२	फाउन्टेन पेनों का निर्माण	२०२६–२७
६२३	चिल्का झील क्षेत्र में बाढ़	२०२७–२८
६२४	श्रम बैंक	२०२८–२९
६२५	नागा विद्रोही	२०३०—३३
६२६	भारतीय वस्त्रों का आस्ट्रेलिया को निर्यात	२०३३–३४
६२८	राजस्थान में नमक उत्पादन का विकास	२०३४–३५
६२९	पांडीचेरी में न्यायपालिका	२०३५–३७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२०३७—६८
तारांकित प्रश्न संख्या		
६०९	भारत-पाक सीमा करार	२०३७–३८
६१५	अस्थगित भुगतान योजना	२०३८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६२१ दार्जिलिंग में तिब्बती व्यक्ति २०३८
६२७ पाकिस्तान में हिन्दू तथा सिक्ख संस्थायें . . . २०३८–३९
६३० फियेट कारें २०३९
६३१ मध्य प्रदेश में विस्थापित व्यक्ति . . . २०३९
६३२ एरंडी के तेल का निर्यात २०४०
६३३ नई दिल्ली में मोटर कारों की चोर बाजारी . . २०४०–४१
६३४ दलाई लामा का खजाना २०४१
६३५ केन्द्रीय मशीन डिजाइन संस्था २०४२
६३६ उत्तर प्रदेश में हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थायें . . २०४२
६३७ ग्यांत्से में भारतीय व्यापार एजेन्सी का भवन. २०४२
६३८ ट्रेक्टरों का निर्माण . . २०४२–४३
६३९ यूरोपीय देशों को चाय का निर्यात . . २०४३
६४० लौह अयस्क का निर्यात २०४३–४४
६४१ मुख्य निवटारा आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली, के कर्मचारियों की छंटनी २०४४
६४२ नई दिल्ली में स्थायी प्रदर्शनी . . २०४५
६४३ अधिकृत लेखापाल २०४५

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७२१ राजपुरा (पंजाब) में उद्योग . . २०४५–४६
७२२ अमरीका में भारतीय २०४६
७२३ होजरी के सामान का निर्यात . . . २०४६–४७
७२४ विस्थापित व्यक्तियों की चल सम्पत्ति . २०४७
७२५ प्रमुख नेताओं के भाषणों के रिकार्ड . . २०४७
७२६ राजस्थान में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्ति २०४८
७२७ रस तोलने की स्वचालित मशीनें २०४८
७२८ कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग सम्बन्ध जापानी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन २०४९
७२९ खादी २०४९–५०
७३० लघु उद्योग क्षेत्र से सामान की खरीद . . . २०५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७३१	निकोटीन सल्फ़ेट	२०५०–५१
७३२	चिपकने वाले टेप	२०५१–५२
७३३	अमोनियम ह्यमेट	२०५२
७३४	रिफ़्रेक्टरीज़ पार्ट्स का आयात	२०५२–५३
७३५	थर्मोकपिल शीथ	२०५३–५४
७३६	अनधिकृत शक्ति-चालित करघों का सर्वेक्षण	२०५४
७३७	कपड़ा मिलों में स्वचालित करघे	२०५४–५५
७३८	इंडोनेशिया को कपड़े का निर्यात	२०५५
७३९	नई दिल्ली में वाई० डब्ल्यू० सी० ए० होस्टल को ऋण	२०५५
७४०	किंग्स्वे कैम्प दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति	२०५६
७४१	कॉफ़ी का निर्यात	२०५६
७४२	प्रेसीडेन्ट आईज़नहावर के आगमन के प्रेस पास	२०५६–५७
७४३	घड़ियों का आयात	२०५७
७४४	भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद	२०५७–५८
७४५	थर्मामीटर	२०५८
७४६	शंघाई में भारतीय	२०५८
७४७	हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गार व्यक्ति	२०५९
७४८	बेल्जियम के साथ व्यापार	२०५९
७४९	पाकिस्तान में भारतीय मान चित्रों पर प्रतिबन्ध	२०६०
७५०	हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की उन्नति	२०६०–६१
७५१	त्रिपुरा में विक्रय एम्पोरियम	२०६१
७५२	सरकारी कर्मचारी सर्वोदय सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली	२०६१–६२
७५३	छोटे उद्योगों के उत्पादों का मानकीकरण	२०६२
७५४	हथकरघे की धोतियां	२०६३
७५५	सऊदी अरब में भारतीय राजदूत	२०६३
७५६	दण्डकारण्य में धान की फसल	२०६३–६४
७५७	टेलीविज़न सेटों का आयात	२०६४
७५८	पाकिस्तान को पान का निर्यात	२०६४
७५९	दिल्ली में रिंग रोड के पास सरकारी क्वार्टर	२०६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७६०	दिल्ली की द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर प्रसारण . .	२०६५
७६१	आकाशवाणी द्वारा प्रसारण के समय में वृद्धि . . .	२०६६
७६२	बीड़ी उत्पादन	२०६६
७६३	नागा विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी . . .	२०६६–६७
७६४	गणतन्त्र दिवस पर कवि सम्मेलन . . .	२०६७
७६५	नये कारखानों की स्थापना . . .	२०६७
७६६	पंजाब में गंदी बस्तियों को हटाने की परियोजनायें . .	२०६७–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र		२०६८–६९

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) त्रावनकोर मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का वर्ष १९५८–५९ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) इण्डियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड का वर्ष १९५८-५९ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(२) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या २ नवां सत्र, १९५९

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ५ आठवां सत्र, १९५९

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या १२ सातवां सत्र, १९५९

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १५ छटा सत्र, १९५८

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १८ पांचवां सत्र, १९५८

(छै) अनुपूरक विवरण संख्या २६ चौथा सत्र, १९५८

(सात) अनुपूरक विवरण संख्या २६ तीसरा सत्र, १९५७

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या ३२ दूसरा सत्र, १९५७

(३) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

करने वाली दिनांक २० फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९६ की एक प्रति ।

(४) जनवरी, १९६० में नई दिल्ली में हुये स्थायी श्रम समिति के १८वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों के सारांश की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश २०६९

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने २९ फरवरी, १९६० की अपनी बैठक में भारतीय वस्तुओं की बिक्री (संशोधन) विधेयक, १९६० को पारित कर दिया है ।

सदस्य की गिरफ्तारी २०६९

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें खानपुर के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर से दिनांक ३ मार्च, १९६० का एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि श्री नाथ पाई को सात दिन के लिये मजिस्ट्रेट की हिरासत में रखने के लिये हिन्डगला की सैन्ट्रल जेल भेज दिया गया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . २०७०

श्री रामी रेड्डी ने २५ फरवरी, १९६० को दक्षिण रेलवे के पनरुट्टि स्टेशन पर हुई रेलगाड़ी की टक्कर की ओर रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया। रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पुरस्थापित २०७१

विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६० ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५९-६० . . . २०७१—७९

वर्ष १९५९-६० के लिये रेलवे के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई तथा समाप्त हुई और अनुपूरक मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई ।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . २०७९—९३

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक १९५९ पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के लिये प्रस्ताव पर अग्रेतर पुनः चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत २०९३-९४

सत्तावनवां प्रतिवेदन स्वीकार किया गया ।

विधेयक पर राय जानने के लिये नियत समय को बढ़ाने के बारे में वक्तव्य .. २०९४-९५

सरदार अ० सिंह सहगल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि सिख गुरुद्वारा विधेयक, १९५८ पर राय जानने के लिये नियत समय को ३० जुलाई, १९६० तक और बढ़ा दिया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के लिये नियत समय को बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव २०९५–९६

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि पिछड़ी जातियां (धार्मिक संरक्षण) विधेयक पर चर्चा के लिये नियत समय २½ घंटे से बढ़ाकर ३½ घंटे कर दिया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—अस्वीकृत २०९६–२१०९

श्री प्रकाशवीर शास्त्री का पिछड़ी जातियां (धार्मिक संरक्षण) विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक के लिये नियत समय को कम करने के बारे में प्रस्ताव २१०९

श्री जमाल ख्वाजा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक के लिये नियत समय को १ घंटा कम कर दिया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक वापस लिया गया . . . २१०९—१९

श्री राम कृष्ण गुप्त ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि पूर्त तथा धार्मिक न्यास (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ३ और ४ का संशोधन तथा धारा ७-क तथा ७-ख का रखा जाना) पर विचार किया जाये। कुछ चर्चा के पश्चात् विधेयक सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन . . . २११९-२०

श्री पु० र० पटेल ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाये।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २१२१

उन्चासवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

सोमवार, ७ मार्च, १९६०/१७ फाल्गुन, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

आय-व्ययक (सामान्य), १९६०–६१ पर सामान्य चर्चा।